इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मानविकी विद्यापीठ

एम.एच.डी.-6

हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास

खंड

8

हिंदी भाषा का विकास

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

इकाई लेखक	इकाई संख्या
29. हिन्दी का प्रारंभिक विकास	प्रो. कैलाश चंद्र भाटिया
30. आधुनिक हिंदी का विकास	प्रो. कैलाश चंद्र भाटिया
31. हिंदी के बढ़ते चरण	प्रो. वी. रा. जगन्नाथन
32. देवनागरी लिपि	प्रो. वी. रा. जगन्नाथन

खंड संपादक
प्रो. वी. रा. जगन्नाथन
इं.गा.रा.मु.वि.वि
नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संयोजक
सुश्री स्मिता चतुर्वेदी
इं.गा.रा.मु.वि.वि.
नई दिल्ली

सामग्री निर्माण

श्री तिलक राज
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
सा. नि. एवं वि. प्र. इग्नू नई दिल्ली

श्री यशपाल
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
सा. नि. एवं वि. प्र. इग्नू नई दिल्ली

नवम्बर, 2020 (पुनः मुद्रित)

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरक प्रभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

मुद्रकः गीता ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा. लि., सी-90, ओखला फेज़-1, नई दिल्ली-110020

खंड परिचय : खंड - 8

यह खंड इस पाठ्यक्रम का अंतिम खंड है। इस पाठ्यक्रम में खंड-7 और 8 में हिंदी भाषा के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। खंड-7 में हमने चर्चा की कि किस तरह तरह संस्कृत से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इस खंड में हम हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखने का यत्न कर रहे हैं।

साहित्य के अध्ययन के संदर्भ में आपने यह देखा होगा कि आदि काल में अपभ्रंश, मैथिली, डिंगल (राजस्थानी) और पिंगल (प्राचीन ब्रज) का प्रयोग होता था। भक्ति काल में अवधी और ब्रज का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ। साथ ही कबीर ने जनमानस तक पहुँचने के उद्देश्य से एक पंचमेल सधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ। मीरा ने मारवाड़ी का प्रयोग किया जिसमें ब्रज और खड़ीबोली का पुट मिलता है। रीति काल में ब्रज भाषा का बाहुल्य था। मैथिली में भी कई साहित्यिकारों ने साहित्य सृजन किया जिनमें विद्यापति प्रमुख हैं।

रीति काल के बाद हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं और खड़ी बोली के आविर्भाव और विकास को देखते हैं। इस युग में न केवल खड़ीबोली काव्य और व्यापक गद्य लेखन (पत्रकारिता सहित) काव्य लेखन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में आई और हिंदी भाषा क्षेत्र की विभिन्न बोलियाँ बोलने वाले लेखक भी बोली की जगह खड़ीबोली हिंदी का उपयोग करने लगे। हम साथ में यह भी देखते हैं कि हिंदी एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में स्थापित होती है और पूरे देश को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में सामने आती है। सवाल यह उठता कि खड़ीबोली जो आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्यिक भाषा के रूप में अधिक व्यवहार में नहीं आ पाई थी, वह अचानक आधुनिक युग में महत्वपूर्ण क्यों हो गई ? यह भी सवाल उठता है कि यह खड़ीबोली क्या राजस्थानी, ब्रज और अवधी की तरह प्राचीन भाषा थी ? क्या उसके पुट हमें प्राचीन साहित्य में मिलते हैं ?

इस खंड में हम इन्हीं सवालों के संदर्भ में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालेंगे। पुरानी हिंदी के नाम से हम आदि काल से ही खड़ीबोली के प्रयोग को देखते हैं। यह परंपरा आदि काल से भक्ति काल का अविच्छन रूप से दिखाई पड़ती है यद्यपि खड़ीबोली का व्यापक प्रयोग नहीं हुआ।

रीतिकाल में ब्रज भाषा का आधिपत्य था, लेकिन उसी समय भाषिक क्षेत्र में व्यापक जनभाषा के रूप में उर्दू भाषा का तीव्र विकास हो रहा था। विकास का यह सिलसिला काफी दूर तक दक्षिण तक पहुँचता है। हम कह सकते हैं कि यह एक मिश्रित भाषा रूप था जिसमें शब्दावली अरबी-फ़ारसी की थी और मूलभूत संरचना खड़ीबोली हिंदी की थी। परवर्ती युग में हिंदुओं और मुसलमानों की अलग-अलग पहचान के कारण हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाओं के रूप में स्थापित होगी है, यद्यपि भाषावैज्ञानिक इन्हें दो भाषाएँ नहीं मानते, बल्कि एक भाषा की दो शैलियाँ मानते हैं। इस खंड में हिंदी और उर्दू के भी इस सवाल पर चर्चा की गई है जिससे यह पता चलता है कि हिंदी किस तरह अखिलभारतीय भाषा बनी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की बात उठी तो स्वाभावत: हिंदी को निर्विरोध चुना गया। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ हिंदी भाषा में अपूर्व शक्ति आई और उसका कार्य क्षेत्र व्यापक हुआ। इकाई-31 में हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी की आज क्या स्थिति है उसकी प्रकार्यात्मक भूमिकाएँ क्या हैं और वह किन दिशाओं में आगे बढ़ रही है।

अंतिम इकाई में देवनागरी लिपि के विकास की चर्चा की गई है। देवनागरी ब्राह्म लिपि से उत्पन्न हुई और भारत की सारी लिपियाँ तथा सिंहल की लिपि, वर्णमाला क्रम, उच्चारण व्यवस्था और वर्णाकृति के लिए किसी न किसी रूप में ब्राह्मी की ऋणी हैं। इस तरह हम यह देखते हैं कि लिपि और उच्चारण के स्तर पर भी भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता है।

इस खंड के अंत में कुछ आवश्यक संदर्भ ग्रंथ दिये गय हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करें।

इस पाठ्यक्रम की संकल्पनाओं को समझने में अगर आपको कहीं कठिनाई हो तो हम आपसे

अनुरोध करेंगे कि आप बी.ए. के ऐच्छिक पाठ्यक्रम ई.एच.डी.-6 : *हिंदी भाषा का इतिहास और वर्तमान* का भी अवलोकन करें जिसमें मूलभूत बातों को विस्तार से समझाया गया है।

शुभकामनाओं के साथ !

इकाई 29 हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास

इकाई की रूपरेखाग

29.1 उद्देश्य

इस इकाई में आधुनिक युग में खड़ी बोली के मानक हिंदी भाषा के रूप में विकास और साहित्यिक भाषा के रूप में उद्भव की चर्चा की गई है। खड़ी बोली हिंदी का विकासक्रम मध्यकाल से शुरू हो जाता है। उस विकासक्रम में उर्दू के विकास का भी क्रम जुड़ता है। इस इकाई में हमने आधुनिक हिंदी भाषा के विकासक्रम को हिंदी के आदिकाल से ही देखने का यत्न किया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- द्वितीय सहस्राब्दी के शुरू से ही हिंदी के विकास का क्रम समझ सकेंगे;
- अमरी खुसरो और कबीरदास की भाषा में खड़ी बोली का पुट ढूँढ़ सकेंगे;
- विभिन्न युगों में साहित्यिक भाषा का उद्भव और विकास बता सकेंगे;
- उर्दू के विकास के संदर्भ में दक्खिनी रेख्ता आदि शब्दों का तात्पर्य समझ सकेंगे; और
- साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली के विकास की चर्चा कर सकेंगे।

29.2 प्रस्तावना

खड़ी बोली साहित्य का विकासक्रम आम तौर पर आधुनिक युग से ही माना जाता है और साहित्यिक रूप में भारतेंदु युग 'हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार' है। लेकिन इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि खड़ी बोली का आविर्भाव भी आधुनिक युग में ही हुआ है। यह बात विचारणीय है कि हिंदी की सभी बोलियाँ अपनी-अपनी जगह विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम रही हैं और उनका अस्तित्व रहा है। संयोग की बात है कि लेखकों की रुचि और प्रतिभा के अनुसार अलग-अलग युगों में अलग-अलग बोलियाँ साहित्यिक भाषा के रूप में उभरकर हमारे सामने आई हैं। आप जानते ही हैं कि आदिकाल में राजस्थान की मारवाड़ी बोली का प्रामुख्य था जबकि भक्तिकाल में तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रमुखत: उपयोग किया और कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा का। रीतिकाल में ब्रजभाषा का ही वर्चस्व रहा। स्थानीय रूप से भी कवियों ने अपनी बोली को साहित्य सृजन के लिए अपनाया जैसे भक्ति काल से पूर्व विद्यापति ने मैथिली में काव्य रचना की। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या और अपनी रुचि के संदर्भ में समय-समय पर अलग-अलग बोलियों में साहित्य सृजन किया।

यह भी संयोग की बात है कि खड़ी बोली में कोई प्रमुख कवि नहीं हुआ। न ही कोई विशिष्ट धारा खड़ी बोली में प्रस्फुटित हुई। फिर भी, हम खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक रूप को आदिकाल में देखते हैं, जब हिंदवी या हिंदुई के नाम से इसका प्रचलन हुआ और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। भक्तिकाल में कबीरदास ने भी खड़ी बोली हिंदी का भी इस्तेमाल किया, यद्यपि उनकी भाषा को हम लोग मिले-जुले रूप के कारण 'सधुक्कड़ी' यानी साधुओं की (मिली-जुली) भाषा कहते हैं। इस इकाई में 'पुरानी हिंदी' नाम से खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को राउरवेल जैसी प्रमुख रचनाओं से ही देखने का यत्न किया गया है और आधुनिक युग तक इसके विकासक्रम को ढूँढने का यत्न किया गया है।

खड़ी बोली में साहित्य-रचना न होने का शायद एक कारण उर्दू भाषा का विकास है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ-साथ उर्दू भाषा का विकास शुरू हो जाता है। यह भाषा दक्षिण में जाकर दक्खिनी का नाम लेती है और फिर उत्तर में आकर रेख्ता नाम से प्रचलित हो जाती है। यहाँ से साहित्यिक उर्दू भाषा का विकासक्रम शुरू हो जाता है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से उर्दू और हिंदी, दोनों एक भाषा हैं। इनमें केवल सांस्कृतिक और साहित्यिक कारणों से अंतर है। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग खड़ी बोली में लिखना भी जानते हों, वे अलग से खड़ी बोली की बात न करते हुए हिंदी और उर्दू के मिले-जुले रूप का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम अब उर्दू की संज्ञा देते हैं। आधुनिक युग में अंग्रेज़ों ने शैक्षिक और राजनीतिक कारणों से उर्दू भाषा को हिंदी से अलग देखने का यत्न किया तो हिंदी भाषियों ने उर्दू से भिन्न खड़ी बोली की स्थापना की। यही कारण है कि खड़ी बोली साहित्य रचना के रूप में अपने वर्तमान रूप में केवल आधुनिक काल में हमारे सामने आती है।

इस इकाई में हम इस विकासक्रम को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।

29.3 प्रारंभिक हिंदी (पुरानी हिंदी)

'प्रारंभिक हिंदी' कौन सी है और उसमें क्या-क्या रचनाएँ हैं, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। किस रचना को हिंदी की पहली रचना माना जाए ? आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ. रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन आदि विद्वान तो अपभ्रंश को भी समाहित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में पृथक नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा मध्यदेश को वर्तमान 'हिन्दी प्रदेश' की संज्ञा देते हैं जिसका देश के इतिहास में असाधारण महत्व मानते हैं। मध्यदेश के तेरह जनपद स्वीकार कर वहाँ बोली जाने वाली प्रधान बोलियों का सामूहिक रूप हिंदी मानते हैं। उनके अनुसार सिद्धों और नाथों की रचनाएँ अपभ्रंश मिश्रित हैं। दक्षिण मध्यदेश और गुजरात में जैन कवियों की प्राकृत और अपभ्रंश रचनाओं में भाषा का पुट दिखाई देने लगता है। बाद में हिंदी की तीन कृतियाँ - बीसलदेव रासो (नाल्ह), पृथ्वीराज रासो (चंद), आल्हाखंड (जगनिक) - मानते हैं। प्राचीनतम रूप भी कदाचित इसी काल में प्रारंभ हो गया था किंतु मौखिक परंपरा से अनेक शताब्दियों तक चलते रहने के कारण इन तीनों में बहुत परिवर्तन-परिर्द्धन हुए। ('मध्यदेश', पृ. 11 व 177 पर आधारित)।

'भाषा से प्राचीनतम हिंदी रूप को लिया जा सकता है।

डॉ. हरदेव बाहरी 'आरंभिक हिंदी' के अंतर्गत एक नहीं तेरह संभावनाएँ रखते हैं –

1. सिद्धों की वाणियाँ, 2. जैन कवि पुष्पदंत, 3. स्वयंभू कृत पउम चरिउ, 4. अवहट्ट में प्राप्त 'वर्ण रत्नाकार' तथा कीर्तिलता (विद्यापति), 5. चंदायन (मुल्ला दाऊद), 6. नाथ जोगी, विशेषत: गोरखनाथ, 7. संत नामदेव, त्रिलोचन, कबीर का साहित्य, 8. दक्खिनी, 9. अमीर खुसरो की हिंदवी की रचनाएँ, 10. रोडा कृत राउलवेल, 11. राजस्थान के आसपास की हिंदी (क) अपभ्रंश मिश्रित पश्चिमी हिंदी, (ख) डिंगल, (ग) मरुभाषा (राजस्थानी), (घ) पिंगल भाषा, 12. प्राकृत पैंगलम और हेमचन्द्र के व्याकरण में इसके प्रारंभिक रूप के उदाहरण मिल सकते हैं, 13. शुद्ध राजस्थानी में उस युग के वात और ख्यात। एक प्रकार से संभावनाएँ अत्यधिक हैं। उपर्युक्त में से कुछ की चर्चा अपभ्रंश में और कुछ ग्रंथों का विवेचन अवहट्ट में किया जा चुका है। क्रमांक 5 स्पष्टत: अवधी का पूर्व रूप है। क्रमांक 6, 7, 8, 9, की चर्चा विस्तार से आगे 'खड़ी बोली' में की जा रही है। आगे चलकर डॉ. बाहरी के अनुसार 'पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मत सही जान पड़ता है कि 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश से पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। परंतु कठिनाई यह है कि उस संक्रांति काल की सामग्री इतनी कम है कि उससे किसी भाषा के ध्वनिगत और व्याकरणिक लक्षणों की पूरी-पूरी जानकारी नहीं मिल सकती।' (पृ. 29) अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा है – 'अत: हम डॉ. माता प्रसाद गुप्त और डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोडा कृत राउल बेलि एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। इसी के आधार पर हिंदी का पूर्व-रूप निर्धारित किया जा सकता है।' (हिंदी भाषा, पृ. 29)

डॉ. भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा के आदि काल में गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल्ह, चंद, कबीर, ख्वाजा बंदे नेवाज़, शाह मीराजी मानते हैं। हिंदवी या हिंदी के प्रथम कवि मसउद साद सलमान हैं जिनकी चर्चा अमीर खुसरो ने की है।

ऐसी स्थिति में यहाँ प्रारंभिक हिंदी में सर्वप्रथम 'पुरानी हिन्दी' (गुलेरी) की चर्चा की जा रही है और उसके बाद 'प्राकृत पैंगलम' तथा 'राउलवेल' की जिनको अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है।

29.3.1 पुरानी हिंदी

'पुरानी हिंदी' गुलेरी जी का शोधपरक आलेख है। उसको जब 1948 ई. में नागरी प्रचारिणी सभा ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया तो तत्कालीन साहित्य मंत्री आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने वक्तव्य में लिखा – 'विचार था कि इसमें उद्धृत अपभ्रंश या अवहट्ट के अवतरणों की वैज्ञानिक टीका-टिप्पणी कराकर जोड़ दी जाए।' यह कार्य 'आज तक निकले 'पुरानी हिंदी' (पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी) के किसी भी संस्करण के लिए नहीं हो पाया। आचार्य मिश्र ने इसके नाम की टिप्पणी पर यह टिप्पणी दी:

''पुरानी हिंदी नाम बहुत सोच-विचारकर प्रस्तुत किया गया है, पुरानी बंगला, पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी मराठी आदि प्रयोगों का भ्रम मिटाने के लिए। जैसे ब्रजभाषा के सर्वसामान्य भाषा पद पर आरूढ़ होने पर उसका प्रयोग प्रत्येक प्रांत के निवासी करने लगे और अपने प्रांत के प्रयोग जाने-अनजाने उसमें रख चले पर रीढ़ ब्रजभाषा ही रही, वैसी ही स्थिति अपभ्रंश की भी थी। जिस प्रकार नानक जी की भाषा पंजाबीपन लिए हुए है, श्री भारतीचंद्र की बंगलापन, समर्थ गुरु रामदास की मराठीपन, मीरां की गुजराती-राजस्थानीपन पर है वह ब्रजभाषा ही, उसी प्रकार जिसे 'पुरानी हिंदी' कहा गया है, वह हिंदी ही है, पर उस सोपान तक पहुँचकर प्रांतीय रूप कुछ-कुछ और कहीं-कहीं परिस्फुट होने लगे थे।''

(वक्तव्य से)

अपने इन्हीं विचारों में आगे चलकर 'हिंदी साहित्य का अतीत' भाग-1 में आचार्य मिश्र ने अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए कहा – 'अपभ्रंश के अनंतर जनता की भाषा जो बहुत व्यापक क्षेत्र में चलती थी नागरी या हिंदी कहलाती थी। पर धीरे-धीरे एक-एक प्रदेश की भाषा विकसित होकर एक-दूसरे से पृथक होने लगी।'

'पुरानी हिंदी' गुलेरी जी के मौलिक विचारों का खजाना है जिसका अभूतपूर्व महत्व प्रथम प्रकाशन के समय तो था ही, आज भी उतना ही बना हुआ है। उनके मौलिक विचार पुस्तक के प्रारंभ (पृ. 1-19) में हैं, तत्पश्चात् आपने अपने विचारों की पुष्टि में 'शार्गंधर पद्धति' (पृ. 19-20) से, 'प्रबंध चिंतामणि'

(पृ. 24-72) से, 'कुमारपाल प्रतिबोध' (सोमप्रभाचार्य) (पृ. 72-100) से, 'दोहाग्रंथ' (पृ. 122-125), 'खड़ी बोली मलेच्छ भाषा' (पृ. 125-133), हेमचन्द्र के व्याकरण (पृ. 133-170) तथा उनकी रचना (पृ. 170-249) से उद्धरण देकर अपने मत की पुष्टि की है।

प्राय: यह कहा जाता है कि मूल भाषा संस्कृत है और आधुनिक आर्यभाषाएँ उसकी बेटियाँ हैं अर्थात् उससे विकसित हुई हैं। इसके विपरीत, उन्होंने संस्कृत को मूलधारा से निकली नहर माना, मूलधारा नहीं। गुलेरी जी के अनुसार:

"वह (संस्कृत) मँजी, छँटी, सुधरी भाषा है। कितने हजार वर्ष के उपयोग से उसका यह रूप बना, किस 'कृत' से वह 'संस्कृत' हुई, यह जानने का कोई साधन नहीं बचा रहा है। वह मानो गंगा की नहर है, नरौरे (आज का सुप्रसिद्ध राजघाट नरौरा जहाँ से गंगा की नहर निकाली गई है) के बाँध से उसमें सारा जल खेंच लिया गया है, उसके किनारे सम हैं, किनारों पर हरियाली और वृक्ष हैं, प्रवाह नियमित है। किन टेढ़े-मेढ़े किनारों वाली, छोटी-बड़ी पथरीली, रेतीली नदियों का पानी मोड़कर यह अच्छोद नहर बनाई गई और उस समय के सनातन भाषा प्रेमियों ने पुरानी नदियों का प्रवाह 'अविच्छिन्न' रखने के लिए कैसा कुछ आंदोलन मचाया या नहीं मचाया, यह हम जान नहीं सकते। सदा इस संस्कृत नहर को देखते-देखते हम असंस्कृत या स्वाभाविक प्राकृतिक नदियों को भूल गए। और फिर जब नहर का पानी आगे स्वच्छंद होकर समतल और सूत से नपे हुए किनारों को छोड़कर जल-स्वभाव से कहीं टेढ़ा, कहीं गंदला, कहीं निखरा, कहीं पथरीली, कहीं रेतीली भूमि पर और कहीं पुराने सूखे मार्गों पर प्राकृतिक रीति से बहने लगा तब हम यह कहने लगे कि नहर से नदी बनी है, नहर प्रकृति है और नदी विकृति। यह नहीं कि नदी अब सुधारकों के पंजे से छूटकर फिर सनातन मार्ग पर आई है।" ...... इस रूपक को बहुत बढ़ा सकते हैं। ...... संस्कृत अजर-अमर तो हो गई किंतु उसका वंश नहीं चला, वह कलमी पेड़ था। हाँ, उसकी सम्पत्ति से प्राकृत और अपभ्रंश और पीछे हिंदी आदि भाषाएँ पुष्ट होती गईं और उसने भी समय-समय पर उनकी भेंट स्वीकार की।" (वही, पृ. 1 व 2)

एक अन्य बात की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि "संस्कृत नाटकों की प्राकृत को शुद्ध प्राकृत का नमूना नहीं मानना चाहिए। वह पंडिताऊ या नकली या गढ़ी हुई प्राकृत है जो संस्कृत में मसविदा बनाकर प्राकृत-व्याकरण नियमों से गढ़ी हुई है। वह संस्कृत मुहाविरों का नियमानुसार किया हुआ रूपांतर है, प्राकृत भाषा नहीं।" (पृ. 3)

आचार्य गुलेरी ने आगे अपभ्रंश पर विचार करते हुए, वही प्रारंभिक रूपक आगे बढ़ाते हुए लिखा:

"बाँध से बचे हुए पानी की धाराएँ मिलकर अब नदी का रूप धारण कर रही थीं। उनमें देशी धाराएँ[1] भी आकर मिलती गई। देशी और कुछ नहीं, बाँध से बचा हुआ पानी है या वह जो नदी-मार्ग पर चला आया, बाँधा न गया। उसे भी कभी-कभी छानकर नहर में लिया जाता था। बाँध का जल भी रिसता-रिसता इधर मिलता आ रहा था। पानी बढ़ने से नदी की गति वेग से निम्नाभिमुखी हुई उसका अपभ्रंश (नीचे को बिखरना) होने लगा। अब सूत से नपे किनारे और नियत गहराई नहीं रही।"

प्राय: यह समझा जाता रहा कि उन्होंने अपभ्रंश को ही 'पुरानी हिंदी' की संज्ञा दी। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपभ्रंश के दो रूप स्वीकार किए :

पुरानी अपभ्रंश (प्रारंभिक अपभ्रंश)

पिछली अपभ्रंश (उत्तरकालीन अपभ्रंश)

उनका तात्पर्य था कि आगे और व्यापक खोज होनी चाहिए जिससे निश्चित रूप से यह पता लगाया जा सके कि कहाँ तक के साहित्य को अपभ्रंश माना जाए और कहाँ से प्राप्त साहित्य को अपभ्रंश न कहकर 'पुरानी हिंदी' कहा जाए जहाँ से हिंदी का उद्गम हुआ और विकास हुआ। अपभ्रंश कहाँ समाप्त होती है और पुरानी हिंदी कहाँ आरंभ होती है, इसका निर्णय करना कठिन किंतु रोचक और बड़े महत्व का है। इन दो भाषाओं के समय और देश के विषय में कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती।[2]

---

1 देशी धाराएँ भी अनेक हैं: (क) देसिल वअना (देसिल वअना सब जन मिट्ठा - विद्यापति), (ख) देसीनाम माला (हेमचन्द्र) (ग) देशी शब्द संग्रह (पादलिप्ताचार्य) (घ) देशी भाषा उभय तडुंज्जल कवि (पउमचरिउ - स्वयंभू)

2 पुस्तक का वक्तव्य

उनका स्पष्ट मत था कि पुरानी हिंदी 'अपभ्रंश' से भिन्न है। 'पुरानी हिंदी' से उनका तात्पर्य था - 'खड़ी बोली हिंदी, मानक हिंदी से पूर्वरूपों से' जिसको प्रकारांतर से उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया :

"आजकल लोग पृथ्वीराज रासो की भाषा को हिंदी का प्राचीनतम रूप मानते हैं। उनका विचार हम अवतरणों के विचार से पीछे कहेंगे किंतु इतना कह देते हैं कि यदि इन कविताओं को पुरानी हिंदी नहीं कहा जाए तो रासो की भाषा को राजस्थानी या मेवाड़ी-गुजराती-मारवाड़ी, चारणी-भाटी कहना चाहिए, हिंदी नहीं। ब्रजभाषा भी हिंदी नहीं और तुलसीदास की मधुर उक्तियाँ भी हिंदी नहीं।''

उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी, मारवाड़ी, ब्रजभाषा, अवधी आदि हिंदी की उपभाषाएँ मानी जा सकती हैं; पर हिंदी नहीं। यह बहुत मौलिक दृष्टि थी। आगे चलकर 'पुरानी हिंदी' का प्रयोग अपभ्रंश के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में किया -'हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ... देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात् पुरानी हिंदी की काव्यभाषा है।'' (पृ 10 तथा 12)

गुलेरी जी को मात्र हेमचन्द्र के शब्दानुशासन[1] से उदाहरण देकर संतुष्ट होना पड़ा।

इस दिशा में दो महत्वपूर्ण कृतियों का उद्घाटन हुआ है जिनको 'पुरानी हिंदी' में सम्मिलित किया जा सकता है:

1. प्राकृत पैंगलम्
2. राउलवेल

'प्राकृत पैंगलम' में पुरानी हिंदी के भरपूर उदाहरण हैं। डॉ. वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है कि इस पुरानी हिंदी के अध्ययन में प्राकृत पैंगलम् का स्थान महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के अध्ययन 'पुरानी हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में 'प्राकृत पैंगलम्' का योग' पर डॉ. भोलाशंकर व्यास को डी. लिट्. की उपाधि प्राप्त हुई। आगे इस ग्रंथ पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।

'राउलवेल' पर डॉ. भायाणी, डॉ. माता प्रसाद गुप्त तथा डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया ने शोधपरक कार्य सम्पन्न किए। उस पर भी विस्तार से विवेचन किया जा रहा है।

29.3.2 प्राकृत पैंगलम्

यह छंदशास्त्र का ग्रंथ है। छंदों के उदाहरणस्वरूप जो पद्य इसमें संकलित हैं वे किसी एक काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी इस ग्रंथ में संकलित छंदों के उदाहरणों को नवीं से चौदहवीं शताब्दी तक की रचनाएँ मानते हैं। डॉ. तेस्सीतोरी ने इस पर टिप्पणी देते हुए लिखा कि 'हमारे लिए 'प्राकृत पैंगलम्' की भाषा हेमचन्द्र के अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं की प्रारंभिक अवस्था के बीच वाले सोपान का प्रतिनिधित्व करती है और दसवीं- ग्याहरवीं अथवा संभवत: बारहवीं ईसवी के आसपास की भाषा उसे कहा जा सकता है।'' राजशेखर की कर्पूर मंजरी (नवीं शताब्दी से) के उदाहरणों से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक की रचनाएँ इसमें हैं। डॉ. नामवर सिंह ने (पुरानी राजस्थान - 1956 ई.) व्यावहारिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि प्राकृत पैंगलम् हेमचन्द्र के दोहों और नव्य भाषाओं के प्राचीनतम रूप के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह की भाषा 10वीं से 12वीं शती की भाषा का आदर्श रूप मानी जा सकती है।

प्राकृत पैंगलम् की भाषा

प्राकृत पैंगलम् के उदाहरणों में सभी क्षेत्रों की भाषा के रूप हैं :

पश्चिमी हिंदी :

ढोल्ला मरिअ ढिल्लि यह मुच्छिअ मेच्छ सरीर। (ढोला मारा (बजाया) दिल्ली में तो मूर्च्छित हुआ मलेच्छ शरीर)।

---

1 हेमचन्द्र पर हुए अनेक कार्यों में से दो उल्लेखनीय हैं - (क) सिद्ध हेमशब्दानुशासनगत अपभ्रंश का समग्र अनुशीलन और उसका हिंदी पर प्रभाव (सुकुमारी चतुर्वेदी) (ख) हेमचन्द्र के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि और उसका भाषावैज्ञानिक अध्ययन (परम मिश्र)

पूर्वी हिंदी :

सोउ जुहुदिठा संकट पावा।

दिसइ चलइ हिअअ डुलइ हम इकलि बहू।

इस उदाहरणों के आधार पर डॉ. उदय नारायण तिवारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि 'प्राकृत पैंगलम्' के समय तक साहित्यिक अपभ्रंश के बीच-बीच में तत्कालीन लोक-भाषाओं के रूप में यत्र-तत्र स्थान पाने लगे थे और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ यद्यपि प्रांतीय रूप में विकसित न हो पाई थीं, परंतु उनकी विशेषताएँ प्रकट होने लगी थीं। (हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पृ. 149-150)

नव्य आर्य भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्षय स्थिति समाप्त हो गई और उन शब्दों में परिवर्तन के फलस्वरूप विकास स्पष्ट हो गया :

संस्कृत रूप	प्राकृत	आधुनिक
हृदय	हिअअ	हिय, हिया

द्वित्व की स्थिति समाप्त प्राय: हो गई फिर भी 'चादर' के साथ 'चद्दर' आज तक विद्यमान है।

प्राकृत पैंगलम् में प्राप्त	वर्तमान रूप
चउबीस	चौबीस
चामा	चाम
दीसइ	दीसइ (ब्रज), दीखना (खड़ी)
कहीजे	कहै (ब्रज), कहना (खड़ी)

छठे दशक के अंत में लगभग एक साथ तीन व्यक्तियों - डॉ. अम्बा प्रसाद 'सुमन', डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया, डॉ. विश्वनाथ तिवारी - ने क्रमश: 'प्राकृत पैंगलम् की शब्दावली और वर्तमान ब्रजलोक शब्दावली', 'प्राकृत पैंगलम् और खड़ी बोली' तथा 'प्राकृत पैंगलम् और अवधी' पर लिखा जो तीन शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। यह एक भ्रम है कि 'प्राकृत पैंगलम्' पुरानी ब्रजभाषा का ग्रंथ है जैसा डॉ. माता प्रसाद गुप्त ने 'पिंगल काव्य की परंपरा' में इस ग्रंथ को मूर्धन्य स्थान पर रखकर व्यक्त किया है। मेरा मत है कि एक प्रकार से उसमें वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं के विशेषकर हिंदी से संबंधित उपभाषाओं के पूर्व रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ब्रजभाषा के पूर्व-रूप द्रष्टव्य हैं :

अक्खर	(आखर)
अग्गे	(आगै)
अग्गि	(आग)
अज्जु	(आजु)

प्राकृत पैंगलम् की भाषा पर टिप्पणी करते हुए डॉ. शिवप्रसाद सिंह का निष्कर्ष द्रष्टव्य है :

''प्राकृत पैंगलम् की भाषा में ध्वनि और रूप दोनों ही दृष्टियों से प्राचीन ब्रज के प्रयोगों का बाहुल्य है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो यह भाषा ब्रज के और निकट दिखाई पड़ती है। निर्विभक्तिक प्रयोग, वर्तमान कृदंतों का सामान्य वर्तमान में प्रयोग, सर्वनामों के अत्यंत विकसित रूप इसे ब्रजभाषा का पूर्वरूप सिद्ध करते हैं। क्रिया के भविष्य रूप में यद्यपि इस काल तक 'गा' वाले रूप नहीं दिखाई पड़ते किंतु 'आवहि', 'करिह' आदि में 'ह' कार रूपों का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा में 'गा' प्रकार के रूप भी मिलते हैं परंतु 'ह' प्रकार के चलिहै, करिहै आदि रूप भी बहुत हैं।''

ऐसा नहीं है कि खड़ी बोली के रूप नहीं मिलते। ब्रजभाषा के साधारण पुल्लिंग संज्ञा शब्द तक विशेषण औकारांत (कहीं ओकारांत) होते हैं जबकि खड़ी बोली की प्रवृत्ति आकारांतता की है। दोनों रूप इस ग्रंथ में विद्यमान हैं।

ओकारांत रूप : भमरो, मोरो, णाओ, हम्मारो

आकारांत रूप : बंका (567/3)
दीहरा (309/8)

किसी-किसी शब्द के दोनों रूप विद्यमान हैं :

बुड्ढा, बुद्दा (545/2)

बुढ्ढओ (5/2)

विस्तृत अध्ययन के लिए द्रष्टव्य है :

'प्राकृत पैंगलम् की शब्दावली और वर्तमान हिंदी' (डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया, सम्मेलन पत्रिका, वर्ष 47, अंक 3)

29.3.3 रोडा कृत 'राउरवेल'

'राउरवेल' ग्याहरवीं शती का शिलांकित भाषा काव्य है जिसका रचयिता रोडा है। इस ग्रंथ के पाठ पर डॉ. हरिवल्लभ चुनीलाल भायाणी तथा डॉ. माता प्रसाद गुप्त ने कार्य किया। डॉ. भाटिया की इसी शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित है जिसको विस्तृत अध्ययन के लिए लिया जा सकता है। इस छोटी-सी कृति में किसी सामंत ने रावल (राजभवन) की रमणियों का वर्णन किया है जिसके कारण इसका नाम 'राजकुल विलास' (राउल वेल) है। इसकी भाषा पर टिप्पणी देते हुए डॉ. गुप्त का कथन है - 'लेख की भाषा पुरानी दक्षिण कोसली है जिस प्रकार 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' की पुरानी कोसली है। उस पर समीपवर्ती तत्कालीन भाषाओं का कुछ प्रभाव अवश्य ज्ञात होता है।' यह भाषा 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' की भाषा से प्राचीनतर लगती है जो लेख के लेखन काल (लगभग 1050 ई.) के अनुसार होना भी चाहिए। यह भी प्रमाणित हो जाता है कि हिंदी की तरह कदाचित् अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएँ भी ग्यारहवीं शती में इतनी प्रौढ़ हो चली थीं कि उनमें सरस काव्य की रचना हो चली थी, मात्र केवल बोलचाल की भाषाएँ नहीं थीं।

भाषागत प्रमुख विशेषताएँ

1. 'ण' का प्रयोग बहुतायत से हुआ है जिस पर प्राकृत अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव है :

   भणु, भाषणु, पहिणु, विण, भण, भयणु आदि।

2. नासिक्य ध्वनियों में 'ण' के अतिरिक्त 'न' तथा 'म' है :

   गवारिम्व, म्वालउ, चिन्तवन्तई।

3. सानुनासिकता तथा अनुस्वार दोनों कि लिए लेखन में (ं) (बिंदु) का प्रयोग मिलता है।

4. 'व' और 'ब' समान रूप से उत्कीर्ण किए गए हैं।

5. 'य' का प्रयोग 'ज' के स्थान पर भी मिलता है, जैसे :

   कियई = किज्जई

6. कवि ने अंत में वक्तव्य दिया है। संयोग से उसका अधिकांश भाग सुरक्षित है :

   रोड़ें राउल वेल वखा (णी)।
   (पुणु ?) तहं भासहं जइसी जाणी।।

(रोडा के द्वारा यह राउलवेल कही गई और फिर वहाँ की भाषा में (कही गई), जैसी उसकी जानी थी।)

स्पष्ट है कि यह रचना तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है जिसके लिए लेखक ने 'भाषा' शब्द का सार्थक प्रयोग किया है। तत्कालीन लोकभाषा के लिए सामान्यतः मात्र 'भाषा' का प्रयोग किया जाता रहा है जैसे तुलसीदास ने मानस में 'अवधी' के लिए किया है। डॉ. भायाणी ने इसमें आठ नख-शिख की कल्पना की है जो अपभ्रंशोत्तर आठ बोलियों के विशिष्ट तत्वों से समन्वित रहे होंगे। डॉ. गुप्त की राय में सब कुछ एक ही बोली में लिखे गए। निकटवर्ती बोलियों के तत्व आ गए जिसमें से चार का स्पष्ट उल्लेख है : 1. टक्क, 2. मालवा, 3. गौड़, 4 (?)। डॉ. भायाणी के अनुसार प्राप्त नख-शिख क्रमशः अवधी, मराठी, पश्चिमी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली तथा मालवी के पूर्व रूपों में लिखे गए। 'कन्नौजी' वस्तुतः 'कानोउड' है जो 'कनावड़े' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

डॉ. भाटिया के अनुसार मूल रूप से समस्त लेख में एक ही भाषा प्रयुक्त हुई है जिसमें स्थान भेद से नायिकाओं के वर्णन में क्षेत्रीयता झलकती है, जैसे प्रारंभ में अच्छा, मनोहर, सुंदरवाची 'चंगा' का प्रयोग तीन बार विभिन्न रूपों में हुआ है।

चांगड (पंजाबी का स्पष्ट प्रभाव है।)

चांगा

चांगिम्व

मालवी सुंदरी के संदर्भ में सुंदरतावाची 'रूरी' का प्रयोग हुआ है : रूरी, रूरे, रूउर, रू (रउ), रूरउ

7. भाषा प्रधानतः उकार बहुला है :

पंक्ति	2	काजलु, तुछउ, मणु मणु, रावउ
	3	माण्डणु, पावउ, मणु
	4	चांगउ, वचाछउ, आंगउ, भालउ
	5	घरु
वहीं अंत में -		
	33	काजलु, दीनउ, कसइउ, जणु, चाखहु
	45	राउलु

8. 'रूप' की दृष्टि से निर्विभक्तिक प्रयोग कर्ता, कर्म में मिलते हैं। करण कारक में एँ और संबंध कारक में हुँ, न्हुँ प्राप्त होते हैं। संबोधन में 'रे' का प्रयोग किया गया है।

सर्वनामों में उत्तम पुरुष में अम्हार, अम्हणउं

मध्यम पुरुष में तहं, तंहं, तुम्ह, तोही, तुहु, तुम्हार

अन्य पुरुष में सा, सोह, सो, तं, ताहि रूप मिलते हैं।

निकटवर्ती - एहु, एह, एहा, एही, एहि

संबंधवाचक - ज, जा, जे, जि, जो

प्रश्नवाचक - काउ, कतहू, कहाइउं

अनिश्चयवाचक - काहू, कोह, कोक्कु, केतउ, कोउ, काहु।

निजवाचक - आवणी, आपणाह।

इसी आधार पर सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉ. हरदेव बाहरी ने माना है, कि डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया के विचार से रोडा कवि कृत राउलबेलि एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। इसी के आधार पर हिंदी का पूर्व रूप निर्धारित किया जा सकता है।

29.4 हिंदवी / हिंदई – साहित्यिक रूप

सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो नस्ल से तुर्क होते हुए भी उनको भारतीयता भरपूर मिली थी। उन्हें 'हिंदवी' (हिंदी) मातृभाषा विरासत के रूप में मिली थी। भारतीय होने पर उन्हें गर्व था :

तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब।
(मैं हिंदस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ।

'नुह सिपेहर' शीर्षक ग्रंथ के तीसरे सिपेहर में उल्लेख किया है कि अन्य भाषाओं के समान हिंदुस्तान में प्राचीनकाल से 'हिंदवी' बोली जाती थी, किंतु गोरियों और तुर्कों के पश्चात लोगों ने फ़ारसी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। खुसरो ने इस भाषा को 'हिंदवी', देहलवी' भी कहा है। खुसरो के अतिरिक्त दक्खिनी के कवि शरफ ने 'नौसरहार' (1503 ई.) में इस भाषा को 'हिंदवी' कहा है :

नज़्म लिखी सब मौजूँ आन
यों सब 'हिंदवी' कर आसान।

'हिंदवी' के साथ 'हिंदुई' रूप भी मिलता है जिसका स्पष्ट उल्लेख 'कुतुब शतक' (15वीं शती) में मिलता है। 'कुतुब शतक' में जिस भाषा को अपनाया गया है वही दक्षिण भारत की रियासतों में पहुँचकर साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई। इसका विकसित रूप ही दक्खिनी बना। 'कुतुब शतक' के संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त ने स्पष्ट रूप से लिखा है :

'राउलबेल और दक्खिनी के बीच की जनभाषा कुतुब शतक की भाषा है तथा राउलबेल और कुतुब शतक की जनभाषा की कड़ी गोरखनाथ की बानियाँ हैं।' (प्रस्तावना, पृ. 5)

'कुतुब शतक' की भाषा पर डॉ. भाटिया ने ज्ञानपीठ की पत्रिका में बड़े विस्तार से लिखा है। (अगस्त, 1968)

इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय (1580 ई.) के समय में अब्दुल बीजापुर पहुँचे थे, उन्होंने भी अपनी भाषा को 'हिंदुई' की संज्ञा दी है :

जबां हिंदुई मुझ सो हूँ देहलवी
न जानूं अरब और अज़म मसनवी।

(मेरी जबान हिंदुई है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। अरबी-फारसी की मसनवी को नहीं जानता।)

'हिंदुई' नाम का सबसे पुराना उल्लेख सुप्रसिद्ध भारतीय फ़ारसी कवि मुहम्मद औफी (1228 ई.) में मिलता है। वे मसूऊद-ए-साऊद उलेमान (मृत्यु 1121 ई.) की रचनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें 'हिंदुई' का भी कवि मानते हैं और कहते हैं कि उनका एक दीवान 'ताजी' (अरबी) और फ़ारसी के अलावा हिंदी में भी था। (हिंदी : भाषा, राजभाषा, डॉ. परमानंद पांचाल, पृ. 47)

जैसा कहा जा चुका है कि इस भाषा का प्रयोग ही 'कुतुब शतक' में मिलता है। 'कुतुब शतक' के वार्तिक तिलक में अन्य भाषाओं के साथ 'हिंदुई' का नाम भी आया है:

बीबी बीवानां की फारसी हिंदवी
चयारों की हकीकति।
तारीफ़ वेद की। कुरान की।

... बड़ा भाई ह्यंदू छोटा भाई मुसलमान। ह्यंदूई मो पंडित नाम राषो (राखो)। सोई नाम। (कुतुब शतक और हिंदुई, डॉ. माता प्रसाद गुप्त, पृ. 25)

इस प्रकार तीन प्रकार की वर्तनी मिलती है :

1. हिंदुई
2. ह्यंदूई
3. हिंदवी

स्पष्ट रूप से 'हिंदुई', हिंदी' शब्द का पूर्व रूप सिद्ध होता है।

29.4.1 अमीर खुसरो और हिंदवी

हिंदी साहित्य के अनेक साहित्यकारों ने अमीर खुसरो को हिंदवी का पहला कवि माना है। खुसरो तेरहवीं शताब्दी के कवि थे जो निश्चित रूप से गोरखनाथ के बाद के हैं। खुसरो की भाषा, विशेषत: पहेलियों-मुकरियों की भाषा में खड़ी बोली का वही रूप है जो आज विद्यमान है, साहित्यिक मानक हिंदी से मेल खाती है। तभी तो इतिहासकार डॉ. रामकुमार वर्मा ने लिखा - 'यदि अमीर खुसरो के बाद ब्रजभाषा के बजाय खड़ी बोली हिंदी में नियमित और अवरित रचनाएँ होती रहतीं तो आज की खड़ी बोली हिंदी कविता कितनी परिमार्जित हो गई होती, इस बात का सहज अनुमान किया जा सकता है।'

हिंदवी : मध्यकाल में 'हिंदवी' दिल्ली के आसपास की भाषा थी जिसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों का अभाव था। यही भाषा है जिसमें कहानी लिखने की प्रतिज्ञा, इंशाअल्ला खाँ ने आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में की -'हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं हो।'

दिल्ली के आसपास विकसित होने वाली भाषा उस काल में 'हिंदी' या 'हिंदवी' कहलायी। 'खालिकबरी' में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है पर माना जाता है कि वह बहुत बाद में किसी अन्य 'खुसरोशाह' की रचना है। खुसरो का ही एक अन्य वाक्य उद्धृत कर दिया जाता है। 'जुज़्बे चंद नज़्में हिंदी नीज नज़ेदोस्ताँ करदा शुदा अस्त' इसकी प्रामाणिकता में संदेह है। एक स्थान पर वे स्वयं कहते हैं :

> तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब।
> (मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ।)

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने यह माना है कि 'हिंदी' शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए होता था जबकि 'हिंदवी' शब्द का 'मध्यदेशीय भाषा' के लिए। ... 'हिंदुवी' या 'हिंदवी' वो भाषा थी जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित थी और मध्यदेश में सहज रूप में प्रयुक्त हो रही थी।

अमीर खुसरो (अबुल हसन) हिंदवी में लिखने वाले ऐसे कवि हैं जिनका जन्म भी पछाँह में (एटा के पटियाली स्थान) हुआ। आपकी प्रतिभा से गुरु निजामुद्दीन औलिया बहुत प्रभावित हुए और अलाउद्दीन ने उनहें 'खुसरुएशारआ' की पदवी दी और बाद में कुतुबुद्दीन शाह सुल्तान ने पर्याप्त सोना व रत्न प्रदान किए। सन 1324 में औलिया की मृत्यु के समाचार को पाकर यह दोहा पढ़ा और बेहोश हो गए :

> गोरी सोवे सेज पै मुख पर डारे केस।
> चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देस।।

उस शताब्दी में उनकी कोटि का लेखक और वह भी भारतीय भाषा में होना आश्चर्यजनक घटना मानी जाती रही। एक नमूना द्रष्टव्य है :

> एक नार वह दाँत दतीली।
> दुबली पतली छैल छबीली।।
> जब वा तिरयंहि लागे भूख।
> सूखे हरे चबावै रुख।।

उनकी अत्यधिक प्रसिद्ध पहेली है :

> रोटी जली क्यों ?
> घोड़ा अड़ा क्यों ?
> पान सड़ा क्यों ?

एक बात उल्लेखनीय है कि उस समय के दो प्रसद्धि ग्रंथों में देहलवी' भाषा का उल्लेख मिलता है। जैसा नाम से स्पष्ट है - वह भाषा जो देहली' के आसपास बोली जाती थी।

नुह सिपेहर नामक ग्रंथ के तीसरे सिपेहर में उल्लेख है :

'अन्य भाषाओं के समान हिंदुस्तान में प्राचीन काल से हिंदवी बोली जाती थी किंतु गोरियों और तुर्कों के आगमन के उपरांत लोगों ने फ़ारसी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। हिंदुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं -

सिन्ध, लाहौरी, कश्मीरी, धीर समुद्री, तिलंगी, गूजरी, भावरी, गौरी, बंगाली तथा अवधी, देहलवी। (गुजराती) (कोंकणी) (गौड़ी)।

(टिप्पणी : धीर समुद्री वस्तुतः ध्रुव (ध्रुर) समुंदरी है।)

इसके अतिरिक्त एक अन्य भाषा है जिसका प्रयोग केवल ब्राह्मण करते हैं। इसका सर्वसाधारण को कोई ज्ञान नहीं है। इसका नाम संस्कृत है। (वस्तुतः यह 'देहलवी' ही 'हिंदवी' है जिसका अन्यत्र भी उल्लेख किया गया है।

(खिलजीकालीन भारत, पृ. 180)

दूसरा ग्रंथ अकबरकालीन है जिसकी रचना अबुल फज़ल ने 'आइने अकबरी' शीर्षक से की। इसमें भी 'देहलवी' का प्रयोग है :

देहवली, बंगाली, मुलतानी, मारवाड़ी, गुजराती, तिलंगा, मरहठी, कर्नाटकी, सिंधी, अफगानी, बलूचिस्तानी, कश्मीरी।

इससे स्पष्ट है कि खुसरो से अबकर तक 'देहलवी' नाम अधिक प्रचलन में था।

इसका यह तात्पर्य नहीं है कि 'हिंदवी' नाम का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। कश्मीर के एक इतिहास में एक स्थान पर 'हिंदवी' का प्रयोग मिलता है :

'उसके राज्यकाल में (सुल्तान जैनुल आबदीन बिन सुल्तान सिंकदर बुत किशन) सुतूम नामक एक बुद्धिमान था जो कश्मीरी भाषा में कविता करता था और हिंदवी के ज्ञान में भी अद्वितीय था।' (उत्तर तैमूरकालीन भारत (भाग-2), पृ. 218)

खुसरो के अलावा भी अन्य कई ऐसी भाषा लिख रहे थे। लहंदा के बाबा फ़रीद शकरगंज की भाषा का नमूना :

मुंडा मुंडा मुँडाइया सिर मूंडे क्या होय।
कितना भेड़ा मूँड़िया सुरग न लद्धे कोय।।

टिप्पणी : लगभग यही भाव कबीर की साखी में भी है।

तेरहवीं शताब्दी के एक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा :

बिरह तुम्हारे यार की बात न पूछे कोय।
भाग भयो हनतहि बिरह सब जग बैरी होय।

इसी समय के शरफुद्दीन बू अली कलंदर कहते हैं :

सजन सकारे जायेंगे नैन मरेंगे रोय।
विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होय।।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अमीर खुसरो ने जिस भाषा (हिंदवी) में अपनी मुकरियाँ, दो सखुना, निसबत, ढकोसला, पहेलियाँ आदि लिखीं वही भाषा उस समय जन-सामान्य में प्रचलित थी। खुसरो कवि ही कहीं, गायक व संगीतज्ञ भी थे। इस दिशा में उन्होंने कई प्रयोग किए। माना जाता है कि सितार और तबले का प्रारंभ भी खुसरो ने ही किया। बिखरी हुई सामग्री के अतिरिक्त 'खालिकबारी' की रचना भी मिलती है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा से हो चुका है।

29.4.2 कबीर

भावों की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। संत काव्य की भाषा सामान्य जनभाषा है। भक्ति काल के सभी कवियों ने लोकभाषा को अपनाया। कबीर ने जिस वाणी का प्रयोग किया वह लोक वाणी थी

क्योंकि वह अपने संदेश को जन-जन के मानस तक पहुँचाना चाहते थे। वह किसी एक प्रदेश के नहीं, सार्वदेशिक थे, अतएव उनकी भाषा भी सार्वदेशिक थी। अपनी लोकभाषा को उन्होंने और कुछ न कहकर 'भाषा' ही कहा:

संस्कीरत है कूप जल, भाषा[1] बहता नीर।

इस बहते नीर का प्रयोग ही उन्होंने अपनी वाणी में किया। उनकी वाणी सहज थी, उसमें जनप्रिय लोकोक्तियाँ-मुहावरे भरे पड़े हैं। कबीर द्वारा प्रयुक्त इस जनभाषा अथवा लोकभाषा को एक भाषा से अभिहित करना संभव भी नहीं है। कबीर पन्द्रहवीं शताब्दी के लोककवि हैं। डॉ. माताबदल जायसवाल तथा डॉ. महेन्द्र ने कबीर की भाषा पर शोध कार्य सम्पन्न किए। डॉ. महेन्द्र ने 'कबीर कोश' भी तैयार किया और भी कई उल्लेखनीय कार्य भाषापरक हुए। डॉ. हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने 'कबीर' पर अध्ययन प्रस्तुत कर आलोचना की एक नई पद्धति ही विकसित कर दी। डॉ. माताबदल जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कबीर की भाषा को इसी श्रृंखला की कड़ी स्वीकार किया :

'गोरखनाथ तथा अमीर खुसरो की भाषा कबीर की हिंदवी की पूर्वगाती कड़ी और दक्खिनी कवियों की हिंदवी कबीर की भाषा की एक समसामयिक कड़ी कही जा सकती है।' (कबीर की भाषा, पृ. 231)

कबीर की भाषा में अनेकरूपता या कहें अनेक विभिन्न बोलियों का मिश्रण अद्भुत ढंग से दिखाई देता है। प्रारंभिक खड़ी बोली मध्य देश के विभिन्न रूपों-उपरूपों पर आधारित है। यह सत्य है कि उसमें पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी आदि अनेक लोक-बोलियों के शब्द तथा रूप विद्यमान हैं। तभी तो आचार्य रामचन्द्र शुकल ने उसको 'सधुक्कड़ी' कहा। वस्तुतः कबीर की भाषा 'पचमेली सधुक्कड़ी' है जो उस समय की सर्वमान्य भाषा थी। 'सधुक्कड़ी' पर आचार्य शुक्ल ने 'बुद्धचरित' की भूमिका में विस्तृत टिप्पणी की है। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त 'सधुक्कड़ी' शब्द पर डॉ. व्रजेश्वर वर्मा की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है :

'पंचमेल भाषा होना उसे दूषित मानने का नहीं, उसकी सर्वग्राह्यता का लक्षण और गुण होता है। वाक् समूह में से सर्वमान्य मानक भाषा के विकास की यह प्रक्रिया सार्वकालिक और सार्वदेशिक है।'

कबीर की समन्वय साधना तथा लोकतत्व की प्रधानता इस काल में युग पुरुष गांधी में थी। काशीवासी होते हुए भी कबीर की भाषा काशी की नहीं, वरन् लोक की भाषा थी जिसमें पूर्वी बोली की अपेक्षा पश्चिमी भाषा के तत्व अधिक विद्यमान रहे तथा अनेक भाषाओं/बोलियों के शब्द, कारक चिह्न, क्रियापदों का मिश्रण है। उसी प्रकार गांधी जी ने गुजरात प्रदेश में जन्म लेकर जनभाषा का प्रयोग किया जिसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, चलते अंग्रेज़ी आदि के शब्द तो थे ही पर अज्ञात रूप से विभिन्न प्रदेशों की शब्दावली भी बढ़ती गई। गांधी जी ने 'हिंदुस्तानी' नाम से अभिहित करने की चेष्टा की थी। कबीर की भाषा को 'तत्कालीन हिंदुस्तानी' कहा जा सकता है। (खड़ी बोली मुसलमानों की भाषा हो चुकी थी। मुसलमान भी साधुओं की प्रतिष्ठा करते थे, चाहे वे किसी दीन के हों। इससे खड़ी बोली दोनों धर्मों के अनपढ़ लोगों के साथ लगने वाले और किसी एक के भी शास्त्रीय पक्ष से संबंध न रखने वाले साधुओं के बड़े काम की हुई।) कबीर ने इस लोक-भाषा की शक्ति को पहचाना था और उसे अपनाकर स्वाभाविक बल के साथ उसको अपनाया, विकास भी किया। कबीर की भाषा पर सबसे अधिक विवाद कबीर के इस दोहे को लेकर हुआ :

बोली हमारी पूरब की, हमें लखा नहिं कोय।
हमको तो सोई लखै, घर पूरब का होय।

'पूरब (पूर्व) की बोली' से कुछ लोगों ने आशय काशी की बोली से लिया और कुछ ने इससे अर्थ देश-विदेश की भाषा नहीं, हृदय-देश में होने वाली आध्यात्मिक अनुभव की वाणी या आदि वाणी से लिया।

---

1 परंपरा से प्रचलित भाषा के लिए 'भाषा' का प्रयोग होता आया है : (1) लिखि भाषा चौपाई कहै। (जायसी) (2) भाषा भनति मोर मति थोरि (तुलसीदास) (3) भाषा-निबद्धमति मंजुल। (तुलसीदास) (4) भाषा बोल न जानाहि जेहि के कुल के दास (केशवदास)। संस्कृत ग्रंथों की लोकभाषाओं में लिखी टीका को 'भाषाटीका' (भाषा टीका कीन्ह) कहा गया। राम प्रसाद निरंजनी का प्रसिद्ध ग्रंथ है – भाषा योगवशिष्ठ। इससे पूर्व अपभ्रंश काल में संस्कृत से इतर लोकवाणी अपभ्रंश को 'देशी' या 'भाषा' की संज्ञा दे दी गई।

लेखक स्वयं भी उसके आध्यात्मिक पक्ष का पक्षधर है, पूर्वी क्षेत्र की बोली से इसका दूर तक संबंध नहीं है। इस संबंध में विस्तार के लिए द्रष्टव्य है 'कबीर की भाषा' (डॉ. भाटिया, राष्ट्रवाणी, सितम्बर 1960)।

मध्यदेशी भाषा

'देहलवी-हिंदवी' ही मध्यदेश की भाषा थी जिसको 'मध्य देश की बोली' भी कहा गया। बनारसी दास जैन ने अपने ग्रंथ 'अर्थकथानक' (सन् 1698) में इस ग्रंथ की भाषा को 'मध्यदेश की बोली' कहा :

चौपाई

मध्यदेस की बोली बोलि।
गर्भित बात कहौ हिय खोलि।
भाखूँ पूरब-दसा चरित्र।
सुनहु कान धरि मेरे मित्र ।।7।।

दोहा

याही भारत सुखत में मध्यदेश सुभ ठाँउ।
बसौ नगर रोहतगपुर निकट बहोली गाँउ।।

29.5 हिंदी की बोलियों का विकास

विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ विकसित हुईं जिनको मोटे रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :

अपभ्रंश	आधुनिक भाषाएँ/उपभाषाएँ	
शौरसेनी	पश्चिमी हिंदी :	ब्रजभाषा , कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली बांगरू (हरियाणवी)
	राजस्थानी :	पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) पूर्वी राजस्थानी (जयपुरी) उत्तरी राजस्थानी (मेवाती) दक्षिणी राजस्थानी (मालवी, मेवाड़ी)
	पहाडी :	पश्चिमी पहाड़ी (हिमाचल, मंडियाली, चंबाली आदि गुजराती)
		(यह शूरसेन-प्रदेश की भाषा थी। काव्य रचना के 'ब्रज' भाखा (भाषा) का सर्वाधिक आदर रहा। यही कारण है कि गुजरात के भुज (काठियावाड़) में ब्रजभाषा की पाठशाला अठाहरवीं शताब्दी में स्थापित हो गई थी। इस अपभ्रंश का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में इसका विशेष उल्लेख किया है। अन्य भाषाएँ/उपभाषाएँ भी ब्रजभाषा से सीधा संबंध रखती हैं।)
पैशाची		लहंदा - पंजाब की भाषा
ब्राचड		सिंधी
महाराष्ट्री		मराठी (बाबू श्यामसुंदर दास के अनुसार महाराष्ट्री उस समय समस्त बृहत्तर राष्ट्र की भाषा थी। 'गाहा सत्तसई' (गाथा सप्तशती) की रचना इसमें की गई।)
मागधी		बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी (भोजपुरी, मगही, मैथिली)

अर्ध-मागधी	पूर्वी हिंदी - अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी (भगवान महावीर ने अपने धर्म प्रचार के लिए इसी भाषा को अपनाया।)

अपभ्रंश के अन्य प्रकार से भेद डॉ. तगारे ने निम्नलिखित किए हैं :

- पश्चिमी अपभ्रंश (यह लगभग वही है जिसे शौरसेनी कहा गया है।)
- दक्षिणी अपभ्रंश (इस भाषा में ही पुष्पदंत का 'महापुराण' लिखा गया। डॉ. नामवर सिंह ने विवेचन कर इस प्रकार की कल्पना को अवैज्ञानिक माना है।)
- पूर्वी अपभ्रंश (इसके अंतर्गत सरह का काव्य व दोहा कोश की रचना हुई।)

इसी प्रकार अन्य भेद भी माने गए हैं, जैसे ग्यारहवीं शताब्दी में नेमिसन्धु ने तीन भेद किए हैं :

- उपनागर
- आभीर
- ग्राम्य

अन्य मत :

- नागर
- उपनागर
- ब्राचड

मार्कण्डेय ने अपने ग्रंथ 'प्राकृत सर्वस्व' में माना है :

- पांचाली (पांचाल प्रदेश में)
- वैदर्भी (बरारी)
- आभीरी
- लाटी
- मध्यदेशीय
- औड्री
- गुर्जरी
- कैकेयी
- पाश्चात्य
- गौड़ी

इनमें 'नागर अपभ्रंश' विशिष्ट अपभ्रंश बन गई और साहित्यिक भाषा का स्थान प्राप्त कर लिया। इसी में पश्चिमी भारत के अनेक ग्रंथों की रचना की गई। यही शौरसेनी अपभ्रंश भी कहलायी। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी 'शौरसेनी भाषा की परंपरा' शीर्षक से अपने आलेख में विचार प्रकट करते हैं :

'यह सच है कि शौरसेनी अपभ्रंश उन दिनों की (आंतरिक) आंत:प्रादेशिक भाषा ही थी और आजकल **ब्रजभाषा, खड़ी बोली** आदि विभिन्न [illegible] की हिंदी का उद्‌भव इस शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ। आज की तरह एक हज़ार वर्ष पहले हिंदी ही अपने पूर्व रूप में आंत:प्रादेशिक भाषा के रूप में अखिल उत्तर भारत में फैली थी और तमाम आर्य भाषी लोगों में पढ़ी-पढ़ाई और लिखी जाती थी। धीरे-धीरे मध्यदेश की दो भाषाएँ अपभ्रंश की वारिस बनीं - आगरा, मथुरा और ग्वालियर की ब्रजभाषा और दिल्ली की खड़ी बोली।''

मागधी अपभ्रंश से ही बिहार की भाषाएँ विकसित हुई हैं।

बिहारी : वस्तुत: 'बिहारी' बिहार में बोली जाने वाली हिंदी की उपभाषाओं-बोलियों का समूह है जिसमें मैथिली, मगही तथा भोजपुरी मध्यत: आती हैं। भोजपुरी तो उत्तरप्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है जिसमे पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी होता है। शब्द सामर्थ्य पर भी कई कार्य हो चुके हैं। मगध में बोली जाने वाली भाषा 'मगही' है और मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा 'मैथिली' है। मैथिली में पर्याप्त साहित्य शताब्दियों पूर्व ही लिखा गया।

29.5.1 मैथिली का विकास

मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित भाषिक रूप ही 'मैथिली' है जो पूर्वी हिंदी और बंगला क्षेत्र की संधि रेखा पर है। हिंदी के प्रारंभिक कवि-साहित्यकार विद्यापति इस क्षेत्र के हैं जिन्होंने जहाँ अपनी कृति 'कीर्तिलता' को अवहट्ठ भाषा में लिखा, वहीं अपने गीतों की रचना मैथिली में की। विद्यापति रचित पदावली हिंदी भाषा में एम.ए. की परीक्षा में पढ़ाई जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन रस-सिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति के अतिरिक्त गोविंददास, रणजीतलाल, हरिमोहन झा आदि अनेक कवियों ने इस भाषा में रचनाएँ प्रस्तुत कीं।

आधुनिक काल में नागार्जुन ने भी मैथिली में लिखा है। साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा भारत की भाषाओं में मैथिली को साहित्यिक मान्यता मिल जाने के कारण इस भाषा के साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाता है।

इस भाषा के शीर्षस्थ कवि हैं विद्यापति, जो मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात रहे हैं। गीति काव्य के मूर्धन्य कवि होने के कारण इनको 'अभिनव जयदेव' भी कहा जाने लगा।

उनके काव्य में प्रेम तथा शृंगार की प्रधानता है। आपके पद सरस तथा गेय हैं जिनका संकलन अब 'विद्यापति की पदावली' के रूप में किया जा चुका है। पदावली के अतिरिक्त आपकी अन्य रचनाएँ भी हैं :

- 'कीर्तिलता'
- 'कीर्तिपताका'
- 'गोरक्ष विजय नाटक'।

के अतिरिक्त संस्कृत में अनेक रचनाएँ मिलती हैं।

विद्यापति किस काल में हुए, इस पर पर्याप्त विवाद है फिर भी यह कहा जा सकता है कि वह सन् 1350 से 1450 ई. के मध्य विद्यमान रहे। इस प्रकार उनका रचनाकाल चौदहवीं शताब्दी माना जा सकता है। संस्कृत के विद्वान होते हुए भी लोक-भाषा को - मैथिली को - मान्यता दी। मैथिली पर बंगला प्रभाव परिलक्षित होता है।

विद्यापति के पदों में शृंगार और प्रेम की प्रधानता होते हुए भी लगभग सभी आलोचकों ने उन्हें परम वैष्णव भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया है। शिव, दुर्गा, गंगा की स्तुति में अनेक रचनाओं के मिलते हुए भी उन्होंने राधा-कृष्ण के शृंगार का वर्णन विशेष रूप से किया जो जन-जन के कंठ में विद्यमान रहे। माना जाता है कि इन पदों को गाते-गाते महाप्रभु चैतन्य भावविभोर हो जाते थे। जयदेव और चंडीदास की भावधारा को उन्होंने अपने पदों द्वारा आगे प्रवाहित किया। राधा-कृष्ण के प्रेम की भावधारा प्रवाहित करने के कारण और जन-जीवन को प्रभावति करने के लिए उन्हें शैव होते हुए भी कृष्ण-भक्त कवि के रूप में ही मान्यता प्राप्त हुई। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उस युग में प्रचलित तीन भाषाओं में रचनाएँ प्रस्तुत कीं :

संस्कृत : गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा आदि।

अवहट्ठ (हिंदी का पूर्व रूप) : कीर्तिलता, कीर्तिपताका।

मैथिली (लोकभाषा) : पदों की रचना।

सौंदर्य और प्रेम की प्रधानता होने के कारण पदों ने मानव-मन को अधिक प्रभावित किया।

नख-शिख सौंदर्य का एक दृश्य-चित्र उपस्थित है :

खने खने नन कोन अनुसरई।
खने खने वसन धूलि तनु भरई।

चउकि चलए खने खने भलु मंद।
मनमथ पाठ पहिल अनुबंध।

हिरदय मुकुल हेरि हेरि थोर।
खने आंचर दए खने होय भोर।

कुछ अन्य पंक्तियाँ भी प्रस्तुत की जा रही हैं जिन्होंने जन-मानस को मुग्ध किया :

कुच-भय कोमल-कोरक जल मुदिरहु, घट परिबेस हुतासे।
दाड़िम सिरिफल गगन बास करु, शंभु गरल कंठग्रासे।

उनके इष्टदेव शंकर होते हुए भी श्रृंगार प्रधान रचनाओं ने जनमानस को इतना अधिक प्रभावित किया कि उनके पद जन-जन के कंठ में बस गए और मैथिली लोकभाषा को जो प्रतिष्ठा मिली यह आज तक विद्यमान है।

29.5.2 अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास

जायसी पूर्व अवधी की परंपरा पर डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ 'प्रारंभिक हिंदी' शीर्षक से उपलब्ध है। अवधी भाषा पर पहला उल्लेखनीय कार्य डॉ. बाबूराम सक्सेना का 'अवधी का विकास' है।

'कोसल' अवध का प्राचीन नाम है अतएव इस भाषा को 'कोसली' या 'पूर्वी' की संज्ञा भी दी जाती है। 'बैसवाड़ी' इस क्षेत्र के प्रमुख बोली है। जो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर में बोली जाती है। अवधी को मोटे रूप में तीन भागों में बाँट सकते हैं:

- पश्चिमी (खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर)
- केंद्रीय (बहराइच, बाराबंकी, रायबेरली)
- पूर्वी (गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर का कुछ भाग)

यह वही भाषा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' है जिसको आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। भारत तथा विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। जायसी रचित महाकाव्य 'पदमावत' की रचना भी इस भाषा की हुई।

अवधी की भाषिक संरचना तथा रूप-रचना पर डॉ. ज्ञानशंकर पांडेय तथा डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कार्य सम्पन किए हैं। सीमावर्ती जिलों में अवधी समीपस्थ भाषाओं से प्रभावित हुई, जैसे ·

सीतापुर में कन्नौजी से

फतेहपुर में कन्नौजी से

इलाहाबाद के दक्षिण-पूवी भाग में भोजपुरी व बघेली से।

काव्य भाषा के रूप में अवधी के दो भेद हैं :

1. ठेठ अवधी
2. साहित्यिक अवधी।

ठेठ अवधी में सूफ़ियों की काव्यधारा प्रवाहित हुई। प्रारंभ में इसको प्रतिष्ठित करने का श्रेय मुल्ला दाऊद को है। प्रथम साहित्यिक ग्रंथ 'चंदायन' है। वाचिक परंपरा में अवधी बहुत प्राचीन है। 'प्राकृत पैंगलम्' में पुरानी अवधी के रूप मिलते हैं।

अपभ्रंश में 'कहा' ग्रंथों की परंपरा प्राप्त होती है, जिसकी कुछ छवि 'चंदायन' में भी प्राप्त हुई:

> दाऊद कवि जो चाँदा गाई।
> जेइ रे सुना सो गर मुरझाई।।

(दाऊद कवि ने जो चाँदा गया उसे जिसने सुना वही वहाँ मूर्च्छित हो गया।)

चंदायन में दोहा-चौपाई की कड़बक शैली का प्रयोग मिलता है। चंदायन 'लोरिक' के संपूर्ण जीवन पर आधारित है।

जायसी ने 'पदमावत' में अपने पूर्व-रचित काव्य ग्रंथों - अखरावट, कहारनामा, चम्पावत - आदि का उल्लेख किया। अभी तक जायसी पूर्व कुतुबन कृत 'मृगावती' प्राप्त हुई है जिसका प्रकाशन हो चुका है। 'मृगावती' अपने समय में पर्याप्त लोकप्रिय रही। 'मृगावती' की भाषा सहज और स्पष्ट है, अलंकृत नहीं।

दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ मंझन कृत 'मधुमालती' है। मंझन की अवधी अधिक सरल है। कृति में विरह वर्णन प्रभावपूर्ण है।

जायसी रचित 'पदमावत' प्रेमाख्यानों की परंपरा में मूर्धन्य है। पदमावती को केंद्र में रखकर अनेक ग्रंथ लिखे गए। इस महाकाव्य में मसनवी शैली का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। सूफी कवियों ने भारतीय लोक-कथानकों को अवश्य लिया पर तसव्वुफ़ के आधार पर फारसी की मसनवी शैली में रचना की। प्रेम की पीर ही उनकी साधना का मूल मंत्र रहा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर समन्वयात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। भाषायी आधार ठेठ अवधी रहा। भाषा की दृष्टि से ये पंक्तियाँ विशिष्ट हैं:

> तुरकी अरबी हिंदुई भाषा जेती आहि।
> जोहि मँह मारग प्रेम कर सबै सराहै ताहि।

जायसी ने जनभाषा को विशेष महत्व दिया। सरल भाषा में गंभीर भाव व्यक्त किए हैं:

> मुहम्मद जीवन जल भरत रहँट घरी की रीति।
> घरी सो आई ज्यों भरी छरी जनम गा बीति।

स्थानीय प्रयोग और लोक जीवन की शब्दावली से भाषा पुष्ट हुई है। इन बिंबों की ओर संकेत करते हुए डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि 'कवि ने इन बिंबों का चुनाव सामान्य भारतीय जनजीवन से किया है इसलिए भी उनका संप्रेषण बेजोड़ है।' उसमान कृत 'चित्रावली' भी 'पदमावत' की तरह है। नूर मुहम्मद के ग्रंथ 'इंद्रावली' और 'अनुराग बाँसुरी' हैं।

29.5.3 ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास

उत्तर भारत की प्राय: सभी साहित्यिक भाषाएँ 'मध्यप्रदेश' की बोलियों का परिष्कृत रूप रही हैं।

मध्यदेश मूलत: गंगा-यमुना के मध्य का प्रदेश अपनी महान सांस्कृतिक परंपरा के लिए सदैव स्मरणीय रहा है। मूल शौरसैनी का बोली रूप 'ब्रज' ही इन जनबोलियों में से एक रही। ग्यारहवीं शती में मध्यदेश की जनभाषा के रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ। एक ओर वीरता और शौर्य के भावों से परिपुष्ट होकर नई शक्ति का संचार हुआ दूसरी ओर मध्य युग के भक्ति आंदोलन के प्रमुख माध्यम के रूप में इसको सम्मान मिला जिससे इसका स्वरूप अखिलभारतीय हो गया। अपनी पूर्वज भाषाओं को धरोहर के रूप में प्राप्त कर इसके वैभव में वृद्धि हुई।

इस विशाल मध्यदेश में नौ महाजनपद थे। इसी के अंतर्गत मत्स्य, शूरसेन, कुरु तथा पांचाल - इन चार जनपदों से बना भूभाग महत्वपूर्ण रहा है। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार मनु के इस ब्रह्मर्षि देश का क्षेत्र वही है जो आज ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ब्रजभाषा के क्षेत्र में आज यह भूभाग आता है :

- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर (खुर्जा), एटा, मैनपुरी, बदायूँ तथा बरेली।
- हरियाणा प्रदेश के गुड़गाँव जिले की पूर्वी पट्टी।
- राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा जयपुर का पूर्वी भाग।
- मध्य प्रदेश में ग्वालियर का पश्चिमी भाग।

कन्नौजी वस्तुत: ब्रज का ही पूर्वी रूप है जबकि बुंदेली दक्षिणी रूप। इनको सम्मिलित कर लेने से यह क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जाता है।

ब्रजभाषा के उदय और विकास के अनेक उलझे हुए रूपों को लेकर 'सूर-पूर्व ब्रजभाषा' के विद्वान लेखक डॉ. शिवप्रसाद सिंह ने कहा है – 'इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रजभाषा के विकास के पीछे सैकड़ों वर्षों की परंपरा छिपी है। पर इस परंपरा के विकास में आर्य-अनार्य कोल-द्रविड़ और न जाने कितने प्रकार के प्रभाव घुले-मिले हैं। आर्य भाषा को प्राचीन से नवीन तक विकसित होने में जितने सोपान पार करने पड़े हैं उन सबकी कुछ न कुछ विशेषता है। इन सबका संतुलित और आवश्यक दाय ब्रजभाषा को प्राप्त हुआ उनके निरंतर विकासशील तत्व इस भाषा के ढाँचे में प्रतिष्ठापित हुए। एक हजार ईस्वी के आसपास शौरसेनी अपभ्रंश की अपनी जन्ममूमि में ब्रजभाषा का उदय हुआ। उस समय उसके सिर पर साहित्यिक अपभ्रंश की छाया थी और रक्त में शौरसेनी भाषाओं की परंपरा और अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का ओज और बल। पश्चिमी अपभ्रंश को एक प्रकार से ब्रजभाषा और हिंदुस्तानी की उनके पहले की ही पूर्वज कहना उचित है।'

हेमचन्द्र की 'देशीनाममाला' में भी अनेक ब्रजभाषा की शब्दावली (काहरो, कुंडय, कुल्लड़, गगरी, घग्घर) हैं। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने माना है कि 'पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है।'

ब्रजभाषा में गेय पदों का प्रचलन 12-13 वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था जो आज तक विद्यमान है। प्रारंभ में सामंती दरबारों में संगीत का सम्मान किया जाता था। संगीत का आंनद लेने के लिए गेय पदों की रचना अनुकूल और सहज प्रतीत होती है। ब्रजभाषा गेय पदों का जादू पूरब में पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सबको सम्मोहित कर गया। 'ध्रुपद' के लिए ब्रजभाषा अनुकूल रही।

कृष्ण भक्ति संप्रदाय में निम्बार्क, वल्लभ, राधावल्लभ, चैतन्य, हरिदासी आदि सभी ने ब्रजभाषा में गेय पदों की रचना की जिनकी संख्या लाखों में है। आज भी सहस्रों हस्तलिखित ग्रंथ प्रकाश की बाट जोह रहे हैं।

भक्तिकाल के बाद तो रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य ब्रजभाषा में ही है। आधुनिक काल में भारतेंदु और उनके परिवार के अधिकांश साहित्यकारों ने काव्य रचना ब्रजभाषा में की। बीसवीं शताब्दी के कवियों में सर्वश्री नवनीत हृषीकेश चतुर्वेदी, रत्नाकर, गोविंद चतुर्वेदी, रसाल, डॉ. जगदीश गुप्त आदि सैकड़ों कवियों ने काव्य रचना की। ब्रजभाषा के अखिल भारतीय महत्व के कारण सन 1676 ई. में ही ब्रजभाषा (भाखा) व्याकरण लिखा गया था। बाद में लल्लू जी लाल ने भी एक पुस्तक लिखी : General Principles of Inflections and Conjugation in the Braj Bhakha - 1811

ब्रजभाषा के भक्त कवि संपूर्ण भारत में हुए। गुजरात में दीर्घ परंपरा रही। नरसी मेहता की भाषा में पश्चिमी अपभ्रंश प्रकारांतर से ब्रजभाषा का प्रभाव रहा। अष्टछाप के कवि कृष्णदास गुजरात के थे। वल्लभ संप्रदाय की अष्टम शाखा ने इस भाषा का प्रचार प्रसार उत्तर-पश्चिम भारत में किया। संपूर्ण भारत को एकसूत्र में पिरोने का कार्य ब्रजभाषा ने संपन्न किया।

29.5.4 हिंदी की बोलियों में अंत:संबंध

एक भाषा की सभी बोलियों/उपभाषाओं में पारस्परिक बोधगम्यता रहती है। यदि कुछ बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता विद्यमान है तो बोलियाँ निश्चित रूप से किसी एक भाषा से संबंधित होंगी। परस्पर बोधगम्यता के लिए कुछ तत्व आवश्यक हैं :

- व्याकरणिक गठन में कुछ न कुछ समानता।
- जातीय समानता।
- विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक समानता।

उपर्युक्त तत्वों में जितनी अधिक समानता होगी परस्पर बोधगम्यता उतनी अधिक रहेगी।

हिंदी की सभी उपभाषाएँ/बोलियाँ एक-दूसरे से इतनी गुँथी हुई हैं कि कभी-कभी यह पहचानना संभव नहीं होता कि पृथकता कितनी है। तुलसी कृत 'रामचरितमानस' इसका ज्वलंत उदाहरण है जो मूलत: 'अवधी' में लिखा गया है जिसमें ब्रजभाषा का पुट भी पर्याप्त है। यही कारण है कि 'रामचरितमानस' सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता पर टिप्पणी करते हुए डॉ. कैलोग ने लिखा था:

"अब तक हिंदी के सभी वैयाकरणों ने उस पूरबी हिंदी की समान रूप से उपेक्षा की है, जिसका प्रतिनिधित्व **तुलसीदास का रामायण** करता है। यह अलग बात है कि उसमें पछाँह की बोली का भी मिश्रण हुआ है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विश्व-व्यापी लोकप्रियता और जनता पर पड़े प्रभाव की दृष्टि से तुलसीदास के साथ कबीर...'' (हिंदी व्याकरण, (हिंदी पृ. 24)

'पृथ्वीराज रासो' की भाषा के अध्येता कभी अपभ्रंश की ओर, कभी राजस्थानी (डिंगल), तो कभी ब्रजभाषा (पिंगल) की ओर जाते हैं। स्पष्ट है कि कबीर 'पचमेली' या सधुक्कड़ी भाषा के प्रयोग के कारण ही इतने अधिक लोकप्रिय हुए जिसका झुकाव पश्चिमी हिंदी की ओर अधिक है। हिंदी भाषा के यह कुछ उदाहरण सिद्ध करते हैं कि पारस्परिक बोधगम्यता हिंदी की इन सब बोलियों में कितनी अधिक है।

हिंदी की उपभाषाओं/बोलियों में पारस्परिक संबंध को इस प्रकार भी समझ सकते हैं:

डॉ. ग्रियर्सन और डॉ. चटर्जी द्वारा दिए गए भारतीय आर्यभाषाओं के वर्गीकरण भी इस दिशा में पर्याप्त संकेत करते हैं।

29.6 खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ 'बुद्धचरित' (संवत् 1979) की भूमिका में कुछ ऐसे उद्धरण दिए जिनमें खड़ी बोली का पूर्व रूप भासित होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वयं उन्होंने इस महाकाव्य की रचना 'ब्रजभाषा' में की। कुछ बहुप्रचलित उदाहरण इस प्रकार हैं:

1. नवजल भरिया मग्गड़ गयाणि धड़क्कइ मेहु।

   (नये जल से भरा हुआ मार्ग, गगन में मेघ धड़कता है।)

   इसमें प्रयुक्त 'भरिया' क्रिया का भूतकालिक रूप है। इसी प्रकार के रूप कबीर में भी मिलते हैं:

   'टपका लगा फूटिया कुछ नहिं आया हाथ' (कबीर)

   आज खड़ी बोली में यही दोनों शब्द 'भरा' और 'फूटा' रूप में विद्यमान है।

2. महिवो ढह सचराहचरह जिण सिर दिह्णा पाय। (पुरानी हिंदी, पृ. 58)

   (पृथ्वी की पीठ पर जिसने सचराचर के सिर पर पाँव दिया।)

   दिन्हा = दिया

3. एक्के दुन्नय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स।

   (एक दुर्नय (अनीति) जो किया उससे निकली घर से)

   कया = किया

4. भल्ला हुआ जु मारिआ, बहिणि महारा कंतु। (पुरानी हिंदी, पृ. 162)

   (भला हुआ, जो मारा गया, बहिन, हमारा कंत)

   मारिआ = मारा गया, भल्ला = भला, कंत = पति

इस प्रकार, हिंदी में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के पूर्व रूप का पता विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी से लगता है जिसके संबंध में कुछ विस्तार से 'आरंभिक हिंदी' में लिखा गया है। यही भाषा क्रमशः साहित्य में व्यापकता से छा गई। इस व्यापकता के कारण अन्य प्रदेशों के शब्द/रूप भी इसमें समाहित होते गए। ऊपर जिन अंशों को उद्धृत किया है, वे सभी टकसाली भाषा के हैं।

कहीं-कहीं एक ही पद्य खंड में खड़ी और ब्रज दोनों भाषाओं के रूप प्रतिभासित होते हैं:

चलिअ > चलया > चला (खड़ी बोली)

किअ > कियउ > कियो (ब्रज भाषा)

किसी समय इसके आगे की कड़ियाँ टूटी और बिखरी मिलती थीं लेकिन अब एक ओर पर्याप्त साहित्य मिल गया है दूसरी ओर अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हो गए जिनसे नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, साथ ही अनेक नवीन बातों का उद्घाटन हुआ है।

'खड़ी बोली' शब्द अवश्य उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ का है लेकिन इस भाषा का विकास ग्यारहवीं शताब्दी से होने लगा। समय-समय पर भिन्न-भिन्न नाम चलते रहे।

डॉ. कमल सिंह ने अपने शोध प्रबंध 'गोरखनाथ की भाषा का अध्ययन' में बिखरी हुई इन कड़ियों को जोड़कर खड़ी बोली-श्रृंखला को पूर्ण करने का प्रयास किया है। वे कड़ियाँ इस प्रकार हैं:

1. राउलवेल की टक्की
2. गोरखनाथ की बानियाँ
3. खुसरो की हिंदवी

4. कबीर की भाषा
5. हिंदवी-हिंदुई-ह्यूंदई
6. दक्खिनी हिंदी

इस प्रकार यह ग्यारहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक की खड़ी बोली के साहित्यिक स्वरूप की शृंखला बनी। बाद में जो विकास हुआ वह सर्वविदित है जिसकी चर्चा आगे की जाएगी।

पहली कड़ी:

राउलवेल पर तो डॉ. भाटिया ने शोध-कार्य किया है जिसकी विस्तार से चर्चा 'आरंभिक हिंदी' के अंतर्गत की जा चुकी है। 'टक्की' के संबंध में डॉ. माता प्रसाद गुप्त की टिप्पणी द्रष्टव्य है:

"यह वर्णन कुछ पंक्तियों का ही होते हुए भी खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है और इससे ज्ञात होता है कि खड़ी बोली दिल्ली-मेरठ की ही भाषा नहीं थी, वह टक्क की भी भाषा थी, जो पहले पंजाब और अब हरियाणा में प्रवेश पाता है, और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि खड़ी बोली और साहित्य का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना उत्तर भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं का है।"

वस्तुत: 'टक्की' अपभ्रंश कहाँ बोली जाती थी इसका स्पष्ट उल्लेख अभी तक नहीं मिला। 'अपभ्रंश' पर राहुल जी ने बहुत अधिक कार्य किया और आधुनिक भाषाओं से संबंध भी स्थापित किया। उनके मतानुसार तो अपभ्रंश का साहित्य हिंदी का साहित्य है। इसी कारण राहुल जी ने चौरासी में से इक्यासी सिद्धों - सरहपा, लुईपा, कण्हपा आदि के विपुल साहित्य से उदाहरण देकर सिद्ध किया कि यह साहित्य हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का साहित्य है। अपभ्रंशों का बड़ी गहराई से उन्होंने अध्ययन किया और हेमानुशासन, प्राकृत चंद्रिका, कुवलयमाला से जिन चौबीस अपभ्रंशों को परिगणित किया उनमें 'टक्की' भी एक है जिससे विकसित 'मेवाड़ी' (?) को (प्रश्नवाचक चिह्न के साथ) माना है। हो सकता है, भविष्य में किसी कृति में और अधिक सूचना मिले।

दूसरी कड़ी :

हिंदी में गोरखनाथ का स्थान तो महत्वपपूर्ण है ही। मत-मतांतरों के होते हुए भी उनको सातवीं शती से बारहवीं शती के मध्य माना जाता है जिसके मध्यमान के रूप में दसवीं शताब्दी स्थिर होती है। डॉ. हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 'नाथ सम्प्रदाय' में इसको ही स्थिर किया। इस प्रकार राउलेवल और गोरख का साहित्य एक शती ग्यारहवीं का निश्चित होता है। हस्तलिखित प्रति पंद्रहवीं शताब्दी से पूर्व की नहीं मिलती है। काल निर्धारण तो मोटे तौर पर दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी है। क्षेत्र-निर्धारण की दृष्टि से डॉ. कमल सिंह के विचार महत्वपूर्ण हैं :

"आदिकालीन खड़ी बोली केवल दिल्ली-मेरठ की बोलियों पर ही आधारित नहीं थी। वस्तुत: वह पूर्वी पंजाब, मेवात, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोलियों के मिश्रण का एक परिनिष्ठ रूप है। ... निष्कर्ष निकलता है कि खड़ी बोली की पूर्व परंपरा में गोरख की भाषा दसवीं शती की ठहरती है।" (गोरखनाथ और उनका हिंदी साहित्य द्वितीय संस्करण, पृ. 13)।

ग़ोरखनाथ की भाषा के स्वरूप पर कम मतभेद नहीं है। संस्कृत शब्दों के विकृत प्रयोग हैं, अनेक बोलियों का उसमें पुट है, फ़ारसी-अरबी की कुछ शब्दावली है और मोटे रूप में सधुक्कड़ी है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने सहज रूप से कह दिया कि 'भाषा उनकी ऐसी कि आज भी हम लोग सरलता से समझ लेते हैं।' यहाँ कुछ अंश नमूने की तौर पर दिए जा रहे है :

> गगन मंडल[1] में ऊँधा कूबा[2] वहाँ अमृत[3] का बासा।
> सगुरा होइ सु भरि भरि पीवै, निगुरा जाइ पियासा।

XXX

---

1 ब्रह्मरंध्र
2 सहस्रार दल
3 आत्म तत्व

सबदहिं ताला[1] सबदहिं कूँची[2], सबदहिं सबद जगाया।
सबदहिं सबद सूँ परचा[3] हूआ, सबदहिं सबद समाया[4]।

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनकी भाषा पूर्णतया खड़ी बोली हिंदी है।

गोरखनाथ ने सिद्धों से चली आ रही 'संधा' भाषा को अपनाया। अपनाई गई भाषा मंत्रणा स्वभाव वाली, गुह्य प्रकृति वाली, प्रतीकों से युक्त भाषा थी। 'संधा' का अर्थ माना गया - अभिसंधि रहित या अभिप्राययुक्त भाषा। मंत्र सिद्धांत में प्रत्येक शब्द अक्षर का गुह्य, दिव्य, परम अर्थ होता है। इस शैली का सबसे अधिक प्रयोग नाथ-सम्प्रदाय के पोषक एवं प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने किया है। डॉ. कमल सिंह ने चार भागों में - रूपकात्मक, प्रतीकात्मक, विरोधात्मक, अद्भुत रसात्मक, बाँट कर संधा भाषा का विस्तृत विवेचन किया है।

शब्दावली में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग आध्यात्मिक रूपकों के लिए किया गया। आध्यात्मिक रूपकों की कुल संख्या 153 है। रूपक अथवा उपमा के माध्यम से स्पष्ट किए गए अंश पृथक हैं। यहाँ मात्र एक बहुप्रचलित उदाहरण दिया जा रहा है :

चींटा केरा नेत्र में गज्येन्द्र समाइला
गावडी के मुख में बाघला बिवाइला

(चींटी के नेत्र में हाथी गया। गाय के मुख में बाघ ब्या गया।)

स्पष्ट है कि चींटी = सूक्ष्म अध्यात्मिक स्वरूप
हाथी = स्थूल भौतिक रूप

अर्थ हुआ - जब जीव ब्रह्मरंध में ब्रह्मानूभूति प्राप्त करता है तो सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप में स्थूल भौतिक रूप समा जाता है।

ब्रज्रयानी सिद्धों से लेकर, गोरखनाथ और अन्य नाथ पंथियों तथा कबीर और उनके अनुयायियों तक में 'एक ही कविता प्रवाह चला आ रहा है' (राहुल)। विषय-वस्तु के साथ ही साथ इन संत कवियों ने अपनी पूर्ववर्ती शैली और प्रतीक योजनाओं को भी हू-ब-हू अपना लिया। कहीं-कहीं तो वाक्य और उपवाक्य तक समान मिल रहे हैं।

शेष कड़ियों - खुसरो, कबीर , हिंदुई तथा दक्खिनी का विवरण यथास्थान दे दिया गया है।

29.7 उर्दू

जबाने उर्दू-ए-मुअल्ला

राजकाज में फ़ारसी भाषा का प्रयोग जब कम हो गया तो हिंदवी का फ़ारसी-युक्त रूप 'जबाने-उर्दू-ए-मुअल्ला' - शाही खेमे या दरबार की भाषा - एक प्रकार से बादशाही भाषा बनी जिसका अठारहवीं सदी में फ़ौज-शासन में प्रयोग किया जाने लगा। यह समय मुग़ल साम्राज्य का अंतिम समय कहा जा सकता है। मुहम्मद बाकर 'आगह' (1743-1805 ई.) की रचनाओं में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। उनके अनुसार इस भाषा (भाका) उर्दू का प्रारंभ मुहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में हुआ। उन्होंने 'उर्दू की भाषा' (भाका) और 'दक्खिनी ज़बान' में इस प्रकार भेद किया :

> 'और इन सब रिसालों में शायरी नहीं किया हूँ, बल्कि साफ और सादा कहा हूँ और उर्दू के भाके में नहीं कहा क्या वास्ते कि रहने वाले यहाँ के (दक्षिणी) इस भाके से वाकिफ नहीं है। ऐ भाई यह रिसाले दक्खिनी ज़बान में है।'

उर्दू की उत्पत्ति के संबंध में पं. चन्द्रबली पांडेय ने शाह अब्दुल क़ादिर के विचार उद्धृत किए हैं। शाह जी ने कुरान शरीफ़ का अनुवाद किया और उसकी भाषा के संबंध में लिखा था:

1 परम तत्व को बंद करना
2 मूल तक शब्द द्वारा जाना
3 गुरु उपदेश
4 स्थूल शब्द में सूक्ष्म शब्द समाना

'अब कई बातें मालूम रखिए। अव्वल यह कि इस जगह तरजुमा लफ़्ज़बलफ़्ज ज़रूर नहीं, क्योंकि तरकीब हिंदी तरकीब अरबी से बहुत बईद है। ... दूसरे यह कि ज़बान रेख़ता नहीं बोली बल्कि हिंदी मुतारफ़ता अनाम को बेतकल्लुफ़ दरियाफ़्त हो।'

पांडेय जी के अनुसार शाह साहब ने 'रेख़ता' और 'हिंदी मुतारफ़' में भेद किया है। मौलाना अब्दुल हक़ ने हिंदी मुतारफ़ से वही ज़बान मुराद है जिसे आजकल **हिंदुस्तानी** से तबीर किया जाता है।' इसको ही डॉ. बेली ने उर्दू कहा है। उर्दू तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है - लश्कर (छावनी)। प्रारंभ में मुग़ल और तुर्क छावनी में ही रहते थे। उनका दरबार तथा रनवास सब लश्कर में ही होता था।

बाग़ोबहार के लेखक **मीर उम्मन** ने इस संबंध में व्यक्त किया है:

'हक़ीक़त उर्दू की ज़बान को बुजुर्गों के मुँह से यूँ सुनी है कि दिल्ली शहर हिंदुओं के नज़दीक चौजुगी है उन्हीं के राजा, परजा, क़दीम से वहाँ रहते थे और अपनी भाखा बोलते थे।
... लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ। इस वास्ते शहर का बाज़ार उर्दू कहलाया।
... इकट्ठे होने से आपस में लेन-देन, सौदा सुल्फ़, सवाल जवाब करते-करते एक ज़बान उर्दू की मुक़र्रर हुई। ... और वहाँ के शहर को **उर्दू-मुअल्ला** खिताब दिया।' (बाग़ोबहार, भूमिका)
शम्शुलउलेमा मुहम्द हसन ने भी लिखा है कि 'उर्दू का दरख़्त अगर्चे संस्कृत और भाषा की ज़मीन में उगा, मगर फ़ारसी की हवा में सरसब्ज़ हुआ है।'

सैयद इंशा अल्लाह ने साफ़-साफ़ लिखा कि लाहौर, मुल्तान, आगरा, इलाहाबाद की वह प्रतिष्ठा नहीं है जो शाहजहानाबाद या दिल्ली की है जहाँ उर्दू का जन्म हुआ:

'शाहजहानाबाद में खुशबयान लोगों ने एकमत होकर अन्य भाषाओं से दिलचस्प शब्दों को जुदा किया और कुछ शब्दों तथा वाक्यों में हेर-फेर करके दूसरी भाषाओं से भिन्न एक अलग नई भाषा ईजाद की और उसका नाम उर्दू रख दिया।' (दरिया-ए-लताफ़त)

उर्दू तो धीरे-धीरे आती है जिसको दाग़ साहब ने साफ़-साफ़ कह दिया:

> नहीं खेल है दाग़ चारों से कह दो,
> कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते।

यही कारण है कि इंशा साहब ने साफ़ कह दिया कि उसको ही मुस्तनद और सही उर्दू आएगी जो कुलीन-नजीब होगा जिसके माँ-बाप दिल्ली के निवासी हों। यह बात चुने हुए आदमियों के संबंध में ही है, स्वयं इंशा भी ठीक उर्दू के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी की ओर झुक गए क्योंकि रची हुई ताज़ा ज़बान को ठीक से नहीं पचा सके।

कालांतर में दिल्ली में जो उर्दू-ए-मुअल्ला या उर्दू भाषा थी वही लखनऊ में पहुँचकर 'उर्दू' बन गई और हल्की होकर लखनऊ की मजलिसी बन गई। उधर मीर साहब ने जामा मसजिद के इर्द-गिर्द की भाषा को बहुत महत्व दिया है। सरलता की दृष्टि से 'उर्दू-ए-मुअल्ला' के स्थान पर 'ज़बान-ए-उर्दू' अथवा मात्र 'उर्दू' रह गई।

माना जाता है कि भाषा के अर्थ में 'उर्दू' का प्रयोग मुसहफ़ी ने किया जिनकी मृत्यु सन 1824 ई. में हुई:

> ख़ुदा रक्खे ज़बाँ हमने सुनी है मीर वो मिरज़ा की,
> कहें किस मुँह से हम ऐ 'मुसहफ़ी' उर्दू हमारी है।

इससे स्पष्ट है कि मीर सौदा जिस ज़बान (भाषा) में लिखते थे वही उर्दू कहलायी जिसका उल्लेख सैयद सुलैमान नदवी ने किया है:

"चुनांचः लफ़्ज़ 'उर्दू' ज़बान के मानी में, देहली के अलावा किसी सूबा की ज़बान पर इतलाक नहीं पाया है। मीर तकी मीर की तहरीरी सनद में जब उसका नाम पहली दफ़ा आया तो देहली की ज़बान के लिए आया है, मगर फिर भी वह इस्तेलाह के तौर पर नहीं, बल्कि लुग़त के तौर पर आया है, यानी मीर ने 'उर्दू ज़बान' नहीं कहा, बल्कि 'उर्दू की ज़बान' कहा है।'' (द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ)

यही भाषा विकसित होती गई और हिंदी की शैली के रूप में स्वीकृत होते हुए भी संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित हुई।

29.7.1 दक्खिनी

भारत के दक्षिण में ले जाई गई दिल्ली-हरियाणा की बोली ही 'दक्खिनी' अथवा 'दकनी' कहलायी। इसका विकास ऐतिहासिक कारणों से 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य बहमनी, कुतुबशाही और आदिलशाही जैसे विभिन्न राज्यों में होता रहा जिसके केंद्र बीजापुर, गोलकुंडा, गुलबर्गा, बीदर आदि बने। शाही दफ़्तरों में इसको सरकारी ज़बान का दर्जा भी दिया गया। इसकी उत्पत्ति के संबंध में उर्दू व दकनी के विद्वान वरिष्ठ भाषाविद डॉ. मसूद हुसैन खाँ ने इस प्रकार लिखा है:

> 'कदीम (प्राचीन) दक्खिनी को अगर किसी बोली से गहरी निस्बत हो सकती है तो वह दिल्ली के नवाह (समीप) की दो बोलियाँ यानी खड़ी और हरियाणा हैं। जिनकी कदामत पर शुबह करना तारीखी नुक्ते-नज़र (ऐतिहासिक दृष्टिकोण) से सरासर ग़लत है। हमारे ख्याल से दकनी की तमाम खसूसियात नवाहे दिल्ली के पास के इज़लाह की बोलियों से की जा सकती है।' (अलीगढ़ तारीख-अदब उर्दू)

दक्खिनी भाषा का मूलाधार चौदहवीं-पन्द्रहवीं शती की वह खड़ी बोली है जो अपने मूल रूप में मेरठ, मुरादाबाद, हरियाणा में बोली जाती थी। दक्षिण और दक्खन एक होते हुए भी भाषापरक अर्थ में 'दक्खिनी' या 'दकनी' ही प्रयोग में आता है। मुसलमानों के आगमन के बाद में 'दक्खिनी' उस भूभाग के लिए प्रयुक्त होने लगा जो किसी समय दक्षिणापथ कहा जाता था। खानदेश और बरार को छोड़कर शेष महाराष्ट्र दक्खिन (Deccan) कहलाने लगा। गोदावरी और कृष्णा के मध्य का प्रदेश दक्खिन कहलाया। अकबर-काल में दक्खिनी सीमाओं में परिवर्तन हुआ। औरंगज़ेब ने छह प्रदेशों को मिलाकर 'दक्खिन' की रचना की - बरार, खानदेश, औरंगाबाद, हैदराबाद, मुहम्मदाबाद तथा बीजापुर।

'दक्खिनी' साहित्य की सर्जना महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना आदि में हैदराबाद को केंद्र मानकर की गई। 'दक्खिनी' भाषा के अर्थ में बहुत बाद का नाम है, पुराने नाम तो हिंदुई और हिंदवी हैं। 'दक्खिनी' हिंदी साहित्य की ऐसी कड़ी है जिसको अब नकारा नहीं जा सकता। इस प्रदेश के एक कवि वजही ने इस प्रदेश के बारे में लिखा है:

> दखन-सा नहीं ठार संसार में।
> निपज (उपज) फ़ाजिला (निपुण) का है इस ठार में।।
> दखन है नगीना अँगूठी है जग।
> अँगूठी कूँ हरमत नगीना है लग।।
> दखिन मुल्क कहन धन अजब साज है।
> कि सब मुल्क सिर होर दखन ताज है।

(कुतुब मुश्तरी, पृ. 179)

वजही 'मर्सिया' लिखने में निपुण थे। दुख-दारुण से घिरी नारी का चित्र द्रष्टव्य है:

> काली न गोरी चीर बंदी बैठी है ज्यों कालिंदी।
> काले लटो काले भुआँ काले गले में गलसरी।।

'हिंदी' की तरह 'दक्खिनी' का प्रयोग दो अर्थों में होता है-

(1) दक्षिण निवासी मुसलमान
(2) दकनी जबान

हाब्सन-जाब्सन के अनुसार दकनी हिंदुस्तान की ऐसी विचित्र ज़बान/भाषा है जिसको मुसलमान बोलता है। इसका पहली बार प्रयोग सन् 1516 में किया गया जिसमें इस भाषा को देश की स्वाभाविक भाषा स्वीकार किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंद्रहवीं शताब्दी के अंत तक इसका भाषिक स्वरूप स्थिर हो गया था:

"Deccany, adj. also used as subst. Properly dakhini, dakkhini, dakhni, coming from the deccan. Also the very peculiar dialect of Hindustani spoken by such people.' (Hobson Jobson, 1903, p.302)

1516. 'The Decani language, which is the natural language of the country.' (A Description of the courts of E. Africa & Malabar in 16th century.)

डॉ. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने स्वीकार किया है :

> "पश्चिमी हिंदी की ओकारांत बोलियों से एक प्रचलित सार्वदेशिक भाषा का जन्म हुआ, जिस पर आद्य पंजाबी का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा। सोलहवीं शताब्दी में प्रथम बार दक्कन में इसके एक रूप का साहित्य के लिए उपयोग हुआ जो ब्रजभाषा से मिलकर उत्तरी भारत की, भविष्य की साहित्यिक भाषा का प्रारंभिक स्वरूप बना। इसी सार्वदेशिक भाषा के दकनी रूप का दक्षिण में गोलकुंडा आदि स्थानों में काव्य रचना के लिए होते उपयोग का आदर्श सामने रखते दिल्ली के मुसलमानों ने भी सर्वप्रथम इसे फारसी लिपी में लिखकर इसका काव्य के लिए व्यवहार किया''।
> (आर्यभाषा और हिंदी, पृ. 217)

दक्खिन में पंद्रहवीं शताब्दी में इसका फैलना प्रारंभ हो गया था। जब उत्तर भारत में फ़ारसी का प्रभुत्व बना रहा तो दक्षिण में 'दकनी' का। हिंदी ने जो कदम दक्खिन में जमाए उन्हें फ़ारसी हिला न सकी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि बहमनी राज्य के दफ़्तरों में हिंदी ज़बान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी ज़बान का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने के बाद हिंदी का यह पद उत्तराधिकार में रियासतों ने कायम रखा। (डॉ. बाबूराम सक्सेना - दक्खिनी हिंदी पृ. 33-34)

'दकनी' का एक और रूप दक्षिण में मैसूर तथा केरल में भी विकसित हो गया। तलश्शेरी के कासिम खाँ के एक तिल्लाना गीत की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :

> बजे नक्कारे दनि के सारे
> धूंध चनाघन घनघनाना
> तबल पै थापा पड़े पिपड़धक
> गिडघन गिडघन गिडघनना
> अब रमझुम रमझुम नींदनिया से
> हुमजुम हो जाए हुशियार।

डॉ. जी. गोपीनाथ ने अपने शोध ग्रंथ में केरल की दकनी पर भी चर्चा की है। केरल के ही अन्य विद्वान डॉ. वी.पी. कुंजमेत्तर ने दकनी के ग्रंथों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। फ़ख्रुदीन निजामी कृत 'मसनवी कदमराव पदमराव' के संपादन में (संपादक) डॉ. कुंज मेत्तर ने इस ग्रंथ में आए हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी तथा द्रविड़ तत्वों पर विस्तार से लिखा है। जिस प्रदेश में दकनी फली-फूली उसपर प्रदेश की भाषा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस दिशा में दक्षिण के सुधी विद्वान डॉ. एन.पी. कुट्टन पिल्लै ने विस्तृत अध्ययन किया है। उनके अनुसार, 'बोलचाल की दक्खिनी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अतिरिक्त तमिलनाडु तथा केरल में भी सुनी जाती है। इस पर क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर भेद-उपभेद हैं। ... उसने (खड़ी बोली) गुजराती तथा मराठी के कई तत्वों को कालांतर में आत्मसात किया। इन तत्वों को उसने इस ढंग से आत्मसात किया वे दक्खिनी के निजी गुण बन गए। लेकिन दक्खिनी ने जब अपनी सीमा का विस्तार किया तब उस पर तेलुगु, तमिल, मलयालम का भी प्रभाव पड़ा। दक्खिनी हिंदी के प्रारंभिक ग्रंथों में तत्सम तथा अर्ध-तत्सम शब्दों की ओर झुकाव स्पष्ट देखा जा सकता है, पर मध्यकाल में यह भाषा फ़ारसीकरण की ओर धीरे-धीरे झुकती-सी दिखाई देती है।' (भारतीय भाषाओं का दक्खिनी पर प्रभाव (अध्ययन और अनुशीलन), पृ. 224)

दक्खिनी पर जिन अन्य विद्वानों ने विशेष कार्य किया है, उनमें से सर्वश्री डा. श्रीराम शर्मा, डॉ. भालचंद्र राव तैलंग तथा डॉ. परमानंद पांचाल मुख्य हैं।

इस भाषा को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा जाता है - गोसाधि भाषा, तुलुक भाषा (मुसलमानों की भाषा), पट्टाणि भाषा (पठानों की भाषा), हिंदी भाका, हिंदवी, गूजरी, रेख़ता, भाका आदि।

मीराजी उसको हिंदी या भाका (भाखा) कहते थे तो वजही उसे 'दखनी' कहते थे। वैसे 'हिंदी' शब्द का प्रयोग भी दक्खिनी' के गद्य-पद्य लेखकों ने खूब किया है :

- यों देखत **हिंदी** बोल (शाह मीराजी - 1475 ई.)
- ऐब न राखे **हिंदी** बोल (शाह बुहरानुद्दीन - 1582)
- **हिंदी** जबान सो। (मुल्ला वजही : सबरस)
- मैं इसको दर **हिंदी** जबां, इस वास्ते कहने लगा।

मिर्जा खां, बरकुल्ला प्रेमी, खक़ी खाँ **हिंदवी** (जुनूनी - 1690 ई.) का प्रयोग भी करते हैं। सूफ़ी कवि नूर मुहम्मद (सन् 1773 ई.) ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है :

> हिंदु मग पर पाँव न राख्यौ।
> का जो बहुतै हिंदी भाख्यौ।

इससे यह व्यंजित होता है कि उसने हिंदू मत को नहीं अपनाया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यदि मैं हिंदी में भाखूँ (वर्णन करूँ) - फ़ारसी-अरबी में नहीं।

दक्खिनी के कवि 'बहरी' भी 'मन लगन' में अपनी भाषा को हिंदी ही बताते हैं :

> हिंदी तो जबां च है हमारी
> कहने न लग हमन कूं भारी।

"इसका माना तहकीक खुदा मिन्नत किया है, मुसलमानां होर मुसलमानां की औरतां को तुमारे तनां में मुहम्मद का नूर रखिया हूँ सो तुमीं बूझ होर जानो हरेक पराई पछांत करना वाजिब है, ये बड़ी न्यामत है।'' (मेराज़ुल लाशिकीन)

"दुवा मांगने का तरीका यों है कि हातां दोनो दराज करे। खंदयां के मुकाबिल होर दोनों हातां के दरमियानी खड्डा अछे होर दुआ मांगे बाद अज भू पर सूं हातां उतारे यो सब सुन्नत है।'' (अहका मुस्सलात)

दक्खिनी की भाषागत अन्य विशेषताओं के लिए डॉ. भाटिया की पुस्तक 'ब्रजभाषा और खड़ी बोली का तुलनात्मक अध्ययन' (पृ. 66.67) का अवलोकन करें।

29.7.2 प्रमुख विशेषताएँ

1. हिंदी के बोलचाल के सभी स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दक्खिनी में भी मौजूद रहे। डॉ. कादरी के अनुसार उकार और ओकार के बीच का स्वर दक्खिनी में और सुनाई पड़ता है जो उत्तर भारत की बोलचाल की हिंदी में नहीं सुनाई पड़ता। स्टैंडर्ड 'पट्ठा' शब्द का दक्खिनी रूप 'पुट्ठा' है जिसका उकार न 'उ' ही है न 'ओ' ही।

2. जब दो पास-पास के अक्षरों में दीर्घ स्वर हो तो पहले का उच्चारण कभी ह्रस्व हो जाता है।

3. सभी व्यंजन भी दक्खिनी में मिलते हैं, शिक्षित लोगों में ख़, ज़, ग़, फ़, क़ भी उच्चरित हो जाते हैं।

4. उत्तर भारत की हिंदी में जहाँ दो मूर्धन्य ध्वनियाँ पास-पास आती हैं, वहीं दक्खिनी में पहली मूर्धन्य ध्वनि दंत्य में बदल जाती है :

   तुटे (टुटे)   दाट (डाट)
   थंडी (ठंडी)   दबटना (डपटना)

   इस प्रवृत्ति को हम आज की मराठी भाषा में भी देख सकते हैं। तुटणे (टूटना), थंडा (ठंडा) मराठी के शब्द हैं।

5. दक्खिनी में प्रथम व्यंजन ह्रस्व हो जाता है, तो द्वितीय द्वित्व में परिवर्तित :
   सुन्ना (सोना)
   चुन्ना (चूना)

6. दक्खिनी में महाप्राण ध्वनियाँ बहुधा अल्पप्राण मिलती है :

   चाक (चाख), रकते (रखते), समज (समझ), पिचें (पीछे), हात (हाथ), सात (साथ), अदिक (अधिक), जीब (जीभ), पिनाना (पिन्हाना), कुमलाते (कुम्हलाते)। देखें मराठी हात, समज।

7. जैसे हिंदी में मध्य का लिखा तो जाता है, पर स्वर के रूप मे उच्चरित होता है, पर दक्खिनी में वर्तनी में छोड़ दिया जाता है : कता (कहता), कते (कहते), ठैरते (ठहरते) आदि।

हिंदी में गद्य साहित्य के विकास के अध्येता डॉ. प्रेमप्रकाश गौतम ने 'दक्खिनी' के गद्य साहित्य पर भी अध्ययन किया है। गेसूदराज की कृतियों का उल्लेख किया जा चुका है। गेसूदराज बंदानवाज़ की अन्य प्रमुख रचनाओं का उल्लेख किया है, जैसे - हिदायतनामा, शिकारनामा और तर्जुमावजूदुल आरिफ़िन। उनके अनुसार :

"भक्तिकालीन दक्खनी गद्य की अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं - बुरहानुद्दीन जानम कृत 'कल्पितुल हक़ायक़ (1580 ई. के लगभग), मौला अब्दुल्ला कृत 'अहका मुस्सलात' (1623 ई.), मुल्ला वजही का 'सबरस' (1636) (सबरस तथा अन्य कृतियों से नमूने के उद्धरण दिए जा चुके हैं।) अब्दुस्समद लिखित 'तफ़सीर बहावी' (1640 के लगभग)। इसमें प्रथम रचना प्रश्नोत्तर शैली में लिखित सूफ़ी सिद्धांत विषयक, द्वितीय रचना इस्लाम विषयक, तृतीय (सबरस) अन्योक्ति पद्धति की सूफ़ी प्रेमकथा और चौथी कुरान की व्याख्या है।

पुराना दक्खिनी गद्य अधिकतर सूफ़ी और इस्लामी संतों पर लिखा गया है और अधिकांश में अललित, धार्मिक तथा उपदेशात्मक है। उल्लिखित रचनाओं में 'सबरस' में ललित गद्य प्रयुक्त है। अनेक स्थलों पर इस ग्रंथ का गद्य सानुप्रास है।''

(भक्तिकालीन गद्य साहित्य (हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉ. नगेन्द्र, पृ. 262)

इस प्रकार 'दक्खिनी' में लिखा पद्य-गद्य की रचनाओं का साहित्यिक दृष्टि से मूल्य चाहे सीमित हो पर हिंदी - खड़ी बोली हिंदी - के विकास में उसका अप्रतिम योगदान है, वह भी हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को जानने के लिए।

29.7.3 उर्दू का विकास

'उर्दू का दरख़्ते संस्कृत और भाषा (ब्रज) की ज़मीन में उगा, मगर फ़ारसी की हवा में सरसब्ज हुआ है।' (शम्शुल उलेमा मुहम्मद हसन)

इससे स्पष्ट होता है कि मूल में उर्दू शाही दरबार तक सीमित रही पर कालांतर में वह जन-साधारण की आम बोलचाल की भाषा हो गई। हिंदी के साथ-साथ हिंदी की शैली के रूप में विकसित होते हुए भी अरबी-फ़ारसी की शब्दावली तथा मुहावरेदारी की ओर झुकाव के कारण पृथक से विकसित हो गई फलत: संविधान की अष्टम अनुसूची में इसको स्थान मिला।

दिल्ली के साथ-साथ लखनऊ, अलीगढ़, हैदराबाद इसके प्रमुख केंद्र हो गए। मध्यकाल तक उर्दू पद्य की मुख्य साहित्यिक विधाएँ - ग़ज़ल, मसनवी और कसीदा सुव्यवस्थित हो चुकी थीं। अठारहवीं शती के उत्तरकाल में कुछ शायरों - दर्द (मृत्यु 1786), सौदा (म. 1781), मीर हसन (1786), मीर (म. 1810) प्रमुख रहे। अनेक स्थानों पर उर्दू के शायरों को राज्याश्रय प्राप्त हुआ। मर्सिया (शोकगीत) के लेखन में विशेष प्रगति हुई।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में सुप्रसिद्ध कवि नजीर अकबराबादी हैं, जिनको हिंदी, उर्दू दोनों का माना जाता है। उनकी संपूर्ण रचनाएँ 'नजीर ग्रंथावली' (संपा. नजीर मुहम्मद) के रूप में अब

प्रकाशित हैं। सन 1857 में जब दिल्ली का वैभव समाप्त हो रहा था तो उसके पूर्व तीन सुप्रसिद्ध शायर हुए - ज़ौक, मोमिन तथा ग़ालिब। ग़ालिब में सर्वाधिक संतुलित भावबोध और दर्शन की झलक मिलती है :

दुनिया मेरे आगे बच्चों का खेल है,
रात दिन मेरे आगे तमाशा होता रहता है,

उनके एक शेर का अनुवाद इस प्रकार है :

आयु रूपी घोड़ा दौड़ रहा है, देखिए कहाँ थमता है
न बाग पर हाथ है और न पाँव रकाब में है।

उर्दू को आगे बढ़ाने में 'इकबाल' का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ताँ हमारा' पंक्ति पर किस भारतीय को गर्व नहीं। सामासिक संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व इसके शायरों में मिलता है। 'सुबहे आज़ादी' पर फ़ैज की यह पंक्ति प्रसिद्ध हुई :

वह इंतजार था जिसका यह वह सहर तो नहीं।

जाँनिसार अख़्तर को अवश्य भविष्य के प्रति आशा बनी रही :

कुछ हो, उम्मीद की सीने में झलक आज भी है।
दिल में बुझते हुए शोले की लपक आज भी है।

साहिर, कैफी, मज़ाज, जमील, जोश, जिगर, फ़िराक और फ़ैज के नाम उल्लेखनीय हैं। फ़िराक साहब को ज्ञानपीठ सम्मान भी प्राप्त हुआ। प्रगतिशील कवियों में सरदार जाफ़री, साहिर लुधियानवी, अर्श, आले अहमद सुरूर, कैफी आज़मी, गुलाम रब्बानी ताबां, सागर निजामी, जगन्नाथ आज़ाद, आनंद नारायण मुल्ला प्रमुख हैं। आज जिनकी धूम है उनमें से शहरयार, वहीद अख़्तर, काज़ी सलीम के नाम उल्लेखनीय हैं। नए ग़ज़लकारों में बशीर बद्र लोकप्रिय हुए हैं।

गद्य में दकिनी में लिखी वजही की कृति 'सबरस' - दिल और सौंदर्य की कहानी बहुत पहले ही लिखी गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद मीर अम्मन के 'बाग-ओ-बहार', 'चहार दर्वेश' (चार भिक्षुओं की कहानी) 1803 ई. सरस शैली में लिखी गई।

आगे चलकर सर सैयद अहमद, हाली, आज़ाद, नजीर आदि ने उर्दू गद्य के निर्माण में उल्लेखनीय कार्य किया। साहित्य से इतर अन्य विषयों की पुस्तकें भी उर्दू गद्य में लिखी गईं। गालिब द्वारा अपने दोस्तों और शिष्यों को लिखे गए पत्र भी सरल उर्दू में हैं जिनसे पत्र-साहित्य समृद्ध हुआ। बीसवीं शताब्दी में हाली, मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने यद्यपि शायरी की पर उर्दू गद्य को शैली भी प्रदान की।

कथा साहित्य में हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद ने भी उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था। आज़ादी के बाद विभाजन की पृष्ठभूमि पर पर्याप्त (गद्य में) साहित्य लिखा गया। प्रेमचंद के बाद आज़ादी से पहले के लेखकों में सज्जाद जहीर, मंटो, अजीज़, अहमद, कृश्न चन्दर, इस्मत चुग़ताई के उपन्यासों की धूम रही। सर्वाधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में कृश्न चन्दर का नाम लिया जा सकता है जिनके 'शिकस्त' में कश्मीर की प्राकृतिक शोभा तथा 'जब खेत जागे' में तेलंगाना के किसानों के विद्रोह के स्वर हैं। उनकी कृति 'एक गधे की आत्मकथा' व्यंग्य प्रधान है। कुर्रतुल एन हैदर के उपन्यासों में विभाजन प्रभावित ज़मींदार वर्ग की नौजवान पीढ़ी की तबाही का चित्रण है। तीन बृहद उपन्यासों - 'लहू के फूल' (हयात उल्ला अंसारी), 'उदास नस्लें' (अब्दुल्ला हुसैन), तथा 'खुदा की बस्ती' (शौकत सिद्दीकी) - में ऐतिहासिक चेतना है। 'लहू के फूल' में भारतीय समाज और राजनीति की उथल-पुथल है। रज़िया सज्जाद ज़हीर के उपन्यासों - अल्लाह मेघ दे, सरेशाम आदि में श्रमजीवी वर्ग प्रधान है। लघु उपन्यास भी लिखे गए।

आत्मकथा विधा में ऐजाज हुसैन की 'मेरी दुनिया' (सन 1965) की धूम रही। उपन्यासकारों ने कहानियाँ भी पर्याप्त लिखीं जिनमें मंटो, कृश्न चंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास,

कुर्रतुल-एन-हैदर, काज़ी अब्दुल सत्तार आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। नए लेखकों में असगर वज़ाहत ने कई नए प्रयोग किए हैं। हंसराज रहबर, अश्क, देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू-हिंदी दोनों भाषाओं में पर्याप्त लिखा। उर्दू में नाटक भी पर्याप्त लिखे गए। डॉ. मोहम्मद हसन के 'मीर तक़ी मीर' और 'नज़ीर अकबराबादी' में कवियों के जीवन संघर्ष की गाथा है।

आज उर्दू जम्मू-कश्मीर की राजभाषा है, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि राज्यों की द्वितीय राजभाषा है। अब तक तीन साहित्यकार ज्ञानपीठ से सम्मानित हो चुके हैं। उर्दू भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में भारतीय भाषाओं में शामिल है।

29.7.4 रेख़्ता

रेख़्ता हिंदी की वह शैली कहलाई जिसमे अरबी-फारसी शब्दों का सम्मिश्रण हो। रेख़्ता उर्दू का पर्यायवाची नहीं। रेख़्ता की व्युत्पति के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ मत इस प्रकार हैं :

रेख़्ता : फारसी रेख़तन = छिड़कना

रेख़्ता : मुख़्तलिफ़ ज़बानों के अल्फ़ाज़ से (विभिन्न भाषाओं के शब्दों से) भाषा को रेख़्ता-पुष्ट या अलंकृत किया गया हो, जैसे - ईंट की दीवार को चूने या सीमेंट के प्लास्टर से पायदारी और हमवारी मज़बूती और सजावट के लिए रेख़्ता करते हैं। (आबेहयात)

रेख़्ता : बमानी गिरे हुए। जो ज़बान अपनी असलियत से गिर जाए। (मुंशी दुर्गा प्रसाद)

विभिन्न अंग्रेज़ विद्वानों ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया :

- The Hindustani Language (being mixed one) is called Rekhta. (बाटे)

Hindustani verse written in the tones and idioms of women with peculiar sentiments and characterstics. (फैलन)

'हिंदी रेख़्ता' का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हिंदुस्तानी आज हिंदी और उर्दू के बीच की चीज़ समझी जाती है, उसी प्रकार उस समय रेख़्ता बीच की भाषा समझी जाती थी। रेख़्ता उर्दू नहीं चाहे, व्यवहार में उर्दू का साथ देती रहे। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशियों को सलाह दी गई कि वे ठेठ हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, "हिंदी रेख़्ता में लिखना शुरू करें। इसी से साहबों का काम चलेगा।''

साहिब (जान गिलक्राइस्ट) ने लल्लूलाल जी से कहा कि ब्रजभाषा में कोई अच्छी कहानी हो, उसे **रेख़्ते की बोली** में कहो।

मीर का मशहूर शेर है :

> मजबूत कैसे कैसे कहे रेख़ते वाले,
> समझा न कोई मेरी ज़बाँ इस दियार में।

सौदा ने मज़हर को टोका था : (भाका) (भाखा) ब्रजभाषा से प्रेम था)

> मज़हर का शेर फ़ारसी और रेख़्ते के बीच,
> सौदा यक़ीन जान कि रोड़ा है बाट का
> आगाह फ़ारसी तो कहें उसको रेख़्ता
> वाकिफ़ जो रेख़ते के ज़रा होवे ठाट का।

आज के संदर्भ अब इस शब्द (रेख़्ता) का प्रयोग नहीं किया जाता है।

29.8 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में ही 'पुरानी हिंदी' नाम से खड़ी बोली का अस्तित्व था और आदिकाल के रोडा कृत राउरवेल और अमीर खुसरो की रचनाओं में आधुनिक खड़ी बोली का पुट मिलता है। उस समय पूर्व में विद्यापति मैथिली में लेखन कर रहे थे और पश्चिम में डिंगल भाषा में साहित्य रचना हो रही थी। उन दोनों के साथ हिंदवी या हिंदुई के नाम से खड़ी बोली का साहित्यिक रूप प्रचलन में आया जिसमें मुख्य रूप से अमीर खुसरो का साहित्य दिखाई पड़ता है। लेकिन हिंदवी या हिंदुई केवल खड़ी बोली का रूप नहीं बल्कि यह खड़ी बोली के आधार पर निर्मित होने वाली उर्दू भाषा का प्रमुख रूप है जिसमें कई प्रमुख लेखकों ने साहित्य रचना की। प्राकृत पैंगलम में भी हमें हिंदी भाषा के प्रमुख रूप के नमूने प्राप्त होते हैं।

खड़ी बोली का समय वही है जो हिंदी की अन्य बोलियों का है। यद्यपि इसमें अमीर खुसरो और कबीरदास जैसे प्रख्यात कवियों ने साहित्य सृजन किया, खड़ी बोली मध्यकाल की प्रमुख साहित्यिक भाषा नहीं बन पाई। तुलसीदास और सूफ़ी काव्यधारा ने अवधी भाषा का आश्रय लिया जबकि कृष्ण भक्ति साहित्य और रीतिकालीन साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। इस संदर्भ में खड़ी बोली साहित्य सृजन का माध्यम नहीं बन पाईं

इसी युग में उर्दू भाषा का विकासक्रम शुरू हुआ जो दिल्ली से चलकर हैदराबाद पहुँची और दक्षिण में दक्खिनी के नाम से स्थापित हुई। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि प्रमुख उर्दू भाषा वास्तव में खड़ी बोली का ही रूप था, जिसमें अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। दक्खिनी फिर जब उत्तर में आई तो वह रेख्ता कहलाई और दिल्ली तथा लखनऊ में इसमें साहित्य सृजन हुआ। रेख़्ता वास्तव में उर्दू और खड़ी-बोली हिंदी के बीच का सेतु है। उर्दू अलग साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और इस कारण खड़ी बोली हिंदी ने भी मानक हिंदी के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। यही कारण है कि केवल आधुनिक काल में हम खड़ी बोली में साहित्य सृजन का व्यापक विस्तार देखते हैं।

संक्षेप में कह सकते हैं कि खड़ी बोली मात्र आधुनिक युग की उपज नहीं है। इसका उपयोग आदिकाल से ही होता आया है। मध्यकाल में मारवाड़ी, मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा - ये चारों बोलियाँ अलग-अलग जगह, अलग स्थानों पर साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त किए हुए थीं और खड़ी बोली का व्यवहार प्रच्छन्न रहा। आधुनिक काल में इन बोलियों का महत्व थोड़ा कम हुआ और बोलचाल की भाषा के रूप में संपर्क भाषा के रूप में उर्दू से भिन्न खड़ी बोली का व्यापक प्रचार हुआ और इस कारण खड़ी बोली आधुनिक युग में लगभग साहित्य सृजन का अकेला माध्यम बन गई।

29.9 अभ्यास प्रश्न

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150-150 शब्दों में दीजिए :

1. हिंदवी या हिंदुई क्या है?
2. उर्दू भाषा का आविर्भाव कब और कैसे हुआ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300-300 शब्दों में दीजिए :

1. आदिकाल से आधुनिक काल तक हिंदी के विकासक्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
2. हिंदी साहित्य की प्रमुख साहित्यिक बोलियों का परिचय दीजिए।
3. उर्दू भाषा के विकास और वर्तमान का विवेचन दीजिए।

इकाई 30 आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास

इकाई की रूपरेखा

30.1 उद्देश्य

इस इकाई में 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक हिंदी के विकास के बारे में चर्चा की गई है। इस युग में हिंदी न केवल साहित्यिक सृजन का सशक्त माध्यम बनी बल्कि अपनी विकास-यात्रा में हिंदी भाषा ने देश की राजभाषा का प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया और शिक्षा, जनसंचार आदि विविध क्षेत्रों में उसके प्रकार्यों का विस्तार हुआ। इस युग में हिंदी की प्रतिष्ठा के साथ-साथ हिंदी और उर्दू के आपसी संबंध और अस्तित्व के संघर्ष का भी दृश्य देखने को मिलता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- आधुनिक मानक भाषा के रूप में हिंदी के विकास का परिचय दे सकेंगे;
- 18वीं-19वीं शताब्दी में हिंदी के विकास में योगदान देने वाले मनीषियों की चर्चा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संदर्भ में कर सकेंगे;
- साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा के विकास को समझा सकेंगे; और
- वर्तमान युग में हिंदी के प्रकार्यों और प्रयोजनों की चर्चा कर सकेंगे।

30.2 प्रस्तावना

साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास भी ग्यारहवीं शताब्दी से होने लगा था जिसका नाम समय-समय पर भिन्न रहा। इसके विकास पर अलग से चर्चा की जा चुकी है। नाथ-सिद्धों की बानियों तथा संतों ने इसको विशेष रूप से आगे बढ़ाया। हिंदुवी, हिन्दवी, हिन्दुई आदि विविध नामों से इसका प्रचार-प्रसार होता रहा। 'दक्खिनी' के अनेक कवियों ने काव्यभाषा के रूप में इसको दक्षिण भारत में फैला दिया। शिवाजी के दरबार में अनेक लेखक/कविगण ऐसे थे जो हिंदी में लिखते थे

जिनमें उनके गुरु रामदास प्रमुख थे। रामप्रसाद निरंजनी का योगदान सर्वविदित है। गुजरात में प्राणनाथ ने इसको फैलाया। महामति प्राणनाथ का अब विशाल साहित्य उपलब्ध है।

खड़ी बोली : यह सब होते हुए भी 'खड़ी बोली' शब्द का प्रयोग पहली बार फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना के साथ हुआ। इसका श्रेय गिलक्राइस्ट को दिया जाता है। अठारहवीं शताब्दी के अंत में गिलक्राइस्ट कलकत्ता पहुँच चुके थे और वहीं हिंदी का पठन-पाठन करते थे। संयोग से जब उनकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कालेज में हो गई तो इस बहुप्रयुक्त भाषा का नामकरण 'खड़ी बोली' किया और वहाँ नियुक्त लल्लू जी लाल को इसमें लिखने का आदेश दिया जिसका उल्लेख प्रथम बार लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर' की भूमिका में इस प्रकार किया :

श्रीयुक्त गुनगाहक गुनिथन-सुखदायक जान गिलकिरिस्त महाशय की आज्ञा से सं. 1860 (सन् 1803 ई.) में श्री लल्लू जी लाल कवि ब्राह्मन गुजराती सहस्र अवदीच आगरे वाले ने जिसका सार ले, यमनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह, नाम प्रेमसागर' धरा'' (ना. प्र. सभा, काशी, सं. 1979, पं. 1)

लगभग इसी समय फोर्ट विलियम कालेज के डॉ. जान गिलक्राइस्ट तथा सदल मिश्र ने भी इस नाम (खड़ी बोली) का उल्लेख किया है। सन् 1803 ई. में ही प्रकाशित पुस्तकों में तीन बार 'खड़ीबोली' का उल्लेख गिलक्राइस्ट ने स्वयं किया:

"इन (कहानियों) में से कई खड़ीबोली अथवा हिंदुस्तानी के शुद्ध हिंदवी ढंग की हैं। कुछ ब्रजभाषा में लिखी जाएगी।'' (हिंद स्टोरी टेलर, भाग 2) "मुझे खेद है कि ब्रजभाषा के साथ खड़ीबोली की उपेक्षा कर दी गई थी''।(दि ओरियंटल फेब्युलिस्ट)

सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' में खड़ीबोली का उल्लेख किया :

> " अब संवत् 1860 में नासिकेतोपाख्यान को जिसमें चन्द्रावली की कथा
> कही है, देववाणी में कोई समझा नहीं सकता इसलिए खड़ी बोली में किया।
>
> (ना.प्र. सभा, काशी, सं. 2007, पृ. 2)

इस प्रकार सन् 1803 में ही 'खड़ीबोली' शब्द का प्रयोग पाँच बार किया गया। इसके बाद सन् 1804 में गिलक्राइस्ट ने लिखा है:

"शकुन्तला का दूसरा अनुवाद खड़ी बोली अथवा भारतवर्ष की निराली (खालिस) बोली में है। हिंदुस्तानी में इसका भेद केवल इसी बात में है कि अरबी और फ़ारसी का प्रत्येक शब्द छाँट दिया जाता है।''

x x x

'प्रेमसागर एक बहुत ही मनोरंजक पुस्तक है जिसे लल्लू लाल जी ने हमारे विद्यार्थियों को हिंदुस्तानी की शिक्षा देने के निमित्त ब्रजभाषा की सुन्दरता और स्वच्छता के साथ खड़ीबोली में किया। इससे अंग्रेजी भारत की हिंदू जनता के वृहत् समुदाय को भी लाभ होगा।''

सन् 1805 में सदल मिश्र ने 'रामचरित्र' में भी खड़ी बोली का उल्लेख इस प्रकार किया:

"अब इस पोथी को भाषा करने का कारण सिद्ध है कि मिस्टर जान गिलक्रस्त साहब ने ठहराया और एक दिन आज्ञा दी कि अध्यात्म रामायण को ऐसी बोली में करो जिसमें अरबी-फ़ारसी न आवे। तब मैं इसको खड़ी बोली में कहने लगा और सं. 1862 में इस पोथी को समाप्त किया और नाम इसका रामचरित्र रखा।''

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राप्त इन उद्धरणों से कुछ प्रश्न उठते हैं:

1. क्या गिलक्राइस्ट महोदय को इस बोली का नाम पता था?
2. खड़ी बोली किस अर्थ का द्योतक है?
3. आगरा ब्रजभाषा क्षेत्र में है तो फिर दिल्ली-आगरा की बोली से क्या तात्पर्य है?
4. क्या इस भाषा का आविष्कार किया गया?

डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया ने इन सभी प्रश्नों पर बड़े विस्तार से विचार अपनी पुस्तक 'ब्रजभाषा और खड़ीबोली का तुलनात्मक अध्ययन' में किया है। गिलक्राइस्ट ने स्वयं अठाहरवीं शताब्दी में लिखे, अपने ग्रंथों में नाम नहीं दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि 'खड़ीबोली' नाम का श्रेय फोर्ट विलियम कालेज में आने के बाद उनको दिया जा सकता है पर वह भाषा व्यापक रूप से आगरा से पटना तक समझी जाती थी। एक व्यक्ति आगरा से लिया जबकि दूसरा पटना से। कैलॉग ने अपने व्याकरण में इसको विशुद्ध या बिना मिलावट की भाषा माना है:

"This form of Hindi has also often been termed 'Khari boli' or the 'pure speech' and also, by some European scholars after analogy of the German, 'High Hindi',

इसी प्रकार ईस्टविक ने परिभाषित किया:

खड़ी बोली The true genuine language or the pure language.

टी.जी. बेली ने पूछा कि क्या इसको गँवारी से भिन्न माना जा सकता है?

गिलक्राइस्ट ने स्वयं इसको प्योर 'स्टर्लिंग' माना और अपने कोश में स्टर्लिंग का अर्थ दिया:

Sterling, standard, genuine

लगता है कि व्यावहारिकता की दृष्टि से परिनिष्ठित भाषा का रूप देने के लिए 'हिंदी' को 'खड़ीबोली' कहना पसंद किया होगा। आज इसको ही 'मानक हिंदी' कहा जाता है।

सी समय फोर्ट विलियम कालेज के बाहर रहते हुए दो साहित्यकार भी उसी प्रकार की भाषा में लिख हे थे जिनके नाम हैं:

) सदासुख लाल और (ii) इंशाअल्ला खाँ।

दासुख लाल उर्दू के अच्छे लेखक थे तो भी उन्होंने खड़ीबोली के उस रूप को ही महत्व दिया जिसमें पंडिताऊपन और अन्य बोलियों का चित्रण न हो। एक उदाहरण द्रष्टव्य है:

"विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका सतोवृत्ति है, वह प्राप्त हो...। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कहके लोगों को बहकाइये और फुसलाइये और असत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए।"

इस प्रकार की परिष्कृत भाषा में लिखते हुए भी वह 'तिस पीछे', 'जब लग', 'सब को सुनाय के' जैसे रूपों से अपने का मुक्त न कर पाये।

इंशा ने भी 'रानी केतकी की कहानी' ऐसी ठेठ भाषा में लिखी जिसमें ध्यान रखा गया कि 'हिंदी छुट किसी बाहर की बोली का पुट' न मिले। इंशा ने इस बारे में स्पष्ट कहा:

"एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते-चालते हैं ज्यों-का-त्यों वही सब डौल रहे और छाँह किसी की न हो।"

यहाँ 'भाखापन' से तात्पर्य है ब्रजभाषापन। जब हिंदी गद्य को ये चारों लेखक सम्पन्न कर रहे थे (दो फोर्ट विलियम कालेज में रहते हुए और दो बाहर रहते हुए) तो उनके आसपास ही नज़ीर अकबराबादी पद्य में लिख रहे थे। नज़ीर भी आगरा में थे और लोकभाषा में श्रीकृष्ण पर भी मुसलमान होते हुए लिख रहे थे। अब उ.प्र. हिंदी संस्थान लखनऊ से डॉ. नज़ीर मुहम्मद के सम्पादन में 'नज़ीर ग्रंथावली' प्रकाशित हो गई है।

"यदि नज़ीर की भाषा और लल्लू लाल जी की भाषा की तुलना की जाए तो उनमें बहुत कुछ समानताएँ पाई जायेंगी, हालाँकि एक ने गद्य में लिखा, दूसरे ने पद्य में। एक हिंदू था और दूसरा मुसलमान। एक ने अंग्रेजों की छत्रछाया में उनके निर्देशानुसार "यामिनी" शब्दों को त्याज्य मानकर लिखा है और दूसरे ने सच्चे लोककवि के रूप में हिंदू-मुसलमानों दोनों का प्रतिनिधित्व करते हुए जन-समाज में प्रचलित खड़ी बोली के समस्त शब्द-भंडार का स्वच्छन्द उपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप

से लिखा है। लल्लू लाल जी की भाषा में जैसे ब्रजभाषा के प्रयोग मिलते हैं वैसे ही नज़ीर की भाषा में भी। ... भाषा के इस जनसम्मत आडम्बरहीन सजीव रूप को लक्ष्य करके इंशाअल्लाखाँ ने बिना किसी मिलावट की हिंदी लिखने की ठानी थी। उसमें किसी गँवारी भाषा का भ्रम तो नहीं किया जा सकता। न तो इंशा ने न, नजीर और न लल्लू लाल ने गँवारी भाषा में साहित्य की रचना की। उनकी भाषा भी दिल्ली-आगरे की चलती खड़ी बोली थी जिसके रूप के विषय में (जैसा लिखा जा चुका है) इंशा के शब्दों में कहा जा सकता है, "जैसे भले लोग अच्छों-से आपस में बोलते-चालते हैं।"

(ब्रजभाषा और खड़ीबोली, पृ. 116)

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह 'खड़ीबोली' ब्रजभाषा और रेख्ता से भिन्न बोलचाल की भाषा थी जिसमें साहित्य रचना भी की जा रही थी। यामनी भाषा के शब्दों के जोड़ देने से वही रेखता कही जाती होगी। साहित्यिक भाषा के रूप में इसकी प्राचीन परम्परा थी और इसका विस्तार मात्र दिल्ली-आगरा तक नहीं वरन् पटना व आरा तक था। इस भाषा का अविष्कार नहीं किया गया यह तो 'बहता जल' था।

वहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लल्लू जी लाल ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें से सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुन्तला नाटक, माधोनल तथा प्रेमसागर अधिक प्रसिद्ध हैं। ब्रजभाषा का व्याकरण भी लिखा। बेताल पच्चीसी की भाषा का एक अंश उद्धृत है:

"इतना कह राजा इन्द्र अपने स्थान को गया और राजा ने उन दोनों लोथों को ले उस तेल के कड़ाह में डाल दिया तब वह दोनों वीर आ हाजिर हुए और कहने लगे कि हमें क्या आज्ञा है? राजा ने कहा जब मैं याद करूँ तब तुम आना। इस तरह से उनसे वचन ले, राजा अपने घर आ राज करने लगा।"

शकुन्तला को ब्रज में अनुवादित किया गया और बाद में रेखता में। जैसा स्पष्ट किया जा चुका है कि 'रेख्ता' में अरबी-फ़ारसी की शब्दावली की भरमार होती थी, जैसे:

"चमकावट उसके चिहरे की, अजब जलवे दिखाती थीं, और जुल्फ़ें बिखरी हुई, मुँह पर उसके, इस रंग से नजर आतियाँ थीं जैसे नमूद धुवें की शुअले पर होती है, या कुछ-कुछ घटा सूरज पर आ जाती है।"

ब्रजभाषा काव्याभाषा के रूप में इस शताब्दी के अंत तक प्रतिष्ठित रही पर गद्य पर भी उसकी काव्यात्मकता का प्रभाव बना रहा। ब्रजमंडल के बाहर के कवि भी इस भाषा में लिखते थे जिससे क्षेत्रीय प्रभाव भी ब्रजभाषा पर पड़ता रहा। बुंदेलखंड और कन्नौज तो ब्रजमंडल की सीमा पर स्थित थे पर दूर के प्रदेशों की शब्दावली भी ब्रज में समाहित होती गई। रीतिकालीन प्रवृत्तियों के बाद सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएँ उपस्थित हुई जिनके फलस्वरूप नवजागरण की प्रवृत्तियों का विस्तार हुआ। मुद्रण की व्यवस्था प्रारंभ होने से काफी बड़ी संख्या में साहित्य प्रकाशित होने लगा। खड़ी बोली के विकास में ईसाई मिशनरियों का विशेष योगदान रहा। आगरा के समीप सिकन्दरा में प्रेस भी था और ईसाइयों का प्रचार-प्रसार का केंद्र भी। सन् 1857 तक सिकन्दरा केंद्र से काफी साहित्य प्रकाशित हुआ।

उन्नीसवीं सदी की प्रारंभिक भाषा में तुकबंदी, लयात्मकता, अलंकारमयता, नाना प्रकार के प्रयोग और अनेक बोलियों के शब्दों का मिश्रण मिलता है फिर भी सामूहिक प्रयास से ब्रजभाषा के समक्ष खड़ी बोली अंततः खड़ी हो गई। यह ठीक है कि कोई परिनिष्ठित या मानक रूप स्थिर नहीं हो सका पर विस्तार खूब हुआ और फोर्ट विलियम कालेज, कलकत्ता के प्रश्रय के कारण मान्यता प्राप्त हुई।

सन् 1802 में सिविल सेवा के यशस्वी अधिकारी विलियम बटरवर्थ बेली (1782-1860) ने हिंदुस्तानी और हिंदी का एक ही अर्थ में प्रयोग किया: उनको 'हिंदुस्तान में कार्रवाई के लिए हिंदी जबान' शीर्षक निबंध पर पन्द्रह सौ रुपये नकद और मैडल प्राप्त हुआ। बाद में कुछ समय के लिए गवर्नर-जनरल भी रहे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा भी हिंदी ही थी:

"It is moreover the general medium by which persons communicate their wants and ideas to each other. Of the truth indeed we ourselves are an evidence, as are the Portuguese, Dutch, French, Arabs, Turks, Greeks, Armenians, Georgians, Persians, Moguls and Chinese."

30.3 फोर्ट विलियम कालेज

गवर्नर जनरल लार्ड वेलेज़ली ने सन् 1800 ई. में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लार्ड वेलेज़ली यद्यपि साम्राज्यवादी कार्यों में रूचि रखते थे पर विद्वान थे और ग्रीक लैटिन तथा अंग्रेजी के विद्वान थे। उनकी नियुक्ति सन् 1798 ई. में हुई।

बंगाल पर अधिकार होने के बाद भारत की भाषाओं को ज्ञान होने के कारण कठिनाइयाँ बढ़ती गईं। 15 जनवरी, 1784 ई. के एशियाटिक सोसायटी की स्थापना हो चुकी थी।

सन् 1781 में ब्रिटिश संसद में यह निश्चय किया गया कि भारतीय न्यायालयों में मुकद्मों का निर्णय अंग्रेज़ी कानून के आधार के स्थान पर भारतीय धर्म रीति रिवाजों के आधार पर किया जाए। सन् 1783 ई. में जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट (1759-1841) की नियुक्ति मैडिकल ऑफिसर के पद पर हुई। सन् 1790 ई. तक उन्होंने 'अंग्रेजी और हिंदुस्तानी' कोश के दो भाग प्रकाशित कर दिए थे। उनके अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ हैं:

हिंदुस्तानी ग्रामर - 1796-98
ओरियन्टल लिंग्विस्ट - 1798

दस जुलाई 1800 ई. को कालिज का रेग्युलेशन पास हुआ पर चार मई 1800 ही स्थापना की तारीख रखी गई (श्री रंगपट्टनम, मैसूर के विजयोत्सव की तिथि)। छात्रों को पुरस्कार स्वरूप जो मैडल दिए गए उनमें एक ओर यही तिथि तथा दूसरी ओर श्रीरंगपट्टनम का चित्र बना रहता।

(मेमोरियल ऑफ ओल्ड हैलबरी फ्रेडिरिक चार्ल्स कालेज, डनवर्स) 1893

गिलक्राइस्ट की सेवाओं से प्रसन्न होकर वेलेजली ने उनकी नियुक्ति सन् 1800 में की। राइटर्स बिल्डिंग (जिसमें आजकल सचिवालय है) में फोर्ट विलियम कॉलेज प्रारंभ किया गया। इस कॉलिज का इतिहास ही वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारियों का इतिहास है। बाद में लार्ड डलहौजी की सिफ़ारिश पर जनवरी 1854 में कालिज बंद कर दिया गया। इस कॉलेज में प्रशासन, कानून तथा क्षेत्रीय भाषाएँ, विशेष रूप से खड़ीबोली हिंदी, की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। कर्मचारियों की नैतिक दशा में सुधार करना तथा उन्हें देश की भाषाओं, रीति रिवाजों से परिचित कराना तथा कुशल प्रशासक बनाना था।

हिंदी के लिए इससे अधिक और क्या गौरव की बात थी कि वह उस समय संपर्क भाषा के रूप में मान्य थी। आगरा व्यापार का बड़ा केंद्र था। ऐसी स्थिति में फोर्ट विलियम कालेज को विशेषत: आगरा से हिंदी (खड़ीबोली) पढ़ाने के लिए मुंशी (अध्यापक) को बुलाना पड़ा और आगरा की भाषा को महत्व देना पड़ा। 'न्यू टेस्टामेंट' (बाइबिल) का प्रथम हिंदी अनुवाद सन् 1807 में प्रकाशित हुआ।

फोर्ट विलियम कालेज की चर्चा प्राय: गिलक्राइस्ट के साथ इतिश्री कर दी जाती है। प्रो. गिलक्राइस्ट तो बहुत कम समय वहीं रहे (जनवरी 1804 ई. तक)। इनके बाद निम्नलिखित व्यक्तियों ने यह महत्वपूर्ण पद सम्हाला, वैसे कॉलेज तो सन् 1854 ई. तक चलता रहा:

1. कैप्टन माउन्ट (6.1.1806 से 20.2.1808)
2. कैप्टन टेलर (22.2.1808 से मई 1823 तक)
3. कैप्टन विलियम प्राइस (23.5.1823 से दिसम्बर 1831 तक)

इस दृष्टि से श्री टेलर लम्बे काल तक रहे। कैप्टन टेलर ने सन् 1815 ई. में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया था। कम्पनी की भाषानीति फ़ारसी भाषा प्रयोग की थी। सर्वप्रथम विलियम प्राइस ने गिलक्राइस्ट के मत की आलोचना की। उन्हीं के समय में हिंदी का निश्चित रूप से आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया गया। सन् 1816 ई. के अध्यादेश में अनेक परिवर्तन हुए जिसके फलस्वरूप सन् 1825 ई. में विलियम प्राइस ने (जो हिंदी और हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे) पहली बार हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक्, एक प्रमुख देशी भाषा के रूप में स्वीकार किया। प्राइस के पद त्याग करने के बाद सन् 1831 से कोई प्रोफेसर नहीं हुआ। 26 फरवरी 1824

को फोर्ट विलियम से प्रकाशित सामग्री में यह सूचना महत्वपूर्ण है। यह संतोष का विषय है कि संस्था से संबंधित विद्यार्थियों की एक पर्याप्त संख्या हिंदी के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दे रही है। उनकी प्रगति, इस भाषा में, आशा से अधिक दिखाई देती है। (डॉ. शारदा वेदालंकार की पुस्तक से, पृ. 120)

इसी समय सन् 1826 में वहाँ के पं. गंगाप्रसाद शुक्ल ने हिंदी भाषा का शब्दकोश संकलित किया। इससे पहले कैप्टन टेलर ने सन् 1808 में हिंदुस्तानी-अंग्रेजी कोश बनाया था और विलियम हन्टर ने इसको दोहराया था। इस दिशा में शेक्सपियर का कोश भी महत्वपूर्ण है। विलियम प्राइस ने 'प्रेमसागर के मुख्य शब्द' (खड़ीबोली और अंग्रेजी की शब्दावली), कलकत्ता, सन् 1825 (पृ. सं. 159) तैयार किया। शब्द नागरी तथा रोमन लिपियों में दिए गए। इस शताब्दी के अन्य कोशकारों में थोम्पसन, येट्स, हंकन फोर्बस, मथुरा प्रसाद मिश्र तथा बेट्स के नाम उल्लेखनीय है।

30.4 हिंदी की पत्रकारिता

हिंदी की पत्रकारिता का प्रारंभ

हिंदी में पत्रकारिता का उदय और विकास इसी शताब्दी में हुआ। बंगाल से प्रकाशित 'गोस्पेल मैगज़ीन' प्रारंभ में द्विभाषी (अंग्रेजी तथा बंगला में) थी बाद में त्रिभाषी हो गई। इस पत्रिका में कुछ अंश नागरी में भी प्रकाशित हुए जिसकी सर्वप्रथम सूचना डॉ. शारदा वेदालंकार ने अपने ग्रंथ 'प्रारंभिक हिंदी गद्य का स्वरूप' में दी है। अगस्त 1820 से अब हिंदी पत्रकारिता का उद्गम माना जाना चाहिए। तीसरे अंक में 'नागरी' के स्थान पर 'हिंदुवी' का प्रयोग किया जाने लगा। इसके प्राप्त अंकों से भाषा के कुछ नमूने भी दिये हैं, जैसे:

"किसी एक समय में कोई एक मनुष्य ने तुर्कीय पुरोहित के समीप जायके तीन बात पूछीं।"

स्पष्ट है कि 'जायके' अंश ब्रजभाषा से प्रभावित है। इस पत्र से जहाँ ईसाई धर्म का प्रचार हुआ वहाँ हिंदी भाषा को पादरियों से सहायता मिली। पत्रकारिता जगत में सामाजिक सुधारों के अगुआ राजा राममोहन राय (सन् 1774-1833 ई.) का विशेष योगदान रहा है। वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे।

राममोहन राय द्वारा बंगला में 'बंगदूत' तथा 'संवाद कौमुदी' (सन् 1821) का संपादन किया गया। हिंदी में पत्रकारिता के उदय का सूत्रपात यहीं से होता है। 'संवाद' तथा 'संवाददाता' शब्द जो बंगाल में प्रचलित हुए, वही आज तक प्रचलन में है।

आगे चलकर कलकत्ता ही प्रारंभ में हिंदी पत्रकारिता का गढ़ कहा जा सकता है।

30.4.1 हिंदी की पत्रकारिता का विकास

हिंदी की पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी प्राचीन तथा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई 1825 ई. को कलकत्ता से 'उदंत मार्तण्ड' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसका पता लगाने का श्रेय पं. बनारसी दास चतुर्वेदी को है जो स्वयं यशस्वी पत्रकार थे और वृन्दावन में संपन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन पर राष्ट्रभाषा के संदर्भ में पत्रकारिता के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी हुए। फलत: चतुर्वेदी जी ने विशाल भारत के कई अंकों में सन् 1831 ई. में इस पत्र की विस्तार से सूचनाएँ दीं। 'उदंत मार्तण्ड' के संपादक पं. युगल किशोर सुकुल ने इस पत्र के प्रकाशन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए संपादकीय में लिखा:

"यह उदन्त मार्तण्ड पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी और पारसी और बंगला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों को जानने व पढ़ने वालों को ही होता है। इसमें सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लेय।"

इसको उन्होंने 'नया ठाठ' बताया जिससे अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उनके अनुसार संपादक को बहुभाषाविद होना चाहिए। वे संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। इससे पहले बैपटिस्ट मिशन का बंगला भाषा में 'दिग्दर्शन' जरूर प्रकाशित

होता था जो बाद में हिंदी में भी प्रकाशित हुआ पर इसकी प्रतियाँ अभी तक किसी को नहीं मिली हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र दो वर्ष भी नहीं चल सका। अंतिम अंक में प्रकाशित पंक्तियाँ इसकी पुष्टि करती हैं:

आज दिवस औ उग चुक्यौ मार्तण्ड उदन्त। अस्ताच को जात है दिनकर दिन भयअन्त।।

(ग्यारह दिसंबर 1827)

सुप्रसिद्ध पत्रकार पराड़कर जी ने हिंदी पत्रकारिता पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। उनका मानना था कि प्रारंभ में संपादकों के समक्ष दो भाषाओं का साहित्य था - अंग्रेजी और संस्कृत/गद्य साहित्य के निर्माण में इन पत्रों ने विशेष योग दिया। उनका कथन था:

"मेरा अनुभव यह है कि हमारे गद्य के जनक इस संस्कृत गद्य शैली का और अपने समय अथवा उसके पहले की सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखकों की रचनाओं का अनुसरण कर मराठी, हिंदी, बंगला आदि गद्यों का स्वरूप निश्चित करते थे।''

उस युग के पत्रकार स्वयं साहित्यकार भी थे। एक पत्र से दूसरे क्षेत्र के पत्रों ने शिक्षा ग्रहण की।

भारतेंदु युग तक आते-आते पत्रों के प्रकाशकों को दिशा मिल चुकी थी।

इस पत्र के बंद होने से ही पहले मई 1829 से 'बंगदूत प्रारंभ हो चुका था। यह साप्ताहिक पत्र शनिवार को प्रकाशित होता था। संपादक मंडल में राजा राममोहन राय भी थे। इसके प्रारंभ में लिखा रहता था।

बंगाल का दूत पूत वहि वायु को जानो।
होय विदित सब देश क्लेश को लेश न मानो।।

प्रथम हिंदी दैनिक 'सुधावर्षण' (सन् 1854) है जिसका प्रकाशन सन् 1868 ई. तक रहा। इसके सम्पादक श्री श्याम सुन्दर सेन थे। सन् 1845 ई. से राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद का 'बनारस अखबार' प्रारंभ हुआ जिसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू प्रधान शैली का खूब विरोध हुआ। यह उर्दू का हिमायती था। पंजाब से नवीनचन्द्र राय ने 'ज्ञान प्रकाशिनी' प्रकाशित की। नवीनचन्द्र शुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे।

सन् 1852 में सदासुखलाल जी ने 'बुद्धि प्रकाश' पत्रिका आगरा से प्रारंभ की। इसकी भाषा की आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रशंसा की। एक नमूना देखिए - शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को भूलचूक से बचावें और सरल विद्या उन्हें सिखावें।

भारतेंदु ने पन्द्रह अगस्त सन् 1867 में 'कविवचन सुधा' नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की। यह सोलह पृष्ठों की पत्रिका थी जिसमें भारतेंदु स्वयं लिखते थे और अपने परिकर की सामग्री प्रकाशित करते थे। इससे भाषा-शैली का स्वरूप स्पष्ट हुआ। भारतेंदु ने ही 1873 ई. में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' निकाली जो सन् 1874 ई. में 'हरिश्चंद्र चन्द्रिका' कर दी गई। उस काल के अन्य पत्रों में वृत्तान्त दर्पण (सदासुखलाल), विद्यादर्श, समय विनोद, हिंदू प्रकाश, प्रयाग दूत, प्रेमपत्र, बिहार बंधु, बालबोधिनी, नागरी प्रकाश, आर्यदर्पण, आर्यभूषण आदि प्रमुख हैं।

30.4.2 उन्नीसवीं शताब्दी के कुछ उत्कृष्ट पत्रकार

अमृत लाल चक्रवर्ती (सन् 1863-1936) : हिंदी बंगवासी, हिंदोस्थान, भारत मित्र, वेंकटेश्वर समाचार आदि पत्रों का संपादन। हिंदी पत्रकारिता के विकास में अभूतपूर्व योगदान।

पं. अंबिका दत्त व्यास (1859-1900) : भारतेंदु युग में 'वैष्णव पीयूष प्रवाह' का संपादन किया।

पं. अंबिका प्रसाद बाजपेयी (1890-1968) : हिंदी बंगवासी, नृसिंह, भारतमित्र, सनातन धर्म आदि के संपादक। पत्रकारिता जगत के संस्मरण बड़े विस्तार से लिखे हैं।

गोपाल रामगहमरी (1866-1946) : वेंकटेश्वर समाचार, बिहार बंधु, दैनिक हिंदोस्थान का संपादन किया। सामाजिक रचनाओं द्वारा हिंदी-सेवा की।

पं. माधव प्रसाद मिश्र (1871-1907) : 'सुदर्शन' तथा 'वैश्योपकारक' के यशस्वी संपादक।

पं. राधाचरण गोस्वामी-वृन्दावन : 'भारतेंदु' पत्र का संपादन किया।

राधामोहन गोकुल (1866-1935) : ब्राह्मण तथा प्राणवीर द्वारा राष्ट्रीय जागरण का उद्घोष।

पं. झाबरमल शर्मा (1888-1983) : यशस्वी साहित्यकार झाबरमलजी भारत, कलसमाचार के संपादक रहे।

दुर्गा प्रसाद मिश्र (1860-1910) : सार सुधानिधि, उचितवक्ता, भारत मित्र का संपादन।

नरेंद्र देव (1868-1960) : जनवाणी, रणभेरी, संघर्ष के संपादक।

प्रतापनारायण मिश्र (1856-1894) : ब्राह्मण और हिंदोस्थान।

बालकृष्ण भट्ट (1844-1914) : 'हिंदी प्रदीप' के संपादक।

बदरीनाथ चौधरी 'प्रेमधन' (1855-1923) : आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद।

बाल मुकुंद गुप्त (1865-1907) : भारतमित्र, बंगवासी, हिंदोस्थान।

पं. मदनमोहन मालवीय (1861-1946) : 'हिंदोस्थान' व 'अभ्युदय' का संपादन, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के जनक, हिंदी भाषा के लिए उन्नायक, कचहरी में नागरीलिपि का प्रारंभ करने का श्रेय 18.4.1900 ई.।

महावीर प्रसाद द्विवेदी (1864-1938 ई.) : 'सरस्वती' के यशस्वी संपादक, युगनिर्माता, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने में विशेष योगदान।

गंगाशंकर मिश्र (1887-1972) : 'सन्मार्ग' का संपादन।

नवजादिक लाल श्रीवास्तव (1888-1939) : मतवाला, वीरभूमि, हिंदीमंच, चाँद आदि पत्रों का संपादन।

बद्रीदत्त पाण्डेय (1882-1968) : शक्ति और अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे।

शारदा चरण मित्र (1848-1917) : 'हावड़ा हितकारी', 'देवनागर' का संपादन।

राधाकृष्ण दास (1866-1907) : साहित्य सुधानिधि, सरस्वती के संपादक रहे।

पं. माधवराव सप्रे (1871-1926) : हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ मित्र तथा कर्मवीर के संपादक।

30.4.3 बीसवीं शताब्दी के कुछ यशस्वी संपादक

इंद्र विद्यावाचस्पति (1889-1960) : सत्यवादी विजय, अर्जुन के संपादक। हिंदी पत्रकारिता के स्तम्भ।

गणेश शंकर विद्यार्थी (1890-1931) : 'अभ्युदय' तथा 'प्रताप' के संपादक। हिंदु-मुस्लिम एकता के पक्षधर।

रामलोचन चरण 1890-1971) : 'हिमालय' और 'बालक' के संपादक। बाल साहित्य के यशस्वी लेखक।

बदरीदत्त पाण्डेय (1882-1965) : 'शक्ति' और 'अल्मोड़ा अखबार'।

मुंशी प्रेमचंद (1880-1936) : 'जागरण', माधुरी, मर्यादा आदि। 'हंस' के यशस्वी संपादक।

रामचंद्र वर्मा (1890-1969) : बिहार बंधु, हिन्दी, केसरी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन।

केशवराम भट्ट (1885-1905) : 'बिहार के बंधु' के संपादक।

रामदहिन मिश्र (1886-1952) : किशोर, पारिजात, बालमित्र, बाल साहित्य के पोषक।

कृष्णकांत मालवीय (1893-1941) : अभ्युदय, किसान, मर्यादा के संपादक।

कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 'बेढ़ब बनारसी' (1895-1968) : भारत जीवन, तरंग का संपादन। हास्य व्यंग्य की विधाओं को पुष्ट किया।

मातादीन शुक्ल (1891-1954) : अभ्युदय और माधुरी के संपादक।

माखनलाल चतुर्वेदी (1889-1968) : प्रताप, प्रभा और कर्मवीर के संपादक। यशस्वी साहित्यकार। म.प्र. शासन ने उनके नाम से पत्रकारिता का विश्वविद्यालय।

देवीदत्त शुक्ल (1888-1970) : बालसुधा और सरस्वती का संपादन।

पद्मसिंह शर्मा (1877-1932) : भारतोदय, परोपकार का संपादन। संस्मरण विधा के यशस्वी लेखक। सुप्रसिद्ध शैलीकार।

इसी धारा को जिन अन्य संपादकों ने आगे बढ़ाया उनमें कुछ उल्लेखनीय हैं : सर्वश्री कृष्ण व्यास (नई दुनिया), कृष्णबिहारी मिश्र (माधुरी), गिरजादत्त शुक्ल गिरीश (बालसुखा, मनोरमा), गंगाशरण सिंह (युवक, जनता), रामनरेश त्रिपाठी (कवि कौमुदी), रामवृक्ष बेनीपुरी (किसान, तरुणभारत, जनवाणी), सत्यदेव विद्यालंकार (विश्वमित्र, विजय), श्रीराम शर्मा (प्रताप, प्रभा, विशाल भारत), हरिशंकर शर्मा (भारतोदय, आर्य मित्र), हरिभाऊ उपाध्याय (प्रताप, त्यागभूमि), दुलारे लाल भार्गव (माधुरी, सुधा), द्वारिका प्रसाद मिश्र (सारथी, लोकमत), पद्मकांत मालवीय (अभ्युदय), धर्मवीर भारती (धर्मयुग), अज्ञेय (सैनिक, विशालभारत, प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स), राजेंद्र यादव (हंस), राजेंद्र अवस्थी (कादंबिनी), प्रभाष जोशी (जनसत्ता), राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी (हिंदुस्तान), विद्यानिवास मिश्र (नवभारत टाइम्स, साहित्य अमृत) आदि।

30.5 राजा शिवप्रसाद सिंह तथा राजा लक्ष्मण सिंह

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में दो साहित्यकार उभर कर आए :

1. राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिंद' और
2. राजा लक्ष्मण सिंह

प्रथम ने हिंदी और उर्दू को समीप लाने की चेष्टा में हिंदी को उर्दू से भर दिया जबकि दूसरा संस्कृत की तत्समता की ओर झुका।

राजा शिवप्रसाद ने अनेक पाठ्यपुस्तकों की रचना भी की और हिंदी को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाया। सितारे हिंद की नीति सरकारी नीति का पक्ष लेना था। 'राजा भोज का सपना' प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका एक उद्धरण भाषा के नमूने के लिए प्रस्तुत है :

> "तू ईश्वर की निगाह में क्या है क्या हवा में बिना धूप तृस रेणु भी दिखाई
> देते हैं पर सूर्य की किरन पड़ते ही कैसे अनगिनत चमकने लग जाते हैं।
> क्या कपड़े में छाने हुए पानी की दरमियान किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं।
> पर जब शीशे को लगाकर देखो जिससे छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है तो
> उस एक बूँद में हजारों ही जीव सूझने लगते हैं।"

हिंदी को व्यापक स्वीकृति दिलाने के लिए वह हिंदी को सरलता की ओर ले जाने के लिए उर्दू की शब्दावली लाने लगे। उनका विचार था कि "हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो आमफहम खास पसन्द हों अर्थात् जिनको ज्यादा आदमी समझ सकते हों।"

उनके प्रयास से भाषा पंडिताऊपन से मुक्त हुई। वर्तनी में एकरूपता नहीं आ सकी। दो-दो रूप चलते रहे, जैसे उनने-उन्ने, उसके-उस्के, सकता-सक्ता। भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया गया और

अरबी-फारसी की ध्वनियों - क़, ख़, ज़, फ़, रा को शुद्ध लिखने की ओर ध्यान दिलाया।

राजा साहब की शैली का पर्याप्त विरोध हुआ विशेषत: 'इतिहास तिमिरनाशक' की भाषा को लेकर। इस पुस्तक की भाषा को प्रकारान्तर से उर्दू कहा जा सकता है :

"बगावत का शुबहा हुआ पूछने पर उक़ूबत और सियासत के डर से झूठा इक़रार कर दिया...।"

मात्र व्याकरणिक शब्दों को - क्रियारूप - छोड़कर शेष हिंदी नहीं है। इस एक वाक्य में 'के डर से' मात्र हिंदी है।

शिवप्रसाद की भाषानीति के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह दूसरी दिशा में जाते हुए दिखाई दिये। वे विशुद्ध हिंदी के पक्षधर थे। वे उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे। उन्होंने शकुन्तला नाटक और मेघदूत के अनुवादों में भाषा के इस रूप को ही दिखाया :

"पहले तो राज बढ़ाने की कामना चित्त को खेदित करती है फिर जो देश जीतकर बस गए हैं उनकी प्रजा के प्रतिपालन का नियम दिन रात मन को विकल रखता है जैसा बड़ा छत्र यद्यपि घाम की रक्षा करता है परंतु बोझ भी देता है। "

अनेक प्रयोग मानक नहीं कहे जा सकते। राजा लक्ष्मण सिंह का विचार था कि "हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं उर्दू में अरबी पारसी के। परंतु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी पारसी शब्द भरे हों।"

भाषा के इसी रूप के पक्षधर हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती, पं. भीमसेन शर्मा, अम्बिका दत्त व्यास आदि। आज अनेक विद्वानों ने इसी शैली को परिष्कृत कर अपनाया है। भाषा को परिनिष्ठित रूप देने में उक्त दोनों ध्रुवों ने बाधा पहुँचायी। धीरे-धीरे खड़ीबोली व्यावहारिक रूप की ओर अग्रसर हुई।

मौलिक लेखन तथा अनुवादों की भाषा में भी अंतर बना रहा। लक्ष्मण सिंह यदि मौलिक लेखन अधिक करते तो वे ही भाषा को वह रूप प्रदान कर सकते थे जो कुछ दशक बाद आया।

30.6 भारतेंदु युग

ऐसी परिस्थितियों में भारतेंदु युग का आविर्भाव हुआ। इस समय की साहित्यिक गतिविधियाँ भारतेंदु की रुचि, साहित्य सेवा और सजगता में समर्पित है। गद्य की दृष्टि से सही अर्थों में यही गद्य का प्रवर्तन काल था। काव्य के संदर्भ में नई धारा का शुभारम्भ हुआ। भारतेंदु और उनकी मण्डली का व्यक्तित्व और कृतित्व मुखर रूप में प्रस्तुत हुआ।

'कविवचन सुधा' के प्रकाशन से नई पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिला। ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ीबोली में काव्य रचना होने लगी। काव्यभाषा के संदर्भ में अयोध्या प्रसाद खत्री का खड़ी बोली का आंदोलन उल्लेखनीय है। खड़ीबोली कविताओं का संकलन (सन् 1887 में) प्रकाशित हुआ जो बाद में सजधज के साथ इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ। पिन्कॉट ने इस संकलन की भूरि-भूरि प्रशंसा की। बाद में तो श्रीधर पाठक भी खड़ीबोली में काव्य रचना करने लगे। सन् 1886 में 'एकान्तवासी योगी' की खड़ीबोली में प्रस्तुत किया।

कविता नई चाल में ढलने लगी। कवियों का झुकाव खड़ीबोली की ओर होने लगा। भारतेंदु स्वयं खड़ीबोली में काव्यरचना करने में संकोच करते थे। उन्हें भय था कि कहीं इस बहाने उर्दू ही न आ जाए। भारतेंदु ने शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बीच में से मध्यम मार्ग निकाला। भाषा में न पंडिताऊपन हो और न उर्दू शैली की क्लिष्टता'। भाषा में से हिंदीपन न जाने पाये, इस बात का भरसक प्रयत्न किया। खड़ीबोली को क्लिष्ट प्रयोगों और पंडिताऊपन से मुक्त रखा। साधु शैली का रूप निश्चित किया और उसे 'नये चाल की हिंदी' की संज्ञा सन् 1873 में प्रदान की। "निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल" का मंत्र देने वाले भारतेंदु की सर्वत्र प्रशंसा हुई। वहाँ कुछ सार्थक सम्मतियाँ देना उपयुक्त होगा :

"जो लोग विवेकी हैं वे इसे अवश्य स्वीकारेंगे कि श्री हरिशचंद्र जी ने उस बिगड़ी हुई भाषा को जो ग्रामीण स्त्री देश में थी, सुधाकर सुसम्पन्न नागरी करके नागरी शब्द को सार्थक कर दिखलाया। हिंदी भाषा ने उनके समय में वह लावण्य या माधुर्य धारण किया कि लोग देखते ही मुग्ध हो जाते हैं और जिन लोगों को बाल्यावस्था से मियाँ जी की तख्ती लिखने का अभ्यास था वे भी इसी पर लट्टू हुए फिरते हैं, अधिक कहाँ तक उन्होंने उसकी आकृति ऐसे साँचे में खींची कि सब में हिंदी का समादर होने लगा।"

(मित्र विलास दिनांक 17.10.87
डॉ. बाहरी की 'हिंदी भाषा' पृ. 52 से उद्धृत)

"यह सच बात है कि आपकी हिंदी और हिंदुस्तान सबसे मनोहर है, इसके बदले में राजा शिवप्रसाद को अपना ही हित सबसे भारी बात है।"

'पिन्कॉट'

आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 'हिंदी साहित्य के इतिहास' में लिखा :

> "जब भारतेंदु अपनी मँजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तो हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया।"

भारतेंदु ने एक साथ कई प्रकार की गद्य शैलियों को अपनाया। भारतेंदु की भाषा में सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत हुआ है और चुभता व्यंग्य भी। फ़ारसी शब्दों से भी उन्हें परहेज नहीं था, (खुदा इस आफ़त से जी बचाये।) तत्सम-तद्भव से युक्त भाषा (यदि हमको भोजन की बात हुई तो भोजन का बधान बाँध देंगे।), कहीं-कहीं अंग्रेजी शब्दों का समुचित प्रयोग (कंपनियों के सैकड़ों गैंग), संस्कृतिनिष्ठता (अनवरत आकाश मेघाच्छन्न रहता है।) आदि अनेक भाषा के शैली रूप उनके साहित्य में चलते रहे। उनके परिकर में बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमधन', श्री निवासदास, पं. प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, तोताराम, बालकृष्ण भट्ट आदि प्रमुख साहित्यकार थे।

राधाचरण गोस्वामी वृन्दावन के होने के नाते ब्रजभाषा में निष्णात थे और शुद्ध हिंदी के पक्षधर थे। राधाकृष्ण दास भी नाटकों में पात्रानुकूल भाषा अपनाते थे वैसे उन्हें संस्कृतनिष्ठता प्रिय थी। बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, तोताराम, लाला श्री निवास दास चलती भाषा अपनाते थे जिससे प्रभावी हो सके। प्रतापनारायण मिश्र की भाषा सभी को आकर्षित करती थी। भाषा में पूर्वीपन की झलक है। व्यंग्यात्मक भाषा लिखने में सिद्धहस्त थे। भाषा का प्रांजल स्वरूप द्रष्टव्य है :

"यह तो समझिए यह देश कौन है? वही न? जहाँ पूज्य मूर्तियाँ भी दो-एक छोड़ चक्र या त्रिशुल व खड्ग व धनुष से खाली नहीं हैं, जहाँ धर्म ग्रंथ में भी धनुर्वेद मौजूद है।"

बालकृष्ण भट्ट अच्छे निबंधकार थे। किसी भी विषय पर बड़ी कुशलता से लिख लेते थे। हिंदी का निबंध साहित्य बिना बालकृष्ण भट्ट के अधूरा ही माना जाएगा। अपने विचारों की पुष्टि के लिए संस्कृत के उद्धरण देते थे। शुद्ध हिंदी के पक्षधर होते हुए भी यथावश्यक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उठाय, बैठाय जैसे लोकभाषा के प्रयोग भी उनके निबंधों में मिल जाते हैं। भट्ट जी ने अपने लेखन से हिंदी को गौरव दिलाया और दिखा दिया कि खड़ीबोली भी साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। श्रीनिवासदास ने उपन्यास लिखा। तोताराम ने विविध समाजोपयोगी सामग्री से हिंदी साहित्य के भंडार को भरा। भारतेंदु परिकर में पूर्व-पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों के साहित्यकार थे, मथुरा के श्रीनिवासदास, अलीगढ़ के तोताराम, वृन्दावन के राधाचरण गोस्वामी, आदि पश्चिमी हिंदी-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे तो गोपाल राम, बद्रीनारायण चौधरी, पं. प्रतापनारायण मिश्र आदि पूर्वी क्षेत्र का। उल्लेखनीय बात यह थी कि कोई भी लेखक किसी भी क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र की बोली के प्रभाव से मुक्त होकर खड़ीबोली में रचना कर रहा था।

देवकीनंदन खत्री अपने उपन्यासों के माध्यम से हिंदी का प्रचार कर रहे थे। फ़ारसी के कठिन शब्दों के प्रयोग से अपने को बचाते हुए उपन्यास लिखने लगे।

लगभग सभी लेखक पत्रकार जगत से जुड़े हुए थे। आम आदमी की चिन्ता के कारण भाषा सहज व सरल अपनायी गई। भाषा का प्रचार-प्रसार उनका उद्देश्य तो नहीं था पर साहित्य के माध्यम से इसको प्राप्त किया। यह सब होते हुए भी खड़ीबोली पूरी तरह से ब्रजभाषा के प्रयोगों तथा पूर्वी हिंदी के प्रयोगों से मुक्त नहीं थी। अरबी-फ़ारसी की शब्दावली का यथावश्यक प्रयोग भी चलता रहा।

अंग्रेजी के आगत शब्द भी बढ़ते गये, जैसे - पालिसी, फीलिंग, लालटेन, गिलास आदि।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक खड़ीबोली साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। इस शताब्दी के भाषिक स्वरूप पर सुप्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. हरदेव बाहरी ने टिप्पणी करते हुए लिखा है :

"उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध की भाषा-स्थिति का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भारतेंदु हरिशचंद्र और उनके युग के साथी खड़ी बोली की उन्नति के लिए बहुत सक्रिय थे और उन्होंने मौलिक कृतियों तथा अनुवाद द्वारा साहित्य को समृद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया परंतु भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाई थी। अत: सामान्य रूप से भाषा का गठन, शब्दावली प्रयोग, वर्तनी, व्याकरण तथा कथ्य की अव्यवस्था बनी रही। भारतेंदु भाषा नीति के संबंध में जागरूक अवश्य थे। उन्होंने राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पद्धति में से एक बीच का मार्ग निकाला तो, परंतु प्राय: लेखकगण अपने-अपने ढंग से चलते रहे। ...काव्यभाषा में ब्रजभाषा का प्रयोग चलते रहने के कारण खड़ीबोली साहित्य की वेदी पर प्रतिष्ठित तो हुई परंतु एक आदर्श की स्थापना नहीं हो पाई।"

काव्यभाषा के रूप में शताब्दियों से ब्रजभाषा प्रतिष्ठित थी अतएव जल्दी से उसको हटाना संभव नहीं था पर प्रयत्न प्रारंभ हो गए जिनमें अयोध्या प्रसाद खत्री का प्रयास सराहनीय रहा। हिंदी-शिक्षण के लिए जो 'हिंदी मैन्युअल' तैयार हुए उनमें श्रीधर पाठक जी का नाम विशेष उल्लेखनीय इस दृष्टि से है कि उनकी रचनाओं को उसमे स्थान मिला।

गद्य के क्षेत्र में खड़ीबोली ने अपना स्थान बना लिया पर उसके स्वरूप को परिनिष्ठित बनाने का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में किया। पद्य के क्षेत्र में खड़ीबोली ने अपना प्रवेश कर लिया पर पैर जमाने का श्रेय आचार्य द्विवेदी को है जिन्होंने सरस्वती के माध्यम से नाथूराम शंकर तथा मैथिलीशरण गुप्त को व्यापक रूप से स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचन्द या प्रसाद आदि की रचनाओं ने भी सर्वप्रथम सरस्वती में स्थान पाया। हिंदी को प्रतिष्ठित करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उस युग की पत्रिका 'सरस्वती' के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी पत्रिका 'समालोचक' (सन् 1902) का विशिष्ट स्थान रहा। इसके पहले संपादक गोपालदास गहमरी थे। सन् 1903 में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने संपादन का कार्यभार सम्हाला।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में बाबू श्यामसुंदर दास के अथक प्रयासों से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्दकोश का कार्य प्रारंभ किया जो आगे चलकर 'हिंदी शब्द सागर' शीर्षक से प्रकाशित हुआ और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसकी भूमिका के रूप में 'हिंदी साहित्य का इतिहास' की रचना की।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध को संक्रमणकाल कहा जा सकता है। यह नई तथा पुरानी प्रवृत्तियों का संधिकाल है। सामाजिक चेतना उभरकर आयी जिससे देशभक्ति का स्वर उभरा यद्यपि राजभक्ति भी चलती रही। नाटक विधा का प्रारंभ हुआ और जनसंपर्क की सशक्त विधा पत्रकारिता का आविर्भाव हुआ। पत्रों के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार प्रारंभ हुआ तो गद्य साहित्य में नई विधाओं का पदार्पण हुआ।

30.7 द्विवेदी युग

सन् 1900 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से 'सरस्वती' मासिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ जिसने युगान्तरकारी भाषा-चेतना उत्पन्न की। इसकी संपादन समिति में श्री कार्तिक प्रसार खत्री, पं. किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, बाबू राधाकृष्ण दास व बाबू श्यामसुंदर दास थे। इस पत्रिका का उद्देश्य था - "हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ भाषा के सरस्वती भंडार की अंगपुष्टि, वृद्धि और पूर्ति।" पत्रिका में गद्य-पद्य नाटक, शिल्प, कला-कौशल, साहित्य ग्रंथों की समालोचना भी प्रकाशित होती थी।

साहित्य के नव-उत्थान के लिए इसका जन्म हुआ। साहित्य के इतर जीवन-चरित्र, प्रकृति वर्णन, यात्रा वर्णन, कवि-परिचय, फोटोग्राफ़ी, ज्ञान-विज्ञान के नए विषय भी सम्मिलित थे। कुछ समय बाद ही आचार्य द्विवेदी ने इसका संपादन सम्हाल लिया और बड़ी निष्ठा से दो दशक तक इसका संपादन

किया। इसके माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार किया और मानकता देने में भरसक लगे रहे। वह सामग्री का ऐसा संशोधन करते थे कि अधिकतर लोगों की समझ में भाषा आए। उनके कुछ आदर्श रहे। उन्होंने संकल्प किया था :

- वक्त की पाबंदी करूँगा।
- मालिकों का विश्वासपात्र बनने की चेष्टा करूँगा।
- अपने हानि-लाभ की परवाह न कर पाठकों के हानि-लाभ का सदा ध्यान रखूँगा।
- न्याय-पक्ष से कभी न विचलित हूँगा।

लोगों के साथ द्विवेदी जी की टिप्पणियाँ भी रहती थीं। भाषा परिष्कार के संबंध में उनका कथन था :

"यह न देखना कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। देखना सिर्फ़ यह कि इस शब्द, वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर विद्वता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की।''

द्विवेदी जी स्वयं संस्कृत के विद्वान थे साथ ही भारतीय संस्कृति के पक्के समर्थक तथा स्वदेश-प्रेमी साहित्यकार थे। उन्होंने इस दृष्टि से कवियों को इस ओर मोड़ा जिसके फलस्वरूप भारतीय आदर्श स्थापित हुआ। मानव के आदर्श और यथार्थ दोनों रूपों का चित्रण पत्रिका में किया गया। मानव के आदर्श रूप को चित्रित करने के लिए कवियों को मोड़ा और राजा रवि वर्मा के चित्रों को प्रकाशित किया। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ीबोली को स्थापित किया जिसके संबंध में पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी (कालांतर में 'सरस्वती' के संपादक भी रहे) जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है।

"द्विवेदी जी ने सरस्वती के शक्तिशाली माध्यम से अनुयायियों की सहायता और समर्थन से अंत में ब्रजभाषा को साहित्य जगत से निकाल बाहर करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और उनके बाद जो पीढ़ी आयी उसके संस्कार खड़ी बोली ही के थे।''

(आधुनिक हिंदी का आदिकाल, पृ. 236)

आचार्य द्विवेदी के समय ही जो ग्रीवज़ ने हिंदी साहित्य का इतिहास (रेखांकन-स्केच) लिखा उसमें उनके बाद में स्पष्ट शब्दों में लिखा :

"आचार्य द्विवेदी एक अध्यवसायी व्यक्ति हैं और संपादकीय लेखों में श्रम करने के अतिरिक्त उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ पुस्तकें मौलिक हैं कुछ संस्कृत और अंग्रेजी से अनूदित हैं। अनूदित पुस्तकों में मिल कृत 'स्वतंत्रता' और हर्बर्ट स्पेंसर कृत 'शिक्षा' उल्लेखनीय है।''

(पृ. 156)

इस युग का सम्यक् मूल्यांकन करते हुए डॉ. रामचंद्र तिवारी ने व्यक्त किया है :

"नयी जीवन दृष्टि ने नयी भाषा को माध्यम बनाया। खड़ीबोली पूर्णत: प्रतिनिष्ठित हुई। उसे पंडिताऊ और ठेठ गँवारूपन से मुक्त करके माँजा-सँवारा गया। साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा, समाज-सुधार, चरित्र-निर्माण या व्यापक राष्ट्रीय हित होने के कारण इस काल की साहित्यिक कृतियों में कलात्मक निखार तो नहीं आया, किंतु सभी प्रकार की गद्य-विधाओं की विकास परंपरा का आरंभ अवश्य हो गया। साहित्य का स्वर क्रमश: गंभीर हुआ और उसमें दायित्व-बोध जागा। साहित्य को शिष्ट समाज में प्रवेश पाने योग्य समझा जाने लगा और सब मिलाकर हिंदी को व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।''

(हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ. 526)

सामान्यत: द्विवेदी काल सन् 1898 से 1918 ई. तक माना जाता है और इसको बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दो दशक कहा जा सकता हैं।

30.8 हिंदी के बढ़ते चरण

राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रतिष्ठापन के बाद हिंदी के परिचय में वृद्धि हुई और उसके प्रकार्य बढ़ गए। साहित्यिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कारण, नई-नई विधाओं और साहित्यिक धाराओं का प्रवर्तन हुआ जिससे हिंदी समुन्नत बनी। हम आगे इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे।

30.8.1 साहित्यिक गतिविधियाँ

द्विवेदी काल के बाद साहित्यिक दृष्टि हिंदी भाषा का विभिन्न दिशाओं में जो विकास हुआ है उसके समक्ष विश्व की कुछ ही भाषाएँ ठहर सकती हैं। यही कारण है कि आज भारत में संप्रेषणीयता की दृष्टि से हिंदी सर्वोपरि है। साहित्यिक दृष्टि से द्विवेदी जी के सामने ही 'छायावाद' की धारा प्रवाहित हो गई थी जिसके तत्काल बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन में नयी कविता, गीत, अकविता से लेकर क्षणिकाएँ (हाइकू) लिखी जाने लगी हैं। आधुनिक काल में रचित कुछ उल्लेखनीय प्रबंध काव्य हैं :

'तक्षशिला' (उदयशंकर भट्ट), 'नूरजहाँ' (गुरु भक्त सिंह), 'सिद्धार्थ' (अनूप शर्मा), 'तुलसीदास' (निराला), 'हल्दीघाटी' (श्याम नारायण पांडेय), 'कृष्णायन' (द्वारिकाप्रसाद मिश्र), 'एकलव्य' (रामकुमार वर्मा), 'कुरुक्षेत्र' (दिनकर), 'जननायक' (रघुवीर शरण मित्र), 'पार्वती' (रामानंद तिवारी), 'नारी' (अतुलकृष्ण गोस्वामी), 'मीरा' (परमेश्वर द्विरेफ), 'उर्मिला (बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'), 'झांसी की रानी' (आनंद मिश्र), 'द्रौपदी' (नरेंद्र शर्मा), 'लोकायतन' (सुमित्रानंदन पंत), 'कनुप्रिया' (भारती), 'आत्मजयी' (कुँवरनारायण), 'संशय की एक रात' (नरेश मेहता)।

अज्ञेय ने जो 'तारसप्तक' का संपादन किया उसके बाद दूसरा, तीसरा तथा चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। गीत काव्य व नई कविता पर कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।

गद्य में जहाँ उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी लिखे जा रहे हैं, वहीं गद्य की अनेक अन्य विधाओं का पर्याप्त विकास हो रहा है जिनमें प्रमुख हैं :

रिपोर्ताज, डायरी, साक्षात्कार (इंटरव्यू), ललित निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, व्यंग्य विनोद, यात्रा-साहित्य, पत्र, फ़ीचर, लघुकथा, नुक्कड़ नाटक, रेडिया-रूपक, ध्वनि नाट्य, सोप ओपेरा, वार्तालाप-बतकही, अचर्चा, टिप्पणी, पोस्टर, कोलाज आदि।

ज्ञान की विविध विधाओं में पर्याप्त साहित्य अब प्रकाशित हो रहा है। धार्मिक साहित्य का प्रकाशन तो उन्नीसवीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था जिसमें निरंतर प्रगति होती गई। प्रौढ़-शिक्षा तथा बाल-शिक्षा की दृष्टि से गत कुछ दशकों में इतना अधिक साहित्य प्रकाशित हुआ है जिसको सूचिबद्ध करने में भी कई ग्रंथ बन सकते हैं।

30.8.2 भाषा का विकास

बीसवीं शताब्दी में हिंदी भाषा का विकास सभी दृष्टियों से हुआ है। शताब्दी के प्रारंभ में नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ने 'शब्द सागर' की जो योजना बनायी वह तीसरे दशक में आठ खंडों में पूर्ण हुई। इसका संक्षिप्त संस्करण रामचंद्र वर्मा ने तैयार किया। उन्होंने ही 'मानक कोश' तैयार किया और बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से पाँच खंडों में बृहत् कोश भी तैयार किया। इस समय अनेक प्रकार के कोश डॉ. हरदेव बाहरी, डॉ. बदरीनाथ कपूर, डॉ. सुरेश अवस्थी आदि विद्वानों द्वारा तैयार किए गए, प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं। श्री अरविंद कुमार जी ने गहन परिश्रम से 'समानांतर कोश' तैयार किया जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधि मंत्रालय द्वारा अनेक कोश प्रकाशित किए गए हैं। बैंकिंग एसोशिएशन ने भी बैंकिंग की दृष्टि से कोश प्रकाशित किया है।

सूचना क्रांति ने तो इक्कीसवीं शताब्दी में खटखटाया है पर हिंदी भाषा इस दिशा में निरंतर अग्रसर होती गई है। अनेक दिशाओं में से कुछ हैं:

- वेब डेवलमेंट, वेब मार्केटिंग की दृष्टि से सर्व प्रथम 'वेब दुनिया' आया।
- टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर की दृष्टि से कई दशक पहले नागरी लिपि आगे आई पर अब तो 'फ़ैक्स' पेजिंग व्यवस्था कंप्यूटर आदि सर्वत्र में हिंदी व नागरी लिपि है।
- आई.आई.टी., कानपुर द्वारा विकसित जिस्ट (GIST) का विकास सी-डैक, पुणे द्वारा किया गया है।
- 'पाठ से वाचन' (Text to speech) का विकास द्रुत गति से हो रहा है।
- कंप्यूटर के लिए अनेक सॉफ़्टवेयर तैयार हो गए हैं - फैक्ट, सुलिपि, आकृति, पी.सी. डॉस,

बैंक्स, श्रीलिपि, प्रकाशक, लीप आफ़िस, अक्षर आदि प्रमुख हैं। अब तो ऑफिस एक्सपी भी उपलब्ध है।

– हिंदी सीखने के लिए 'लीला प्रबोध', 'लीला प्रवीण' 'गुरु' जैसे अन्य कई प्रोग्राम उपलब्ध हैं।

– ई-मेल, इंटरनेट में सुविधाएँ उपलब्ध हैं। विस्तार के लिए पृथक् से अध्ययन करना होगा।

30.9 सारांश

इस इकाई में संक्षेप में खड़ीबोली हिंदी के आधुनिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। वैसे तो खड़ीबोली के तत्व हिंदी भाषा के आदि काल से पुरानी हिंदी में प्रकट होते हैं जिनका विकास अमीर खुसरो, कबीर की भाषा में स्पष्टत: दिखाई देता है तथा दकनी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं पर 'खड़ीबोली' नाम देने का श्रेय कलकत्ता स्थित फ़ोर्ट विलियम कॉलेज को जाता है। कॉलेज की भूमिका और 'खड़ीबोली' नाम पर विशेष रूप से सामग्री दी गयी है।

हिंदी के विकास में पत्र-पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है जो आज भी चल रहा है। जब से सूचना प्रौद्योगिकी में संचार माध्यमों का महत्व बढ़ा है, हिंदी विश्व भाषा के रूप में उभर कर आ रही है। यही कारण है कि हिंदी की पत्रकारिता पर विस्तार से दिया जा रहा है।

भारतेंदु जी ने 'नए चाल की हिंदी' का उद्घोष किया जिसको मानक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को है जिन्होंने 'सरस्वती' पत्रिका के संपादन में यह कौशल दिखाया। इस पर विस्तार से हमने इस इकाई के भाग 30.4 में चर्चा की है।

30.10 अभ्यास प्रश्न

1. 'खड़ी बोली' नामकरण के संबंध में विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए अपने विचार लिखिए।
2. खड़ीबोली के उन्नयन में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
3. खड़ीबोली के विकास में पत्र-पत्रिकाओं के योगदान पर संक्षिप्त निबंध लिखिए।
4. राजा शिवप्रसाद सिंह तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ीबोली के विकास में भाषा के किस-किस रूप को महत्व दिया।
5. खड़ीबोली के विकास भारतेंदु युग के महत्व को प्रतिपादित कीजिए।
6. भारतेंदु की 'नए चाल की हिंदी' से क्या तात्पर्य है?
7. हिंदी के विकास में आचार्य द्विवेदी का महत्व किस दृष्टि से विशेष है? उनका योगदान स्पष्ट कीजिए।
8. हिंदी के विकास की विभिन्न दिशाओं को स्पष्ट कीजिए।

इकाई 31 हिंदी के बढ़ते चरण

इकाई की रूपरेखा

31.1 उद्देश्य

इस इकाई में स्वतंत्रता के बाद हिंदी की स्थिति और प्रकार्यों की चर्चा की गई है। हिंदी एक विशाल देश की राजभाषा है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और महत्व है और वह देश की अन्य विकासशील भाषाओं के लिए अग्रणी और सहयोगी है। हम यह देखना चाहेंगे कि इन भूमिकाओं के निर्वाह के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और हिंदी का विकास किन दिशाओं में हो रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- राजभाषा की परिभाषा कर सकेंगे और राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रकार्य समझा सकेंगे;
- हिंदी की विविध भूमिकाओं की व्याख्या कर सकेंगे;
- प्रयोजनमूलक भाषा के संदर्भ में हिंदी के प्रकार्य बता सकेंगे;
- प्रौद्योगिकी के विकास के युग में हिंदी के विकास की स्थिति और समस्याओं की चर्चा कर सकेंगे; और
- हिंदी के मानकीकरण की आवश्यकता और अद्यतन प्रयासों की चर्चा कर सकेंगे।

31.2 प्रस्तावना

जिस तरह साहित्य के इतिहास में उत्थान के समय आते हैं और समय-समय पर गतिविधियों का तेज़ दौर आता है, उसी तरह भाषा के इतिहास में भी उत्थान और उन्मेष के क्षण आते हैं। यह अपने में रोचक तथ्य है कि एक स्थानीय बोली के रूप में प्रचलित खड़ीबोली आधुनिक युग में पूरे देश को गति देने वाली हिंदी भाषा बनी और अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आधुनिक भाषा भी बनी

है। यही नहीं तकनीकी युग की इंटरनेट की भाषा के रूप में इसका वर्चस्व है।

पिछली इकाइयों में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह आदिकाल से ही मध्यदेश की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का जन सामान्य के संपर्क के लिए उपयोग होता रहा है। केवल संयोग की बात है कि आधुनिक युग तक इसमें व्यापक स्तर पर साहित्य रचना नहीं हुई। आधुनिक युग में प्रवेश के साथ ही हिंदी भाषा पूरे हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आधुनिक युग की परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी भाषा ने अपने प्रयोजनों का विस्तार किया। हिंदी साहित्यिक भाषा के साथ साथ पत्रकारिता की भाषा, जन संचार माध्यमों की भाषा और शिक्षण-प्रशिक्षण की भी भाषा बनी और उसका तेज़ी से विस्तार हुआ।

हम आगे इस इकाई में पढ़ेंगे कि किस तरह स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदी देश की अस्मिता की भाषा बनी और लोगों ने व्यापक जन संपर्क के लिए इस भाषा को चुना। हिंदी भाषा आधुनिक युग तक एक क्षेत्रीय भाषा थी जिसमें साहित्य की रचना हुई। मध्यदेश की भाषा होने के कारण यह देश में संपर्क भाषा भी बनी।

आधुनिक युग में देश में स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ा तो सारा देश इस संग्राम में कूद पड़ा। पढ़े - लिखे लोग अंग्रेजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते थे। महात्मा गांधी ने अनुभव किया कि पूरे देश की जनता को इस संग्राम में शामिल करने के लिए देश की भाषा की आवश्यकता है। व्यापक जन संपर्क के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को चुना, क्योंकि यह अधिकांश जनसंख्या की भाषा है और देश में सर्वत्र बोली-समझी जाती है। वे इस बात से भी अवगत थे कि हिंदी और उर्दू में अलगाव बढ़ रहा है। इस खाई को पाटने के लिए गांधी जी ने मिले जुले रूप हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी। उन्होंने देश में हिंदुस्तानी के व्यापक प्रचार की योजना बनाई और इसके अंतर्गत दक्षिण में हिंदी के प्रचार के लिए 1917 में दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। तब से लेकर अब तक देश के विभिन्न प्रदेशों में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है। इससे देश भर में हिंदी के व्यापक प्रचार को गति मिली।

1947 में देश स्वतंत्र हुआ और 1950 में गणतंत्र बना। भारत के संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया। राजभाषा की भूमिका में हिंदी के सामने कई नये दायित्व उपस्थित हुए, कई नए कार्यक्षेत्र खुले। शिक्षा, प्रशासन, व्यापक जन संपर्क तथा जन संचार आदि क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएँ बढ़ीं। लेकिन उस समय अंग्रेजी ही इन भूमिकाओं का निर्वाह कर रही थी। हिंदी में इन क्षेत्रों में काम करने के लिए तकनीकी और प्रक्रियात्मक साहित्य का अभाव था। एक आधुनिक युग की भाषा के रूप में हिंदी भाषा के विकास का सवाल उठा और सरकारी प्रयत्नों से विकास के कार्यान्वयन की योजनाएँ बनी। पिछले 50 वर्षों में हिंदी भाषा में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

इस इकाई में हम पिछले 50 वर्षों में हिंदी भाषा की स्थिति, समस्याओं और संभावनाओं की चर्चा करेंगे।

31.3 संविधान में हिंदी

भारत के संविधान में भाषाओं के सवाल को जो महत्व दिया गया है, उसी से हम भाषा के बारे में चिंतन का अनुमान कर सकते हैं। 17 भागों में से एक (भाग 17) पूरा भाषा के लिए दिया गया है। कुल 395 अनुच्छेदों में से 11 भाषा के लिए हैं, जो लगभग 3% बनता है। 9 अनुसूचियों में से एक (अष्टम अनुसूची) भाषा के सवाल के लिए है। संविधान में भाषाओं के संदर्भ में जो चिंतन दिखायी पड़ता है, वह जनतांत्रिक है, राष्ट्रीय दृष्टि से संघीय प्रकृति का है।

भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ में तीन शब्द सुनायी पड़ते हैं - राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। प्राय: लोग इन तीनों संदर्भों में अंतर नहीं करते। कई लोग प्राय: हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि यह शब्द भारत के संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन यह शब्द अपने आप अस्तित्व में नहीं आया। महात्मा गांधी ने 1917 में ही भारत की राष्ट्रभाषा (National

Language) पर चर्चा में[1] हिंदी को ही इस पद के लिए उपयुक्त माना। उनके इस भाषा में राष्ट्रभाषा के पद के लिए पहली आवश्यकता सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीखी जाने योग्य सरल भाषा की थी। अतः यह निश्चित है कि उन्होंने राजभाषा के संदर्भ में ही राष्ट्रभाषा की कल्पना की थी। लेकिन साथ ही स्वतंत्रता से पूर्व के हिंदी आंदोलन में राष्ट्रभाषा की संकल्पना राष्ट्र के एकीकरण की दृष्टि से, देशभक्ति के विकास के साधन के रूप में प्रस्तुत की गई। अब भी हम हिंदी के सवाल को मात्र केंद्र सरकार के कार्यालयों की राजकाज की भाषा के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र के रूप में देखते हैं। संपर्क भाषा और राजभाषा में भी विद्वान संबंध नहीं जोड़ पाते। कई तो राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को एक ही मानते हैं।

हम इस इकाई में एक ओर इन तीनों शब्दों की सही व्याख्या की कोशिश करेंगे और संविधान में भाषा सवाल पर प्रस्तुत विचारों को भी संघीय दृष्टि से देखेंगे। संघ[2] शासन का यह तात्पर्य है कि कई समुदाय इस रूप में एकत्र हुए हों कि अपनी-अपनी अस्मिता सुरक्षित रखते हुए अपने स्वशासन और स्वायत्तता कायम रखते हुए भी एक बृहत राष्ट्र के घटक के रूप में कार्य करें, इसी दृष्टि से उन समस्त समुदायों के सह-अस्तित्व और पारस्परिक सहयोग के आधार पर मिलकर रहने की बात आती है। भाषा के प्रश्न पर भी इस संघीय प्रकृति का विशेष महत्व है, क्योंकि सारी भाषाएँ अपनी अपनी जगह उन्नति करें, कोई भाषा दूसरी भाषा की उन्नति में बाधा न बने और भाषा के प्रश्न पर कोई भी समुदाय प्रतिकूल स्थिति में न रहे। भाषिक सह-अस्तित्व तथा पारस्परिक सहयोग ही संघीय प्रकृति का परिचायक है।

गणतंत्र का तात्पर्य यह है कि संविधान के समक्ष देश का हर नागरिक न्याय (Justice), वैचारिक स्वतंत्रता (Liberty) तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता (Equality) की दृष्टि से समान है। भाषा के सवाल पर भी हर व्यक्ति के संदर्भ में गणतांत्रिक मूल्यों की सत्यता संविधान का लक्ष्य होना चाहिए। हम आगे भाषा के सवाल पर गणतांत्रिक मूल्य और राष्ट्र की संघीय प्रकृति की चर्चा करेंगे।

व्यक्ति के संदर्भ में : भाषा के संदर्भ में व्यक्ति स्वातंत्र्य का अनुच्छेद 350 में उल्लेख है। देश का कोई नागरिक संघ या राज्य के किसी भी पदाधिकारी को व्यथा के निवारण के लिए (नेमी पत्राचार के लिए नहीं, नियमित कार्यों के लिए नहीं) क्रमशः संघ या राज्य में प्रयुक्त (Used)[3] किसी भाषा में अभिवेदन दे सकता है। अर्थात नागरिक व्यक्तिगत व्यथा निवारण की स्थिति में देश की 750 भाषाओं में से किसी भी भाषा में संघ शासन के द्वारा खटखटा सकता है। अर्थात राजभाषा न जानने के कारण वह न्याय पाने के हक से वंचित रह जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। 700 भाषाओं के देश में 70 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर व्यक्ति को मिला यह भाषा स्वातंत्र्य अद्भुत है, अतुलनीय है।

सामूहिक, नियमित कार्यों के संदर्भ में जन प्रतिनिधियों को क्रमशः संसद के सदन तथा विधान मंडलों में, स्वीकृत राजभाषाओं का ज्ञान न होने पर अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा मिल सकती है। इस प्रकार संघ के तीनों अंगों में मातृभाषा के प्रयोग का हर नागरिक को अधिकार है।

इस अधिकार के संदर्भ में यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि व्यक्तियों के वर्ग (अल्पसंख्यक) भाषा प्रयोग की विधिवत दीक्षा लें। अनुच्छेद 350 क में अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यकों के हित रक्षा न होने की स्थिति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य सरकारों को निदेश दे सकते हैं जिससे सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित हो सके।

भाषाओं के संदर्भ में संघीय दृष्टिकोण प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित अध्याय के तीन अनुच्छेदों (345-7) में स्पष्ट है। जहाँ तक हिंदी भाषा का सवाल है, वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकृत भाषा है और किसी भी प्रदेश के लिए हिंदी में कार्य करने का बंधन नहीं है।

---

1 द्वितीय गुजरात शिक्षा अधिवेशन का अध्यक्ष भाषा, 20, 10, 1917 बडौच, गुजरात।

2 संविधान में संघ Union के अर्थ में प्रयुक्त और Federal नहीं। लेकिन यहाँ "संघ", "संघीय" आदि शब्दों को हम वैचारिक दृष्टि से Federal आदि के अर्थ में ले रहे हैं।

3 यहाँ Union विवादास्पद शब्द हो सकता है। लेकिन सीमित करने के स्पष्ट उल्लेख के अभाव में सारी भाषाओं से ही तात्पर्य निकलता है।

अत: यह मत कि हिंदी अन्य प्रदेशों पर थोपी जा रही है, गलत है। तमिलनाडु की यह माँग कि संविधान में परिवर्तन किया जाए, अनावश्यक है, क्योंकि संविधान में तमिलनाडु या किसी अन्य सरकार के लिए हिंदी में कार्य करने का बंधन नहीं है और प्रदेश जब तक चाहें उन्हें अंग्रेजी में कार्य करते रहने की छूट है। अत: संविधान में इस समय ऐसा कुछ नहीं है जो प्रदेशों की स्वायत्तता के विरुद्ध जाए। हाँ, तमिलनाडु सरकार को हिंदी के बढ़ते प्रयोग से ज़रूर तकलीफ़ हो रही है। लेकिन इस संदर्भ में अंग्रेजी के पल्ले को पकड़े रहना असलियत को झुठलाना है, शतुर्मुर्गीय वृत्ति है।

अनुच्छेद 345 में राज्यों के लिए राजभाषा के रूप में राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अनेक भाषाओं को या हिंदी को राजकीय प्रयोजनों में से तब या किसी के लिए अंगीकार करने का प्रावधान है। और जब तक अन्यथा उपबंध न किया जाए, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस तरह राज्य आवश्यकतानुसार एकाधिक भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दे सकते हैं। अनुच्छेद 347 में अल्पसंख्यक वर्गों या जनसमुदाय की हित रक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इस अनुच्छेद में निदेश का अधिकार राष्ट्रपति को है जिससे निर्णय स्थानीय संघर्षों से, वैचारिक संकुचितता से परे हो। राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राजकीय मान्यता दी जाए। उल्लेखनीय है कि यहाँ राजभाषा का दर्जा नहीं कहा गया है, बल्कि राजकीय मान्यता कहा गया है। यह शब्द उक्त भाषा के प्रयोजन को कार्य तथा भौगोलिक सीमा में बांधता है। यह सामान्य शब्दों में प्रयोक्ता के संदर्भ में इन भाषाओं को राजभाषा का ही प्रकार्य दिया गया है। इस उपबंध के कारण किसी राज्य में रहने वाले भाषिक समुदाय (जैसे सीमावर्ती जिलों में रहने वाले द्विभाषिक समुदाय) राज्य की राजभाषा के अलावा अपनी-अपनी भाषाओं में भी कार्य कर सकते हैं। भारत बहुभाषी देश है, हर प्रदेश में अन्य भाषाएँ बोलने वाले पर्याप्त संख्या में रहते हैं। भारत में कोई प्रदेश पूर्णत: एकभाषिक नहीं है। इस दृष्टि से प्रदेशों में भाषा प्रयोग की स्थिति में जो लचीलापन और उदारता का भाव दृष्टिगोचर होता है, वह सच में संघीय प्रकृति का है।

भारतीय संविधान में हिंदी के संदर्भ में जो उपबंध है, उन्हें आप इकाई के परिशिष्ट में देखेंगे। इस व्याख्या को पढ़ने के बाद आप उन उपबंधों को समझकर उनकी चर्चा कर सकेंगे।

31.3.1 राजभाषा हिन्दी

राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध : ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शासन का काम-काज अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से होता था। इस प्रकार तब अंग्रेज़ी, भारत की राजभाषा थी। किंतु, आजादी मिलने के बाद देश की शासन-व्यवस्था का समस्त कार्य देश की भाषा में ही करना अनुभव किया गया। फलस्वरूप संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था करके देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को अंग्रेज़ी के स्थान पर राजभाषा के रूप में अपनाया गया। संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से 11 अनुच्छेदों का संबंध भाषा से है। भारत के संविधान के कुल 18 भागों में से एक पूरा भाग (भाग 17) भाषा संबंधी व्यवस्था के लिए दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी उपबंध (व्यवस्था) दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को इस इकाई के अंत में दिया गया है।

हालाँकि संविधान में संघ शासन के संदर्भ में केवल राजभाषा हिंदी की बात की गई, किंतु देश की बहुभाषिकता की स्थिति और देश में विद्यमान अन्य भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने हिंदी सहित देश की 14 प्रमुख भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की। बाद में सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 18 प्रमुख भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई। ये भाषाएँ हैं :

1.	असमिया	7.	तमिल	13.	संस्कृत
2.	उड़िया	8.	तेलुगु	14.	सिंधी
3.	उर्दू	9.	पंजाबी	15.	मणिपुरी
4.	कन्नड़	10.	बंगला	16.	नेपाली
5.	कश्मीरी	11.	मराठी	17.	कोंकणी
6.	गुजराती	12.	मलयालम	18.	हिंदी

भारतीय संविधान के लागू होने के साथ-साथ हिंदी को सरकारी काम-काज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। किंतु हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू करना संभव नहीं था। चूँकि समस्त प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य अंग्रेज़ी में था, सभी कानून अंग्रेज़ी में थे। शासकीय स्तर पर एकदम भाषा परिवर्तित करने पर होने वाली असुविधा को अनुभूत करते हुए संविधान के लागू होने के प्रारंभ से लेकर अगले पंद्रह वर्षों तक के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। साथ ही, संसद को यह अधिकारी दिया गया कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कानून के माध्यम से कर सकती है। इस व्यवस्था का यह तात्पर्य था कि राजभाषा के रूप में हिंदी क्रमिक दायित्व ग्रहण करें और अंग्रेज़ी के यथावश्यकता बने रहने का प्रावधान रहे।

संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें संविधान की आठवीं अनुसची में उल्लिखित भाषाओं के प्रतिनिधि हों। आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनायी गयी और समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा कार्यान्वयन के निर्देश देकर राजभाषा हिंदी के क्रमिक विकास पर बल दिया गया। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्यवाई करते हुए विभिन्न प्रयास किए गए, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन किया गया, वर्ष 1960 में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया। इन प्रयासों में भाषा नीति की तीन प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आईं :

1. 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी का प्रयोग आवश्यकतानुसार जारी रखा जाएगा।
2. हिंदी को क्रमिक तथा योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा, इसके लिए भाषा विकास के आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3. हिंदी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में विकसित करने की सलाह दी थी।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित रूप में) : संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 तक अंग्रेज़ी को राजभाषा का दर्जा और उसके बाद राजभाषा की नीति निर्धारण की व्यवस्था की गई थी। 1963 में संसद में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, जिसके विरोध में तमिलनाडु में व्यापक विरोध हुआ। इस विरोध के कारण राजभाषा अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम से पद्रंह वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेज़ी को सह-राजभाषा (Associate Official Language) का दर्जा प्राप्त हुआ। अर्थात् हिंदी देश की राजभाषा और अंग्रेज़ी सह-राजभाषा। राजभाषा अधिनियम में आम जनता के संपर्क के विविध संदर्भों में द्विभाषिक रूप में कार्य करना स्वीकार किया गया। अधिनियम की धारा 3 में संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक अथवा अन्य प्रतिवेदनों, प्रेस विज्ञप्तियों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा-पत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों आदि कुछ निश्चित प्रकार के कागज़ातों को अंग्रेज़ी और हिंदी, द्विभाषी रूप में प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। पत्रादि लेखन के संदर्भ में जहाँ सदैव द्विभाषिक रूप से कार्य कर पाना संभव नहीं इस बात की व्यवस्था की गई कि स्थिति-विशेष में किस भाषा का अथवा दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति जिस भाषा में दक्ष हो, वह उस भाषा में काम करता जाए। यह उल्लेख किया गया कि जब तक सभी राज्यों के विधान मंडल यह संकल्प न पारित कर लें कि वे धारा 3 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त न कर दें तब तक अंग्रेज़ी इन प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाई जाती रहेगी। राजभाषा अधिनियम में अंग्रेज़ी और हिंदी राजभाषाओं के प्रकार्यों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है, वहीं इसके संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई की देख-रेख के लिए और हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति के आकलन के लिए एक राजभाषा संसदीय समिति के गठन का भी उल्लेख किया गया। साथ ही, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने का दायित्व सौंपा गया। तदनुसार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग कार्यरत हैं, जो राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की देख-रेख का काम करता है। राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम के आधार पर घोषित नियमों का अध्ययन किया और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के प्रयोग के

संबंध में 1976 में नियम बनाए। राजभाषा अधिनियम की मूल भावना यह रही कि (क) व्यक्ति को भाषिक स्वतंत्रता दी जाए और भाषा के कारण किसी का अहित न हो; और (ख) लेकिन व्यक्ति की सुविधा अथवा रुचि के कारण भाषा की नीति प्रभावित न हो। सरकार का यह दायित्व है कि वह उपबंधों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करें।

राजभाषा नियम, 1976 : राजभाषा के व्यवहार के बारे में सूचनाएँ, व्यक्तियों एव पदाधिकारियों द्वारा इन नियमों के अनुपालन करने के बारे में पता चलता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, संविधान के कार्यान्वयन की व्यवस्था करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने 1976 में नियम घोषित किए। इन नियमों में राजभाषा अधिनियम की मूल भावना को सुरक्षित रखा गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअलों, संहिताओं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि को द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेज़ी) रूप में मुद्रित/प्रकाशित करने का नियम बनाया गया। वहीं, पत्रादि की भाषा के संदर्भ में भी नियम बनाए गए। शासकीय काम-काज में पत्रादि का विशेष स्थान है। यह पत्राचार केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, राज्य सरकारों के बीच; और केंद्र सरकार एवं व्यक्ति के बीच हो सककता है। इस तरह की विभिन्न भाषिक स्थितियों में पत्राचार की भाषा को राजभाषा संबंधी नियम के संदर्भ में देखने के लिए राजभाषा नियम 1976 में सुझाव दिया गया। इसके लिए पूरे देश को तीन क्षेत्रों - 'क', 'ख' और 'ग' - में बाँटा गया। क्षेत्र 'क' के अंतर्गत बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली हिंदी-भाषा क्षेत्र को; क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ को; एंव देश के अन्य भागों को क्षेत्र 'ग' में शामिल किया गया। तदनुसार पत्राचार की भाषा संबंधी नियम निश्चित किए गए। इस मूल भावना को बनाए रखा गया कि क्षेत्र-वार विभिन्न स्थितियों में किस एक भाषा या दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। राजभाषा अधिनियम में उल्लिखित अन्य निर्देशों को भी राजभाषा नियम में प्रशिक्षण आदि विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में जहाँ स्पष्ट किया गया है वहीं साथ ही उनके अनुपालन का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया गया।

संविधान के उपबंध, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के संबंध में विस्तृत अध्ययन के लिए आप कृपया हमारे स्नातक उपाधि कार्यक्रम के हिंदी से संबंधित ऐच्छिक पाठ्यक्रम -06 'हिंदी भाषा : इतिहास का वर्तमान' (ई.एच.ई. -06) देखें।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशाएँ :

हिंदी के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी प्रमुखतः गृह मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय में पहले राजभाषा के लिए अलग विभाग नहीं था, बल्कि गृह मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हिंदी सलाहकार इस कार्य को देखते थे। 1976 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और इसका प्रमुख राजभाषा सचिव है। राजभाषा विभाग भारत सरकार में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की व्यवस्था और देखरेख करता है।

हिंदी के कार्यान्वयन की व्यवस्था के संदर्भ में हम तीन प्रकार की समितियों का उल्लेख करेंगे जो विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है।

i) **केंद्रीय हिंदी समिति** : यह राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभिकरण है, इसका गठन 1967 में किया गया था। भारत के प्रधान मंत्री इस समिति के अध्यक्ष है और प्रमुख मंत्रालयों के मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के अतिरिक्त हिंदी के कुछ वरिष्ठ विद्वान इसके सदस्य होते हैं। यह समिति देश के हिंदी के कार्यान्वयन के संदर्भ में महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करती है और नीति निर्धारण करती है।

ii) **हिंदी सलाहकार समिति** : प्रायः सभी मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय स्तर की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। संबंधित मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रालय के विभागों के अध्यक्ष तथ संबंधित निकायों, कार्यालयों के शासी प्रधान इसके सदस्य होते हैं, साथ ही कुछ संसद सदस्य और हिंदी के विशिष्ट विद्वान इसके नामित सदस्य होते हैं। इस समिति का काम संबंधित मंत्रालय में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति को देखना और विकास के उपाय सुझाना है।

iii) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति** : मंत्रालयों तथा इसके अधीन कार्य करने वाले कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रमों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। मंत्रालय की समिति का अध्यक्ष संयुक्त सचिव होता है, अन्य कार्यालयों में कोई वरिष्ठ अधिकारी मुख्य राजभाषा अधिकारी की हैसियत से इस कार्य को देखता है। हर कार्यालय में जो हिंदी प्रकोष्ठ है, प्राय: मुख्य राजभाषा अधिकारी की देखरेख में काम करता है।

अगर किसी शहर में कई कार्यालय हों, तो उन सभी कार्यालय की कार्यान्वयन समितियों का एक सामूहिक संगठन होता है, जिसे **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति** कहते हैं। उस नगर का सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होता है। यह समिति सभी कार्यालयों की प्रगति के आकलन के साथ-साथ समस्याओं के समाधान के भी उपाय ढूँढ़ती है।

प्रगति संबंधी सूचना का आकलन और निरीक्षण : भारत सरकार के हर कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व है कि वह कार्यालय में राजभाषा संबंधी नियम के अनुपालन तथा हिंदी में कार्य करने की प्रगति संबंधी विवरण हर तीन माह में राजभाषा विभाग को भेजे। इसे त्रैमासिक विवरण कहा जाता है। यह विवरण तैयार करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जाँच बिंदुओं की एक सूची जारी की गई है कि कितने पत्र हिंदी या द्विभाषिक रूप से प्राप्त-जाँच बिन्दुओं में दिया गया है। हिंदी प्रकोष्ठ संबंधित जानकारी एकत्र करता है और विभागध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। अपने स्तर पर विभागाध्यक्ष सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं और स्थिति में सुधार ला सकते हैं। राजभाषा विभाग इन रिपोर्टों का अध्ययन करता है और उनके आकलन और विश्लेषण के आधार पर संसद के पटल पर अद्यतन प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

हमने देखा कि संविधान में एक संसदीय समिति की सिफ़ारिश की गई थी जो राजभाषा आयोग के सुझावों पर विचार करे। हमने यह भी देखा कि 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में संसदीय समिति को प्रगति के निरीक्षण हेतु मान्यता दी गई। वर्तमान स्थिति भी यही है कि 30 सदस्यों की एक *संसदीय राजभाषा समिति* है जो देश में राजभाषा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यालयों की स्थिति का अध्ययन करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर इन सब निकायों के कारण राजभाषा संबधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति को देखा जा सकता है और समस्याओं के समाधान के उपरांत कार्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का एक दूसरा पहलू अनुवाद है। भारत सरकार के नेमी प्रशासनिक साहित्य (मैनुअल, संहिताएँ आदि) के अनुवाद की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे राजभाषा अधिनियम नियम 8 के अनुसार कर्मचारियों को हिंदी भाषा में साहित्य उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरों नामक संस्था व्यवस्था करती है। ब्यूरो की स्थापना मार्च, 1971 में गृह मंत्रालय के अधीन हुई, उससे पहले अनुवाद का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधीन था। ब्यूरो न केवल अनुवाद करता है बल्कि हिंदी स्टाफ को अनुवाद में प्रशिक्षण भी देता है।

कर्मचारियों के संदर्भ में हिंदी के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था : राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए न केवल साहित्य चाहिए बल्कि कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण के संदर्भ में गृह मंत्रालय के अधीन 'हिंदी शिक्षण योजना' नामक निकाय काम करता है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए प्राज्ञ नामक परीक्षा चलाता है। सरकारी कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए भेजें और उन्हें कार्यसाधक ज्ञान दिलाएँ।

गृह मंत्रालय के अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय सरकारी अधिकारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के लिए पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा आयोजित करता है।

हिंदी शिक्षण योजना का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है - टंककों और आशुलिपिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। देश के विभिन्न नगरों में कार्यरत अंग्रेज़ी के टंकक और आशुलिपिक, इन पाठ्यक्रमों में हिंदी में टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को दोनों भाषाओं में काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन आदि की भी सुविधा है।

हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1984 में की गई। इस संस्थान द्वारा हिंदी में अधिकारी को तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवा पूर्व या सेवा के मध्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जो लोग सेवा से पूर्व ही हिंदी में प्रशिक्षित हो जाते हैं उनके लिए बाद में हिंदी में दक्षता के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है लेकिन लोग हिंदी में काम कर कार्यशालाओं में हिंदी में का करने का प्रशिक्षण देता हैं। प्रशिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य अब भी सकारात्मक ढंग से प्रोत्साहन आदि के माध्यम से किया जाता है और किसी व्यक्ति को काम न करने की स्थिति में दंडित नहीं किया जाता। परीक्षा पास करने पर नकद पुरस्कार दिया जाता है, हिंदी में पर्याप्त रूप में काम करने पर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार आदि दिए जाते हैं, जो विभाग हिंदी में काम करते हैं, उनको शील्ड आदि देकर सम्मानित किया जाता है।

सरकारी कार्यालयों द्वार विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी किया जा रहा है। इस संबंध में राजभाषा आदेश में यह उल्लेख है कि प्रचार के कार्य में जो स्वैच्छिक संस्थाएँ काम कर रही हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक अनुदान दिया जाए और उनके सहयोग से प्रचार के कार्य के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेती है। असम राजभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी हिंदी विद्यापीठ, उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद्, गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद), दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (चेन्नै), बंबई हिंदी विद्यापीठ महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा (पुणे), मणिपुर हिंदी परिषद् (इंफाल), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा), सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति (राजकोट), हिन्दुस्तानी प्रचार सभा (बंबई), हिंदी प्रचार सभा (हैदराबाद), हिंदी विद्यापीठ (देवघर), हिंदी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग), कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति (बंगलूर) कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति (बंगलूर), केरल हिंदी प्रचार सभा (तिरुअनंतपुरम) और केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् (दिल्ली) आदि विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएँ हिंदी के प्रचार-प्रसार के कार्य में अपना संक्रिय योगदान दे रही हैं।

31.3.2 हिंदी का प्रकार्यात्मक पक्ष : प्रयोजनमूलक हिंदी

भाषा समाज में संप्रेषण का माध्यम है। आधुनिक जीवन के कई क्षेत्रों में भाषा के माध्यम से संप्रेषण होता है, जैसे कार्यालयों में, विज्ञान के क्षेत्र में। यह युग की माँग है। इन क्षेत्रों में भाषा के इस्तेमाल के लिए योजना बनाना, व्यवहार के लिए भाषा को विकसित करना, व्यक्तियों में व्यवहार की योग्यता पैदा करना - ये प्रयोजनमूलक भाषा के आयाम हैं। इस तरह प्रयोजन मूलक भाषा व्यवसाय से जुड़ती है, समाज की आवश्यकताओं से जुड़ती है। सामान्यतः साहित्यकपरक भाषा का अध्ययन व्यक्ति सापेक्ष है, वैयक्तिक अनुभूति के लिए है; प्रयोजनमूलक भाषा सामाजिक प्रयोजनों से जुड़ता है; समाज सापेक्ष है। इसके लिए पूरे देश के संदर्भ में भाषा नियोजन करना पड़ता है। साहित्यिक भाषा का विकास प्रयासों से। साहित्य की भाषा में हर विचलन (जो संप्रेषित करे) और समस्त पर्याय स्वीकार्य हैं, उनपर पाबंदी नहीं; प्रयोजनमूलक भाषा विपरीत होती है।

भाषा के तीन प्रमुख सामाजिक प्रयोगों के संदर्भ में भाषा के प्रकार्य को निम्नलिखित आरेख द्वारा दिखा सकते हैं-

प्रयोजनमूलक हिंदी की चर्चा के साथ-साथ हम प्रयुक्ति या रजिस्टर की संकल्पना को देखते हैं। प्रयुक्ति किसी सामाजिक संदर्भ में प्रयुक्त भाषा के प्रकार का नाम है। समाज के स्तर भेदों में प्रयुक्त भाषा सामाजिक प्रयुक्ति है, जैसे मित्र के साथ भाषा, बाज़ार में भाषा आदि। प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति भाषा के उस रूप को स्पष्ट करता है जो किसी विषय क्षेत्र में प्रयुक्त हो। (यहाँ हमें बोली और प्रयुक्ति में अंतर करना होगा - बोली वर्गगत है, जबकि प्रयुक्ति व्यक्तिगत। प्रयुक्ति बोली के भीतर है)। प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति का क्षेत्र वैज्ञानिक विश्लेषण और वर्णन का है। प्रयोजनपरक प्रयुक्ति एक सुनिश्चित भाषिक रूप है, एक समुदाय का व्यवहृत रूप है।

एक तरफ प्रयोजनमूलक भाषा के स्वरूप; शब्दावली तथा वाक्य रचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर प्रयोजनमूलक भाषा के शिक्षण की योजना होती है। प्रयोजनमूलक शिक्षण आधुनिक युग की देन है।

प्रयुक्ति का भाषिक स्वरूप - प्रयुक्ति की वाक्य संरचना का अपना स्वरूप होता है। नयी रचना से अधिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं पुरानी रचनाओं पर बल (कार्यालय हिंदी में वाच्य)। पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के साथ शाब्दिक सहप्रयोग भी महत्वपूर्ण हैं (मुझे यह कहने का निदेश.......)। आवश्यकतानुसार नये शब्दों और प्रयोगों की सृष्टि होती है। भाषा की मूल प्रकृति से संगति, स्पष्टता आदि के संदर्भ में विकास किया जाना चाहिए।

हैलिडे प्रयुक्तियों को तीन आधारों पर देखते हैं-

वार्ता क्षेत्र	–	सामान्य	तकनीकी
वार्ता प्रकार	–	मौखिक	लिखित
वार्ता शैली	–	अनौपचारिक	औपचारिक

प्रयोजनमूलक प्रयुक्तियाँ तकनीकी, लिखित और औपचारिक होती हैं।

प्रयोजनमूलक भाषा के संदर्भ में भाषा प्रयोग के संदर्भों को पहचानना और तदनुरूप प्रशिक्षण का आयोजन करना आवश्यक होगा। हर पेशे में भाषा की आवश्यकता पड़ती है - किसी में एक कौशल, दूसरे में अन्य कोई कौशल। तदनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के क्षेत्र (कोशकला, अनुवाद विज्ञान) भी प्रयोजनमूलक सामग्री और प्रशिक्षण में मदद देते हैं। केंद्रीय स्तर पर प्रपत्र, मुहर, पत्र शीर्ष आदि का प्रयोग, शब्दावली का निर्माण आदि कार्य होने चाहिए। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा के प्रसार में भाषा विस्तार तथा भाषा मानकीकरण की बातें जुड़ती हैं। आधुनिक युग के ये प्रयोजन सार्वभौम हैं। अतः इस क्षेत्र में बहुभाषिकता की समस्याएँ सामने आती हैं और किसी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली आदि बातें उठती हैं।

पहले सामान्य भाषा पढ़ाने के बाद सभी लोगों को नियुक्ति के बाद प्रयोजन के पक्षों में प्रशिक्षित करना युक्तिसंगत नहीं। शिक्षा पद्धति में ही प्रयोजनमूलक पक्ष कहीं जुड़ना चाहिए। फिर सेवारत व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की अन्य व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि दिल्ली, इग्नू, हैदराबाद, पुणे आदि विश्वविद्यालयों में प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम शामिल किये गये हैं।

31.4 हिंदी की भूमिकाएँ

हिंदी एक जन समुदाय की भाषा है। हर जन समुदाय की भाषा के साथ कई भूमिकाएँ जुड़ती है। वह सामान्य संप्रेषण के साथ-साथ साहित्यिक भाषा बनती है, धर्म की भाषा बनती हैं। इन्हीं प्रकार्यों को हम भाषा की भूमिकाएँ (roles) कहते हैं। इस संदर्भ में हिंदी की कुछ विशिष्ट भूमिकाएँ हैं। देश की बहुसंख्यक तथा प्रमुख भाषा होने के नाते वह संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह करती है। इसी संपर्क की भूमिका के संदर्भ में उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस संपर्क को प्रशासन, शिक्षा, वाणिज्य-व्यापार आदि क्षेत्रों में औपचारिक स्वीकृति देने पर वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा के संदर्भ में ही हम प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रमुख भूमिकाओं की चर्चा करेंगे और इन भूमिकाओं के विकासक्रम का अवलोकन करेंगे।

31.4.1 राजभाषा और राष्ट्रभाषा : संपर्क का सूत्र

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस देश को सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर जोड़ने का महत्वपूर्ण दायित्व संस्कृत भाषा पर था जिसे उसने लगभग तीन हजार वर्षों तक निभाया। संस्कृत की पुत्री कही जाने वाली मध्य देश की भाषा 'हिंदी' ने आधुनिक युग में यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया। विरासत में मिला यह दायित्व हिंदी का ऐसा प्रयोजनपरक प्रकार्य है जो उसपर थोपा नहीं गया है और जिसकी आवश्यकता सभी ने महसूस की है। आज से लगभग दो सौ वर्ष पहले राजा राममोहन राय ने बंगाल से यह घोषणा की थी कि हिंदी में ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। तब से आज तक देश के विभिन्न प्रांतों में अबाध गति से हिंदी की प्रांजल धारा प्रवाहित हो रही है - किसी ने इसको चुनौती नहीं दी है। बंगाल में ब्रज बुलि में साहित्य लिखना प्रारंभ हुआ तो दक्षिण में स्वाति तिरुनाल ने ब्रजभाषा में कविता की रचना की। उन्नीसवीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में पुरुषोत्तम कवि ने खड़ी बोली हिंदी में कई नाटकों का प्रणयन किया और उनका सफलतापूर्वक मंचन किया। आजादी की लड़ाई के साथ-साथ स्वराज्य की संकल्पना में हिंदी भाषा अपने आप एक महत्वपूर्ण उपादान बनकर सामने आई। उस समय लगभग सभी ने सोचा कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना है तो उस स्वप्न को साकार करने में राष्ट्रभाषा हिंदी की एक अहम भूमिका है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी कहते हैं "अगर हिंदुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही हो सकती है क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता।''

1947 में स्वतंत्रता के बाद एक समस्या हमारे सामने मुँह बाए खड़ी थी। उस समय यह कल्पना थी कि जब अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएँगे तो उनके साथ अंग्रेजी की महत्ता और अनिवार्यता भी चली जाएगी। उस स्थिति में इस देश में शासन के कार्य के लिए उपयुक्त भाषा की आवश्यकता होगी। वह हिंदी ही होगी। संविधान के निर्माताओं ने एकमत होकर नागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया और कल्पना की कि गणतंत्र बनने के 15 वर्षों में हिंदी भाषा समस्त देश के शासन तंत्र के समस्त कार्यों की भाषा होगी और इसी प्रकार्य को उन्होंने राजभाषा कहा। हम भाषा से सबंधित कई मंचों पर लोगों का यह निराशावादी स्वर सुन सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया है? शायद उन विद्वानों की राय में यह हिंदी की गरिमा की दृष्टि से कुछ निम्न स्तर का दर्जा है। आज भी लोग यही कहना पसंद करते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। शायद उनके अनुसार हिंदी का राजभाषा होना उसकी दूसरे दर्जे की मान्यता है। यह प्रश्न अपने आप में हमको कहीं आंदोलित करता है। क्या हमने हिंदी भाषा को उसके महत्तम स्थान से घटाकर कहीं निम्न दर्जे का स्थान तो नहीं दे दिया है? क्या कारण है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह पाते?

इस चिंतन के पीछे मूल्य का एक प्रश्न जुड़ा हुआ है। जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो हमारे सामने शासन तंत्र के सारे पत्राचार और टिप्पण-आलेखन की एक कृत्रिम भाषा का रूप आता है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि यह भाषा अनुवाद की भाषा है और अपने स्वाभाविक ओज और अपनी साहित्यिक गरिमा से हटा हुआ कृत्रिम-सा रूप ही इसका स्वरूप है। यही कारण है कि लोग इस भाषा के लिए 'राजभाषा' नामकरण से प्रसन्न नहीं होते। इस संदर्भ में यह बहुत आवश्यक है कि हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संकल्पना से परिचित हों और इन दोनों के पारस्परिक सबंध में इन भाषा-रूपों की वास्तविकता को पहचानें। इस प्रयत्न में सबसे पहले 'संपर्क भाषा' की संकल्पना को समझ लेना आवश्यक होगा।

संस्कृत भाषा वास्तव में इस पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ने वाली भाषा थी - भले ही उस समय आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी और देश अलग-अलग राज्यों में बँटा हुआ था। फिर भी समस्त देश में एक सांस्कृतिक अंतर्धारा बह रही थी जिसका माध्यम पहले संस्कृत भाषा थी और धीरे-धीरे वह अंतर्धारा आधुनिक भाषाओं के माध्यम से प्रवाहित होने लगी थी। यही अंतर्धारा भारतवासियों के मन में भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखने में सहायक रही। देश के लोगों के लिए बद्रीनाथ और रामेश्वर या द्वारिका और पुरी देश के चार कोने नहीं थे, बल्कि इस अखंड धारा के चार महत्वपूर्ण स्तंभ थे। यही बात हम साहित्य जगत में भी देखते हैं। आधुनिक युग तक सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य का स्वर एक जैसा मुखर था और उसमें कोई विलगता या दिशांतरता नहीं थी। आधुनिक युग में हिंदी भाषा ने इसी अविच्छिन्न धारा को अपने में

समाहित किया। भारत के किसी कोने से किसी दूसरे कोने में जाने वाले व्यक्ति स्वभावतः हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगते। फिल्मों ने भी हिंदी भाषा के माध्यम से ही अखिल भारतीयता का दर्जा प्राप्त किया। जो भी राजनेता देश की समस्त जनता को संबोधित करना चाहते हैं वे हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि यही सर्वसाधारण की आम भाषा है। इसी संदर्भ में हम 'सम्पर्क भाषा' शब्द का उल्लेख करते हैं। वास्तव में 'संपर्क भाषा' शब्द का तात्पर्य राष्ट्रभाषा हिंदी की सांस्कृतिक-साहित्यिक धरातल पर एकता स्थापित करने के प्रकार्य से है। इस बात को तमिलनाडु में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही प्रसिद्ध कवि सुब्रहमण्यम भारती यों व्यक्त करते हैं - 'राष्ट्र की एकता को यदि बनाकर रखा जा सकता है तो उसका माध्यम हिंदी ही हो सकती है।' इसलिए राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा दो भिन्न संकल्पनाएँ नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही बात को स्पष्ट करने के दो पर्याय हैं।

सम्पर्क भाषा के अर्थ को भी कई लोग बड़े सीमित अर्थ में लेकर चलते हैं क्योंकि वे यह मानकर चलते हैं कि इसका स्वरूप विभिन्न प्रांतों के बाज़ारों और रेलगाड़ियों में परस्पर संपर्क की खिचड़ी भाषा है। सम्पर्क भाषा का इतना सीमित अर्थ नहीं लिया जा सकता क्योंकि सम्पर्क मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाज़ारों और यातायात के साधनों तक सीमित नहीं है। सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर भी देश की जनता को एक मंच पर लाने की आवश्यकता होती है और यह भाषायी सम्पर्क की उच्चतम स्थिति है।

संविधान की धारा 351 में यह कहा गया है कि हिंदी देश की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी। सामासिक संस्कृति से हमारा तात्पर्य किसी अनमेल खिचड़ी से नहीं है जिसमें हम कृत्रिम रूप से विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को लेकर कोई एक पंचमेल सांस्कृतिक धारा निर्मित करें। इसका तात्पर्य यही है कि हिंदी के माध्यम से लोग विविध सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करें। यह बात इसी तरह भाषा पर भी लागू होती है। जब हम यह बात कहते हैं कि हिंदी भाषा विभिन्न भारतीय भाषाओं की संस्कृति को अभिव्यक्ति करने के लिए उन भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी तो हम यहाँ एक कृत्रिम भाषा के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं। इस धारा का तात्पर्य यह है कि हिंदी समस्त भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम होगी यानी हिंदी के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान देश के सभी भागों के लोगों को उपलब्ध होगा। इस अर्थ में हिंदी भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों का ऐसा कोषागार बनेगी जिससे देश के लोग एक-दूसरे को इस भाषा के माध्यम से समझ सकेंगे। इस अभिव्यक्ति में स्वभावतः उन-उन भाषाओं के विशिष्ट सांस्कृतिक शब्द हिंदी में आएँगे ही और वे हिंदी का अपना अंग भी बनेंगे। जिस तरह से अंग्रेजी भाषा ने विश्व की भाषाओं से विशिष्ट क्षेत्रों की सटीक अभिव्यक्ति के लिए शब्द ग्रहण किए, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी भारत के संदर्भ में यह काम करेगी। संविधान में हिंदी को यह जो दायित्व सौंपा गया है, वह वास्तव में हिंदी की राष्ट्रभाषा की भूमिका का द्योतक है। इस धारा में राष्ट्रभाषा शब्द का भले ही उल्लेख न हो, लेकिन राष्ट्रभाषा के जिस स्वरूप की हम परिकल्पना करते हैं, वह इस धारा द्वारा परिलक्षित है। इस तरह संविधान में वैचारिक धरातल पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों को समाविष्ट किया गया है।

सम्पर्क भाषा का एक दूसरा रूप भी है जिसको हम राजभाषा के संदर्भ में व्याख्यायित कर सकते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि राजभाषा का कार्य केवल कार्यालय की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था और पत्राचार तक सीमित नहीं है। राजभाषा को हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में हमने अभी जिस सम्पर्क की चर्चा की है वह अनौपचारिक सम्पर्क है और उस सम्पर्क का निर्माण और संचालन सारा राष्ट्र करता है। इस प्रकार के सम्पर्क के लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्र ही राष्ट्रभाषा की सृष्टि करता है और उसका स्वरूप निश्चित करता है। सम्पर्क भाषा का दूसरा क्षेत्र है औपचारिक सम्पर्क। इस बात की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम देश के शासन के संदर्भ में प्रदेशों को एक-दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में छोटी अदालतों में हुई कार्रवाई के संदर्भ में अपील उच्च और उच्चतम न्यायालयों में की जाए तो यह कार्रवाई किस भाषा के माध्यम से होगी? यह तो कल्पना नहीं कर सकते कि उच्चतम न्यायालय में सारे वकील अपनी-अपनी भाषा में बहस करें और कोई एक-दूसरे को समझ न सके। सम्पर्क की आवश्यकता की यह बात संघ-शासन के तीनों अंगों पर लागू होती है और कार्यांग यानी प्रशासन उनमें से एक क्षेत्र है। विधानांग और न्यायांग में

विभिन्न भाषा-भाषी मिलकर देश के समस्त कार्यों के लिए कानून बनाते हैं और उनका परिपालन करते हैं। ये कानून मात्र फौजी मामलों के न्याय के नियम नहीं है बल्कि ये देश के सभी क्षेत्रों से सबंधित मामले हैं। कार्यांग में भी हिंदी भाषा का प्रयोग सिर्फ आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं है। मंत्रालयों के समस्त कार्यों के विस्तार पर नजर डालें तो हम पाएँगें कि कृषि से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक और सेना से लेकर नाभिकीय विज्ञान तक हर ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र मंत्रालयों के कार्यों की परिधि में आ जाता है। इन क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थाओं में देश के शीर्षस्थ विद्वान और वैज्ञानिक शामिल हैं और उनका चिंतन भी देश के विकास को दिशा देता है। इस दृष्टि से राजभाषा का दायरा बहुत विशाल है और इसमें वाङ्मय यानी ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्र आ जाते हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन का वास्तविक अर्थ यही है कि हम देश में हिंदी भाषा के माध्यम से और राज्यों में स्थानीय राजभाषाओं के माध्यम से चिंतन के स्तर पर हिंदी और अन्य भाषाओं के उपयोग के लिए व्यक्तियों को तैयार करें और इसके लिए आवश्यक शैक्षिक और प्रशिक्षण के उपादान जुटाएँ। ये समस्त क्षेत्र पहले बताए अनुसार औपचारिक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री जुटानी पड़ती है, कोशों तथा ग्रंथों का निर्माण करना होता है, शोध के माध्यम से भाषा की अभिव्यक्ति को सशक्त करना होता है और सरकार को इस पूरे कार्य के लिए समयबद्ध योजना बनाकर उसें कार्यान्वित करना होता है।

'सम्पर्क' शब्द के हमने दो अर्थ लिए - पहले अर्थ में हिंदी अनौपचारिक सम्पर्क की भाषा है। यह आम जनता की भाषा है और यही राष्ट्रभाषा है। इस राष्ट्रभाषा में देश की समस्त संस्कृति और साहित्यक संपदा का समाहार होगा। इसे जनता अपने प्रयत्नों द्वारा निर्मित करेगी। इस कार्य में यथोचित सहयोग और अनुदान सरकार का भी हो सकता है, लेकिन अगर जनता अपने कार्य को गति दे तो राष्ट्रभाषा के विकास में हमारे लिए सरकार का मुखापेक्षी होना आवश्यक नहीं है। सम्पर्क भाषा का दूसरा तात्पर्य औपचारिक सम्पर्क से है, संघ शासन के तीनों अंगों के समस्त कार्यकलापों का माध्यम बनने से है। इस भाषा के विकास और कार्यान्वयन का दायित्व निश्चित रूप से सरकार पर होगा। औपचारिक सम्पर्क भाषा के रूप में जब भाषा का विकास होगा तो उसमें न केवल पूरे देश के ज्ञान-विज्ञान के साहित्य का (जिसे हम वाङ्मय कहते हैं) प्रतिबिंबन होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञान-विज्ञान के विकास में जो आधुनिकतम चिंतन और शोध-कार्य हो रहा है उसे भी हम राजभाषा के माध्यम से जनता तक पहुँचा सकेंगे।

जो लोग राष्ट्रभाषा को महत्व देते हैं, उनसे हम थोड़ा सहमत हो सकते हैं। राजभाषा का मूल उत्स, उसका ऊर्जा-स्रोत राष्ट्रभाषा ही है। हम राष्ट्रभाषा को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तो राजभाषा कमज़ोर बनकर रह जाएगी।

समग्र रूप से यह कहना चाहेंगे कि हिंदी भाषा के सामने एक बड़ा दायित्व यह है कि वह देश की भाषाओं में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध समस्त ज्ञान-विज्ञान के साहित्य और साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को अन्य भाषा के लोगों तक पहुँचाने का सफल माध्यम बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति उसके इन दोनों रूपों से ही संभव होगी, जिन्हें हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा की संकल्पना में उच्च या निम्न स्तर की बात नहीं है। वे संकल्पनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं और दोनों से ही भाषा की पूर्णता सिद्ध होती है।

31.4.2 अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी

हिंदी भारत की राजभाषा है, सामान्य जनसंपर्क की भाषा है, देश की एकता का सूत्र है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है? क्या यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? हमारे सामने जो तथ्य हैं, वे यह स्पष्ट करते हैं कि विश्व स्तर पर इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत के बाहर 10 देशों में यह बोली और समझी जाती है। ये देश हैं- मॉरिशस, फ़िजी, सूरिनाम, गयाना, टुबैगो-ट्रिनिडाड, नेपाल, पाकिस्तान, हॉलैंड, दक्षिण अफ़्रीका और सिंगापुर। इनके अलावा विश्व के तीन प्रमुख देशों में काफी संख्या में भारतीय मूल के निवासी बसते हैं। ये देश हैं - इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा। इन देशों के भारतीय निवासी आपस में मिलते हैं तो बहुधा सांस्कृतिक स्तर पर बातचीत के लिए हिंदी को ही माध्यम के रूप में अपनाते हैं।

शैक्षिक स्तर पर हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन की स्थिति भी इतनी ही संतोषप्रद है। भारत के बाहर लगभग 160 विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में हिंदी भाषा के अध्यापन की व्यवस्था है। कुछ नाम जानना चाहेंगे ? एक है दक्षिण अमेरिका में क्यूबा का हवाना विश्वविद्यालय और दूसरा है मंगोलिया में उलन बात्र का विश्वविद्यालय। क्या आवश्यकता पड़ी कि फिनलैंड, पोलैंड आदि सुदूर देश भी अपने यहाँ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था करें? क्या यह प्रच्छन्न स्वीकृति नहीं है कि भारत को समझने के लिए उसकी प्रमुख भाषा हिंदी को समझना आवश्यक है। वे अवश्य मानते हैं कि हिंदी के माध्यम से इस देश से सांस्कृतिक सबंध जोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार मॉरिशस, फिजी, सूरिनाम तथा अन्य देशों के प्रवासी भारतीय भी अपनी मूल संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इस भाषा को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

कई भारतीयों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में एक है और इसके बोलने वालों की बड़ी संख्या है, फिर भी यह अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्यों नहीं बन पायी है? उत्तर देने से पहले हम कुछ जुड़े हुए सवालों पर भी दृष्टि डालना चाहेंगे, कुछ विषम स्थितियों की चर्चा करना चाहेंगें। मॉरिशस आदि देशों में जहाँ बहुसंख्यक प्रवासी भारतीय हैं, उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए उच्च स्तर पर हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए चाहते हुए भी वहाँ के लोग हिंदी साहित्य के सृजन में अधिक योगदान नहीं कर पाते। मॉरिशस के अभिमन्यु अनत, सोमदत्त बखोरी, रामेश्वर ओरी, फिजी के कमला प्रसाद मिश्र, योगेंद्र सिंह कंवल कुछ प्रमुख लेखक हैं। अनत के काव्य का एक नमूना देखिए :

> तुम्हारी रक्तरंजित चक्की। मुझे पीसते-पीसते
> एक दिन एकाएक मेरी हड्डियों से टकराएँगी।
>
> और फिर! जिस तरह हलवा खाते हुए
> किसी बूढ़े का आखिरी दाँत टूटता है
> उसी तरह तुम्हारी चक्की भी टुकड़ों में छितर जाएगी।
>
> तुम्हें तो नहीं, पर लोगों को हैरानी होगी
> पत्थर की धमनियों से बहते खून को देखकर।

ऐसे कुछ प्रतिष्ठित लेखकों को छोड़कर यहाँ की साहित्य रचना का स्तर सामान्य है, उसकी मात्रा अपर्याप्त। इसी तरह पत्र-पत्रिकाएँ भी अपना विशिष्ट स्थान नहीं बना पायी हैं। अभी तक हिंदी यहाँ की सिर्फ सांस्कृतिक भाषा है, साहित्यिक या प्रयोजनमूलक भाषा नहीं।

जहां तक अमेरिका कनाडा आदि उन्नत देशों का सवाल है, तकनीकी विकास और संचार साधनों की उपलब्धि के कारण वहाँ के हिंदी के कार्यकर्ता अधिक सक्रिय हैं, अधिक अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाते हैं। लंदन के रेडियो पर फोन के जरिए श्रोताओं से जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रस्तुत होता है, वह तो भारत में भी नहीं है। अमेरिका के टेलीविजन पर भारतीयों के लिए पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों का स्तर देखकर विस्मय होता है। लेकिन इन देशों में भी हिंदी के उच्च अध्ययन के उचित अवसर नहीं हैं।

सवाल है, दोनों प्रकार के देशों के प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखने का, हिंदी की सृजनात्मक प्रतिभा को गति देने और इसके विकास को दिशा देने का, विचार और चिंतन की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का। स्थिति अनुकूल है, कार्यान्वयन की आवश्यकता है। अगर इन देशों में भी हिंदी एक आधुनिक भाषा के रूप में विकसित हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके प्रवेश में विलंब नहीं होगा।

मॉरिशस में 1976 में आयोजित द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था "विश्व में भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा जिस गति से बढ़ेगी उसी के साथ उसे अपनी भाषा के माध्यम से अपना व्यक्तित्व प्रकट करना भी उतना आवश्यक होगा।" हम भारतीय होने का गर्व करें तो हिंदी भाषा का मान भी अपने आप बढ़ेगा। इससे हिंदी स्वयमेव अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप धारण करेगी।

31.5 हिंदी भाषा विकास

यूँ तो सामान्य भाषा में 'विकास' शब्द development, growth आदि का अर्थ देते हैं पेड़ बढ़ता है तो हम उसे भी विकास कह सकते हैं। भाषा के संदर्भ में 'विकास' एक परिभाषिक शब्द है, जहाँ भाषा को आवश्यकतानुसार विधिवत् विकसित करने की योजना बनाकर उस पर अमल किया जाता है। इस विकास की दिशा निश्चित करने के लिए कोई नीति होनी चाहिए, जो देश की आवश्यकताओं के लिए भाषिक विकास का निर्देश दें। नीति से योजना बनती है जो विकास के प्रयत्नों का समाकलन करे।

भाषा नीति	भाषा नियोजन	भाषा विकास
(Language policy)	(Language Policy)	(Language development)

विकास योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? बदलती हुई परिस्थितियों में भाषा के विभिन्न प्रकार्यों के संदर्भ में नई आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। अन्यथा भाषा वह प्रकार्य संपन्न नहीं कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर राजभाषा हिंदी के संदर्भ में अनुवाद की अहम् भूमिका है। लेकिन अगर हम पर्याप्त संख्या में अनुवादकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था न करें, तो इस प्रकार्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। योजनाबद्ध रूप से यह काम यही भाषा विकास का लक्ष्य है।

भाषा विकास के अंतर्गत दो प्रमुख गतिविधियाँ हैं। आधुनिक प्रयोजनों के लिए भाषा को तैयार करना आधुनिकीकरण कहलाता हैं जैसे, कंप्यूटर में प्रयोग के लिए हिंदी में Font तैयार करना आधुनिकीकरण का उदाहरण है इन क्षेत्रों में भाषा के उपयोग के लिए उसमें व्यवस्था सुनिश्चित करना मानकीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हिंदी में टंकण मंत्र बने, तो टंकण मशीन में उपलब्ध सीमित कुंजियों के कारण हिंदी के संयुक्त व्यंजनों को सरलीकृत करना पड़ा। ह्य, ह्म, ह्व, ह् से लिखे जाने लगे। इस तरह मानकीकरण आधुनिकीकरण और उससे जुड़े यांत्रिकीकरण का परिणाम है।

भाषा का प्रयोजन विस्तार यथार्थ से जुड़ा हुआ है। समाज (इस संदर्भ में राष्ट्र) निश्चित योजना द्वारा विविध आवश्यक प्रयोगों या प्रयुक्ति (कोड) का विस्तार करती है। कोड विस्तार की यह प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित प्रयोगों (कोड) का प्रारंभिक चयन समाज ही करता है। भाषा उन रूपों के उचित प्रयोगों को यंत्र की सुविधा, सरलीकरण की प्रक्रिया आदि कारणों से निश्चित रूप से अपनाती है। यह मानकीकरण की प्रक्रिया है। इसे हम निम्नलिखित आरेख में देख सकते हैं।

	प्रकार्य	रूप
समाज (राष्ट्र)	स्वीकृति	चयन
भाषा	कोड विस्तार (आधुनिकीकरण)	कोडीकरण (मानकीकरण)

31.5.1 हिंदी का आधुनिकीकरण

ऊपर की चर्चा के संदर्भ में कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार्यों के लिए भाषा में संगत सामग्री का निर्माण ही आधुनिकीकरण कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर कार्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में सुचारु रूप से काम करने के लिए हमें कंप्यूटर साफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। इस तरह आधुनिकीकरण से सह-व्यापार के रूप में यांत्रिकीकरण जुड़ता है।

आधुनिकीकरण के दो प्रमुख क्षेत्रों की यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में हिंदी की भूमिका पहले नगण्य ही थी।

राजभाषा

सबसे पहला क्षेत्र राज भाषा का है। हिंदी भाषा का प्रयोग प्रशासन और विधि में हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी में प्रशासनिक साहित्य और विधि का साहित्य उपलब्ध हो। तभी हिंदी के माध्यम से सहजता और सुगमता से काम हो सकता है। अंग्रेज़ी में प्रशासनिक साहित्य और विधि साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है। 1947 से पहले तत्कालीन 'इंडियन' सरकार के सारे अधिनियम, नियम-अधिनियम आदि अंग्रेज़ी में बने थे। आज तक प्रशासन के कई नियम कानून पहले के ही लागू हैं। इन नियमों को हिंदी में लाने की आवश्यकता सामने आयी तो स्वभावत: आसान तरीका यही था कि अंग्रेज़ी से हिंदी में इनका अनुवाद किया जाए। भारत सरकार ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना इसी उद्देश्य से की। यह ब्यूरो विभिन्न कई मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रशासनिक साहित्य का हिंदी में अनुवाद करता है। मंत्रालयों में जो हिंदी अधिकारी आदि नियुक्त हैं, वे दैनंदिन कार्यों में पत्राचार, टिप्पणी आदि का अनुवाद करते हैं। स्थायी प्रकृति की नियमावलियाँ, मैनुअल आदि का अनुवाद ब्यूरो ही करता है। भारत सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि आगे से जो प्रशासनिक साहित्य बनाया जाएगा, वह एक साथ हिंदी और अंग्रेज़ी में तैयार होगा। और यह समस्त साहित्य द्विभाषी रूप में छपेगा, जिससे उपभोक्ता दोनों में किसी भाषा में संदर्भ ढूँढ़ सकें। ब्यूरो हर साल लगभग 30 हज़ार मानक पृष्ठों की प्रशासनिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तक पहुँचाता है।

विधि साहित्य अधिक तकनीकी है, विशिष्ट प्रकार का है। इस कारण सरकार ने विधि साहित्य के अनुवाद का कार्य विधि मंत्रालय को सौंपा है। पहले विधि मंत्रालय में राजभाषा (विधायी) आयोग नामक अभिकरण था, जो अनुवाद कार्य देखता था। अब उसकी जगह विधायी विभाग का राजभाषा खंड नामक अभिकरण है जो इस कार्य को देखता है। इन अभिकरणों ने अब तक हज़ारों पृष्ठों की सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया है।

शिक्षा की भाषा

शिक्षा भाषा के आधुनिक प्रयोजनों में महत्पवूर्ण है, क्योंकि यह अन्य सारे प्रयोजनों की धुरी है। अगर शिक्षा का व्यापक प्रसार न हो, तो अन्य प्रयोजनों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को तैयार करना संभव नहीं होगा। इसमें से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का स्थान और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आजीविका और प्रयोजनपरक कार्य क्षेत्र जुड़ते हैं। हिंदी में (तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी) उच्च शिक्षा का प्रवेश आधुनिक है। कुछ वर्ष पहले तक उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी ही माध्यम थी। 1960 के बाद सरकारी प्रयत्नों से और निजी प्रकाशकों के प्रयत्नों से विविध विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में आप इकाई 21 में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रदेशों की हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ, दिल्ली का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन बोर्ड, निजी प्रकाशक आदि के प्रयत्नों से अब तक विविध विषयों की कई हज़ार पुस्तकें हिंदी में जा चुकी हैं।

पुस्तकों के साथ आवश्यक हैं संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथों में कोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूचियाँ, मानचित्र आदि, वार्षिकी (yearbook), व्यक्ति कोश, अनुक्रमणिकाएँ आदि। हिंदी में कोशों के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। सरकारी क्षेत्र में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पास कोश निर्माण का दायित्व है। निदेशालय ने कई द्विभाषी और त्रिभाषी कोशों का प्रकाशन किया है। निजी प्रकाशकों की ओर से भी कई कोश ग्रंथ प्रकाशित किये गये हैं। शेष सभी संदर्भग्रंथों का हिंदी में अभाव है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। अफ़सोस है कि हिंदी में एक भी समग्र, आधुनिक विश्वकोश नहीं है। इन ग्रंथों के अभाव का शायद यही कारण है कि इनके खरीदार नहीं हैं। प्रयोजन विस्तार से इन ग्रंथों की माँग बढ़ सकती है। हम उम्मीद करें कि इस क्षेत्र में भी ग्रंथों का प्रकाशन बढ़ेगा।

इन दोनों धू क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हमें उपयुक्त शब्दावली की भी आवश्यकता होगी। विषय विशेष की विशिष्ट शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं।

पारिभाषिक शब्द प्रमुखत: सामाजिक, भौतिक तथा जैविक विज्ञानों के शब्द होते हैं। विज्ञान का ज्ञान इन शब्दों के माध्यम से अध्येता तक पहुँचता है। अगर कोई दो व्यक्ति शब्द के दो अर्थ लें, तो विज्ञान का अध्ययन और विषयों पर चर्चा या शोध संभव नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यक है कि

शब्द का सर्वत्र एक ही अर्थ हो। साथ ही एक ही संकल्पना के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा के अर्थ में विस्तार होता है, कहीं संदिग्धता भी होती है, कहीं एक ही अर्थ के कई शब्द होते हैं। हम बातचीत में अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करते चलते हैं। श्लेष का उपयोग साहित्य में गुण है, लेकिन विज्ञान में दोष। जिस तरह से 15 ग्राम कहने पर हम सबके मन में मात्रा का एक निश्चित अर्थ बोध होता है, उसी तरह पारिभाषिक शब्द का मन में एक निश्चित अर्थ आना चाहिए।

इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी पसंद से पारिभाषिक शब्द न बनाए। नहीं तो पारिभाषिक शब्दों में विविधता आ जाएगी। यह केवल एक संस्था का काम होना चाहिए। भारत सरकार ने पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की ज़िम्मेदारी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपी है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अधीन है।

इस संस्था ने विविध विषयों के पारिभाषिक शब्द निर्मित किए हैं और इन्हें निम्नलिखित दो शब्दकोशों में प्रस्तुत किया है :

(1) बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (मानविकी खंड)

(2) बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (विज्ञान खंड)

इसके अतिरिक्त आयोग ने विभिन्न विषयों की शब्दावली भी प्रकाशित की जैसे 'आयुर्विज्ञान शब्दावली' 'कंप्यूटर शब्दावली' आदि।

विधि के क्षेत्र पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एवं संकलन विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा राजभाषा खंड करता है। पहले यह कार्य राजभाषा (विधायी) आयोग करता था। इसके द्वारा निर्मित शब्दकोश 'विधि शब्दावली' नाम से प्रकाशित हैं। इस शब्दावली में करीब 50 हज़ार शब्दों को शामिल किया गया है।

31.5.2 प्रौद्योगिकी और हिंदी

जीवन में यंत्रों के प्रयोग के साथ प्रौद्योगिकी जुड़ जाती है। पहले यंत्र युग था और प्रौद्योगिकी यंत्रों के निर्माण और संचालन का विषय क्षेत्र था। आज हम कंप्यूटर के युग में हैं और अब भाषा ने प्रौद्योगिकी का सहारा लिया।

पिछली शताब्दी में मुद्रण, टंकण, फिल्मांकन, टेपांकन आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के लिए सुविधाएँ प्राप्त हुई। हिंदी में मुद्रण कला में (परंपरागत रूप से) अभूतपूर्व विकास हुआ। हिंदी में 1950 के बाद से हर प्रकार के टंकण यंत्र बने और इलेक्ट्रॉनिक युग में पदार्पण करते ही द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक टंकण यंत्र का भी निर्माण हुआ। उन दिनों दूर संचार के लिए टेलेक्स मशीन का आविष्कार हुआ था। शीघ्र ही हिंदी में टेलेक्स द्वारा संदेश भेजना संभव हो गया। इस तरह प्रशासन, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भाषा के माध्यम से काम करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के साफ़्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इनका संक्षेप में यहाँ उल्लेख करेंगे।

कक्षीय मुद्रण (Desk Top Printing) भाषा के पाठों को कंप्यूटर पर ही शुद्ध करने और संपादित करने की सुविधा देता है। इसके साथ ही हम मशीन द्वारा वर्तनी की जाँच कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में शब्दों को अकारादि क्रम में रख सकते हैं। कुछ उन्नत कार्यक्रमों में पाठ की भाषा की व्याकरणिक जाँच की भी व्यवस्था होती है। हिंदी में लीप, अक्षर, आफिस एक्स. पी, सुलिपि आदि डी.टी.पी कार्यक्रम बने हैं। इनमें वर्तनी जाँच की संतोषजनक व्यवस्था है, अकारादि क्रम में शब्द लाने की व्यवस्था का प्रयास है और व्याकरणिक जाँच का अभाव है।

अन्य उपयोगी कार्यक्रमों में छपे हुए पृष्ठों के स्कैन और कंप्यूटर द्वारा पाठ को 'पढ़ने' (याने मुद्रित रूप में लेने) वाला प्रमुख है। अंग्रेज़ी में यह कार्यक्रम उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी में मानकीकरण के अभाव के कारण ही शायद अकारादि क्रम निर्धारण और 'पठन' के कार्यक्रम नहीं बन पाये हैं।

पाठ से उच्चारण (Text to speech) एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम छपे हुए पाठ को उच्चारण में बदलकर देता है। इससे नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए विस्तृत अध्ययन करना अधिक आसान होगा। उच्चारण से पाठ (Speech to Text) भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। Dragon Naturally Speaking जैसे कार्यक्रम मौखिक उच्चारण को श्रुतलेख की तरह ग्रहण कर मुद्रित पाठ में बदल देते हैं। हिंदी में इन दोनों कार्यक्रमों के विकास पर कार्य चल रहा है।

प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट और ई-मेल उपयोगी साधन हैं। हम इंटरनेट पर हिंदी में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ई-मेल द्वारा लोगों को संदेश भेज सकते हैं। अभी वेब दुनिया, नेट जाल जैसे कुछ वेब साइट बने हैं और कई समाचार पत्र भी नेट पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर काम करने के लिए html नामक विशेष फॉन्ट की आवश्यकता है, जिससे व्यापक रूप में हम नेट का उपयोग कर सकें। अभी जो वेब साइट बने हैं उन्होंने अपने-अपने फॉन्ट बनाये हैं और html का विकास नहीं हुआ है। मानकीकरण के अभाव में यह कार्य भी अभी अपूर्ण है।

31.6 मानकीकरण का सवाल

आजकल हमें लोगों के मुँह से, टेलीविज़न के पर्दे पर और लेखन में भी निम्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ सुनने को मिलती हैं-

चूँकि वह नहीं आया, **अतः** मैं वापस आ गया।

क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, **इसलिए** मैं वापस आ गया।

हालाँकि उसने बुलाया था, **फिर भी** हम शादी में जा नहीं पाये।

मैंने **इसलिए** उसे बुलाया था, **ताकि** उससे बात कर सकूँ।

भाषा के प्रयोग के संदर्भ में यह एक उदाहरण है, जहाँ व्याकरण के सारे नियम टूटते दिखायी देते हैं। आधुनिक हिंदी में ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनके संदर्भ में यह कहना कठिन हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं। यह सत्य है कि भाषा परिवर्तनशील है और भाषा के बोलने वाले भाषा को रूप देते हैं। प्रयोग ही भाषा है, नियम मात्र अनुवर्ती होते हैं। लेकिन ऊपर के उदाहरणों में जिन वाक्यों का उल्लेख किया गया है, वे प्रयोग संबंधी अराजकता का संकेत करते हैं। कोई शायद इनकार नहीं करेगा कि ऐसी अराजकता की स्थिति में प्रयोगों को गति और दिशा देने का सामूहिक और संस्थागत प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है कि रूसी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जैसी विकसित देशों की भाषाओं में ऐसे प्रयत्न हुए हैं और भाषा के प्रयोगों को नियंत्रित करने में ये प्रयास सफल रहे हैं। मानकीकरण इसी संस्थागत प्रयत्न का नाम है, भाषा के नियंत्रित विकास के लिए आवश्यक साधन है।

हर आधुनिक भाषा के समक्ष मानकीकरण का सवाल कभी न कभी उठता है। मानकीकरण जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, और भाषा के क्षेत्र में भी इतना ही आवश्यक है। मानकीकरण भाषा विकास का सहायक तत्त्व ही नहीं, कई क्षेत्रों में विकास से जुड़ी हुई सहवर्ती प्रक्रिया है। अगर मानकीकरण को आधार न बनाया जाए, तो पारिभाषिक शब्द निर्माण का कार्य असंभव-सा होगा। मानकीकरण के अभाव में टंकण, मुद्रण, कंप्यूटर आदि की प्रौद्योगिकी में अराजकता पैदा हो जाएगी, जो वास्तव में इस क्षेत्र में आज की स्थिति है। इस कारण मानकीकरण का यह सवाल अत्यंत प्रासंगिक है, यह समस्या अत्यधिक ज्वलंत है।

मानकीकरण की आवश्यकता

1. हिंदी सिर्फ एक प्रदेश की भाषा नहीं है, इस समय वह देश की राजभाषा है, पूरे देश की संपर्क भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की भाषा है। शैक्षिक व्यवस्था के कारण भारत के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ही नहीं, लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालयों में इसके अध्यापन की व्यवस्था है। जहाँ करोड़ों छात्र इस भाषा का अध्ययन करते हैं, हमें उनके सीखने की सुविधा के लिए, उनके सामने भाषा का मानक रूप प्रस्तुत करना होगा।

यह सवाल किया जाता है कि क्या भाषा के लिए मानकीकरण आवश्यक है? भाषा परिवर्तनशील है, अतः उसमें वैकल्पिक [illegible] रहते हैं। क्या भाषा को जकड़कर एक कृत्रिम, सार्वत्रिक मान में

बाँधा जाना चाहिए? यह बात सही है कि भाषाभाषी काफ़ी दूर तक भाषा में विसंगतियों और अनियमितताओं को बरदाश्त कर सकते हैं। सारे विभेद उनकी बोध क्षमता के अंग बन जाते हैं और जहाँ तक अभिव्यक्ति का सवाल है, हर व्यक्ति अपना 'मान' स्थापित कर लेता है। इतर भाषाभाषी भी अध्यवसाय से इस विस्तृत क्षमता सीमा में पहुँच सकते हैं, लेकिन इस लक्ष्य प्राप्ति में उन्हें अधिकाधिक श्रम और समय लगाना पड़ सकता है। करोड़ों इतर भाषाभाषी अध्येताओं के लिए यह अतिरिक्त श्रम और समय विकर्षक तत्त्व हैं।

क्या मानकीकरण भाषा का कृत्रिम नियंत्रण है? क्या भाषा के प्रयोग में विविधता स्वाभाविक नहीं है? क्या परिवर्तनशील भाषा की गति को नियंत्रित करना असफल प्रयास नहीं है? हिंदी भाषियों के लेखन को गौर से देखा जाए तो पाएँगे कि 'अ' जैसा अक्षर भी हज़ारों प्रकार से लिखा जाता है। अक्षर छोटा हो या बड़ा, सीधा लिखा जाए या टेढ़ा, भाषाभाषी इसे 'अ' के रूप में ही पहचानता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे दृष्टि की स्थिरता (Constancy of vision) कहते हैं। यह क्षेत्र मानकीकरण का नहीं है। दृष्टि स्थिरता के संदर्भ में किसी भाषिक इकाई की अभिव्यक्ति में विभेदों का सवाल अलग है, वर्ण या वर्तनी आदि भाषाई इकाई या रचना के लिए कई भिन्न रूपों का सवाल अलग। मानकीकरण वह व्यवस्था है जिसमें किसी एक स्वीकृत रूप का प्रस्ताव किया जाता है। मानव रूप का प्रस्ताव इतना यांत्रिक भी नहीं है; यह प्रक्रिया भाषा की परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखकर ही की जाती है। इस तरह मानकीकरण निरंतर प्रक्रिया है। मानकीकरण में वैकल्पिक क्षेत्रीय प्रयोगों के सत्य से भी मुँह नहीं मोड़ा जाता। जीवंत भाषाओं में मानक रूपों के साथ क्षेत्रीय मानों का भी प्रावधान किया जाता या किया जा सकता है। और जहाँ तक जीवंत भाषा में संस्थागत नियंत्रण का सवाल है, यह तब किया जा सकता है, जब इससे भाषा के विकास और प्रसार का हित सिद्ध हो। जहाँ तक इस नियंत्रण की संभाव्यता का प्रश्न है, यह संभव ही नहीं, सफल प्रयोग साबित हो चुका है। अगर आधुनिक युग में प्राकृतिक विकास में जीन (genes) परिवर्तन के प्रयोग किये जा सकते हैं, तो प्राकृतिक भाषा के प्रवाह को दो किनारों की सीमा में नियंत्रित करना उचित ही है।

2. भाषा विकास हर आधुनिक भाषा की अनिवार्य शर्त है। प्रौद्योगिकी विकास का अभिन्न अंग है। जो भाषा सिर्फ़ जन संपर्क और साहित्य सर्जन तक सीमित हो, वह कुछ हद तक विकास से और संबद्ध विकास की प्रक्रिया से दूर रह सकती है। लेकिन व्यापक जन संचार, आधुनिक प्रयोगों के लिए पारिभाषिक शब्द निर्माण, अनुवाद, यांत्रिकीकरण, इंटरनेट संचार और द्रुत मुद्रण आदि कार्यकलापों से जुड़ी भाषा के लिए मानकीकरण आवश्यक अंग है। संरचना और शब्दावली के मानक के अभाव में कंप्यूटर द्वारा अनुवाद का कार्य असंभव न हुआ, तो अत्यंत कठिन हो सकता है। वर्णों की माप और बनावट के मानक के अभाव में कंप्यूटर द्वारा सूचना प्रसारण और मुद्रण आदि प्रभावित हो सकते हैं। वर्तनी के मानकीकरण के अभाव में शब्दकोश निर्माण कार्य जटिल हो सकता है।

इस समय टंकण के क्षेत्र में भी कम से कम तीन विशिष्ट कुंजीपटल हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक कुंजीपटल पर अभ्यस्त व्यक्ति के लिए दूसरे पटल पर काम करना श्रमसाध्य है। अंग्रेजी का कुंजीपटल लगभग 100 वर्षों से इसी रूप में विद्यमान है और प्रशिक्षित व्यक्ति को किसी जगह, किसी भी यंत्र पर काम करने में कठिनाई नहीं होती, तो हिंदी में यह कठिनाई क्यों हो?

इलेक्ट्रानिक मुद्रण तथा आँकड़ा अंतरण के क्षेत्र में यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है। वहाँ दो अलग यंत्रों पर एक व्यक्ति के कार्य करने की कठिनाई ही नहीं, बल्कि एक यंत्र से दूसरे यंत्र में सूचना भेजने का प्रश्न है, जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इलेक्ट्रानिकी के युग में एक कंप्यूटर से दूसरे में सूचनाएँ ले जाना, कंप्यूटर से आँकड़े टेलेक्स या फैक्स में भेजना, कंप्यूटर की सूचना को फोटो मुद्रक या अन्य मुद्रकों में भेजना आदि आवश्यक साधन हैं। यह तभी संभव हो सकता है, जब सारे इलेक्ट्रानिकी के यंत्र समान कुंजीपटल पर कार्य करें और समान वर्ण, वर्तनी और वर्णाकृति का उपयोग करें। जो लोग भाषा के इस क्षेत्र से जुड़े हुए हों, वे जानते हैं कि अभी हम यंत्रों के इस नेटवर्क से बहुत दूर हैं। मानकीकरण का अभाव इस कमी का एक बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति बनी रही, तो हम इन विकसित देशों की भाषाओं से बहुत पीछे चले जाएँगे।

कहीं यह सुनने में आता है कि कुंजीपटल अब एक निजी कंपनी के स्वत्वाधिकार में है। इसी कारण अन्य सब विनिर्माताओं को उससे भिन्न रूप में अपने कुंजी पटल को व्यवस्थित करना पड़ता

है, जिससे वे उक्त कंपनी के स्वत्वाधिकार का उल्लंघन न करें। अगर यह बात सच है, तो हिंदी भाषा के विकास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, उसका गला घोंटा जा रहा है। कुंजीपटल पर किसी एक विनिर्माता का स्वत्व कम समझ में आने वाली बात है; होना यह चाहिए था कि हम एक मानक रूप निश्चित करने के बाद आग्रह करते कि सभी उसी को अपनाएँ। सच जो भी हो, वास्तविकता यह है कि हर कंप्यूटर का कुंजीपटल दूसरों से भिन्न है, हर साफ़्टवेयर का निर्गम अलग है। यह स्थिति शीघ्र ही बदली तथा सुधारी जानी चाहिए, इसी में हिंदी भाषा का कल्याण है।

3. मानकीकरण से हमें भाषायी नीति तथा अपनी सोच का निश्चित निर्णय करने की सुविधा होगी। यह निर्णय कौन और कैसे करे कि हिंदी में चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं? एक बारगी यह निर्णय क्यों नहीं हो सकता कि हिंदी में ज़, फ़ आदि वर्ण रहेंगे या नहीं? इस संबंध में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की सिफ़ारिशें हैं, निर्णय नहीं। अब तक ऐसे मामलों पर हमने प्रकाशकों और लेखकों की अपनी रुचि, सुविधा और सोच के अनुसार व्यवहार की छूट दी है। इसके पीछे शायद विचार यही है कि कालक्रम में कोई न कोई व्यवस्था बन ही जाएगी। लेकिन व्यवस्था बनने के दौरान हम यांत्रिक सुविधाओं के संदर्भ में जितने पिछड़ते जाएँगे, उसके संदर्भ में कुछ निर्णय किया जाना अधिक उपयोगी होगा। नीति का यह सवाल सिर्फ़ वर्ण, वर्तनी आदि तक ही सीमित नहीं है। हिंदी में 'उसने बोला', 'बारिश होनी शुरू हो गयी', 'हमने तो जाना ही जाना है', 'उसने दिया हुआ है', 'मुझे कार चलानी नहीं आती' आदि सैकड़ों संरचनागत विभेद तेजी से प्रयोग में आ रहे हैं। क्या सब ग्रहणीय हैं और पूर्व विकल्पों को अपदस्थ कर स्वीकृत हो चुके हैं? हमें 'सब चलता है' की प्रवृत्ति को छोड़कर गंभीरता से सोचना होगा कि किन रूपों के मानक मानें और किन समानक रूपों के निग्रह के लिए प्रयास करना होगा।

4. संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा को इस रूप से विकसित होना चाहिए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मैं इस अनुच्छेद का यह निहितार्थ समझता हूँ कि हिंदी भाषा में सभी भाषाओं का वाङ्मय उपलब्ध हो सके, जिससे भाषाएँ प्रत्यक्ष संपर्क के अभाव में हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बना सकें। इसी तरह और इसी आधार पर अन्य भाषाओं के मानकीकरण के लिए हिंदी आधार बन सके। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी ने भारतीय गाँवों के नामों का मानकीकरण कर रखा था। अब हिंदी यह कार्य कर सके, तो अन्य भाषाएँ इसी आधार पर अपने यहाँ मानकीकृत रूपों का प्रयोग कर सकेंगी। इसी संदर्भ में एक मानचित्र में विदेशी शहरों के नामों को देखा तो पाया कि Zaire को उसमें 'झाइरो' दर्शाया गया था। क्या कांगो की भाषा बांटू में भी महाप्राण 'झ' का उच्चारण मिलता है। संभवत: इस लिप्यंतारण के पीछे किसी मराठी भाषी सज्जन का हाथ था, क्योंकि मराठी में 'ज़' को 'झ' लिखा जाता है।

मानकीकरण के स्तर

अगर हम उपर्युक्त चर्चा के आधार पर आश्वस्त हो जाएँ कि हिंदी के विकास के लिए मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, तो हमें निश्चित करना होगा कि भाषा के किन स्तरों पर और किस रूप में यह प्रक्रिया शुरू हो। उच्चारण, वर्णों की आकृति, वर्णमाला, वर्तनी, वाक्य संरचना और शब्दार्थ भाषिक स्तर पर प्रमुख तत्त्व हैं, जिनमें मानकीकरण की आवश्यकता है। इन स्तरों पर मानकीकरण से अन्य संबंद्ध कार्य भी मानकीकृत किये जा सकेंगे। वर्णों की बनावट के मानकीकरण से सामान्य कुंजी पटल निर्माण तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों के बीच सूचना संचार का कार्य संपन्न हो सकेगा। वर्तनी का मानकीकरण मानक शब्दकोश का आधार होगा। वाक्य संरचना के मानकीकरण से मानक व्याकरण की रचना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा और कंम्प्यूटर पर व्याकरण जाँच का कार्यक्रम बन सकेगा। शब्दार्थ के मानकीकरण से पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का कार्य अधिक वैज्ञानिक हो सकेगा। इस तरह मानकीकरण का भाषा के अन्य साधनों के निर्माण पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने ऊपर मानक रूप और क्षेत्रीय मानों की चर्चा की थी, मानकीकरण का प्रभाव सभी भाषिक तत्त्वों पर समान रूप से नहीं पड़ेगा। वर्णाकृति मुद्रण के क्षेत्र की बात है, आम व्यक्ति इससे अधिक प्रभावित नहीं होता। ध्वनि का मानकीकरण क्षेत्रीय प्रयोगों को रोक नहीं सकेगा। लेकिन जहाँ तक वर्णमाला और वर्तनी का संबंध है, यह मानकीकरण भाषा के प्रयोग के समस्त क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाएगा। इससे भाषा के प्रयोक्ता को कोई शिकायत भी नहीं होगी, क्योंकि वह स्वयं ही यह जानना चाहता है कि वह क्या लिखे। चूँकि आज उसके सामने कोई आदर्श मान नहीं है, वह स्वेच्छा से कोई प्रयोग अर्जित करता है और उसे ही सही मान लेता

है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानकीकृत रूप व्यक्ति की आवश्यकता है; जिन क्षेत्रों में, जैसे उच्चारण में, वह मानकीकृत रूप अपना नहीं सकेगा, वहाँ स्वयमेव क्षेत्रीय मान की स्थापना हो जाती है। इस तरह कह सकते हैं कि मानकीकरण भाषा प्रयोग के व्यक्ति स्वातंत्र्य की विरोधी व्यवस्था नहीं है।

मानकीकरण की प्रक्रिया

इस संदर्भ में दो सवाल उठते हैं - मानकीकरण कौन करे और मानकीकरण के कार्यान्वयन का क्या रूप हो? दूसरे सवाल पर पहले चर्चा करें और भारतीय संदर्भ में अन्य कुछ भाषाओं में हुए प्रयत्नों की चर्चा करें। तमिल भाषा में कुछ वर्ष पहले मानकीकरण का एक छोटा-सा प्रयत्न हुआ कि मात्रा लेखन में अपवादों को हटाकर नियमित रूप लिखे जाएँ। निर्णय सरकारी था, लेकिन दूसरे दिन से ही सभी मुद्रकों और प्रकाशकों ने नयी व्यवस्था का पालन शुरू कर दिया था। मात्र एक पत्रिका के संपादक श्री 'चो' रामस्वामी ने सुझाव का विरोध किया। इसी तरह मलयालम में लिपि संबंधी संशोधन प्रस्तुत हुए, तो तुरंत ही अनुपालन शुरू हो गया। मराठी और गुजराती भाषाओं में शब्दांत ह्रस्व-दीर्घ स्वर के संदर्भ में काफ़ी दिन तक समस्या बनी रही। कई मराठी भाषी 'शांति', 'कीर्ति' आदि ह्रस्वांत संस्कृत शब्दों को मूल रूप में लिखने के आग्रही थे, लेकिन आम व्यक्ति भाषा की प्रकृति के अनुसार इन्हें दीर्घ स्वर में लिखता था। यही समस्या गुजराती में भी थी। अब दोनों भाषाओं ने व्यवस्था दे दी है - मराठी में सारे शब्दों के अंत में दीर्घ स्वर लिखे जाएँगे; गुजराती भाषा इस संदर्भ में हिंदी भाषा की व्यवस्था का अनुसरण करेगी (जबकि हिंदी में यह समस्या बनी हुई है और 'गुरु' लिखते समय मुझे लगता है कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, जो इसे गलत लिख रहा हूँ)। उल्लेखनीय है कि इस नयी व्यवस्था का तुरंत पालन भी होने लगा। निदेशालय ने पंचमाक्षर की सिफ़ारिश की थी, लेकिन उसकी अपनी पत्रिका में भी इसका पालन नहीं हो रहा था[1]। हिंदी भाषी यह मानते हैं कि 'हिन्दी' सही रूप है, 'हिंदी' नहीं। निदेशालय ने यह संस्तुति की थी कि द्व, द्य को हलंत से लिखा जाए, लेकिन बाद में एक सचिव महोदय ने कुंजी पटल में फिर से द्व और द्य का फिर से प्रवेश करा दिया। निदेशालय के अनुसार 'अ', 'ख', 'झ', 'ण' आदि अमानक वर्ण हैं। लेकिन आज भी मुद्रण में इनका पूर्ववत प्रयोग हो रहा है। कुछ विद्वान संस्तुति को ठुकराकर अपना रूप अपनाने को अपना अधिकार मानते हैं। क्या कारण है कि अन्य भाषाएँ मानकीकरण के क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकी हैं, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र इन प्रयासों की पूर्ण उपेक्षा को अपना धर्म समझता है? नीति निर्धारण की शिथिलता और कार्यान्वयन की अक्षमता ही इसका आंशिक कारण है।

निदेशालय ने पहले 'बुद्धि' का सुझाव दिया था, बाद में 'बुद्‌धि' का और अब फिर 'बुद्धि' पर लौट आया है। इसी तरह 'ऋ' के सुझाव के बाद बिना घोषणा के उसने 'ॠ' को शामिल कर लिया है। ऐसे ही उदाहरण स्पष्ट करते हैं की निदेशालय की कोई दृढ़ भूमि नहीं रही है। जिस समिति में जो पारित हुआ, वह नीति कहलायी।

अंत में मानकीकरण के कार्यान्वयन के बारे में दो शब्द कहना चाहेंगे। अब तक सरकारी तंत्र ही हिंदी के क्षेत्र में प्रमुख प्रकाशक है। यह सुनिश्चित करना कठिन नहीं होगा कि सरकारी तंत्र में जो भी सामग्री प्रकाशित हो, वह मानक रूप में हो (बशर्ते कि उसके सामने एक मानक रूप हो)। निजी प्रकाशकों के संदर्भ में भी सरकारी तंत्र ही सबसे बड़ा खरीददार है। अगर यह घोषित हो कि जो प्रकाशक अमानक लिपि या वर्तनी में पुस्तकें छापें, उनकी पुस्तकों पर कोई सरकारी खरीद नहीं होगी, न ही उन पुस्तकों के लिए अनुदान या पुरस्कार दिया जाएगा, तो मानकीकरण को बल मिलेगा। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की, कारगर कदम उठाने की। यह भी ज़रूरी है कि मानकीकरण का कोई भी सुझाव देने से पहले हम आश्वस्त हो जाएँ, तो सुझाव अपने में सही है, आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है प्रारंभ में केवल वही सुझाव दें, जो सर्वमान्य हो, निर्विवाद हो। इसलिए यह आवश्यक होगा कि इस प्रयत्न को निरंतर प्रक्रिया का रूप दें और एक-एक करके अमल में लाएँ। इस प्रक्रिया में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन जहाँ चालीस वर्ष तक हमने कोई पहल ही नहीं की, वहाँ कदम-कदम बढ़ते हुए आगे के चालीस वर्षों में भी यह कार्य संपन्न कर लें, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

---

[1] निदेशालय की पत्रिका में मानकीकृत वर्तनी का पालन हो रहा।

31.7 सारांश

हिंदी भाषा एक प्रदेश की भाषा से धीरे-धीरे अखिल भारतीय संपर्क की भाषा बनी और इसके साथ ही साथ उसे प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए तथा शैक्षिक आावश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान की धारा 343 में उल्लेख है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी देश की राजभाषा होगी। राजभाषा के अलावा, हिंदी अखिल भारतीय सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान के लिए संपर्क का सूत्र भी है, जिस भूमिका के संदर्भ में उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतवंशी भारतीयों के कारण, जो विदेशों में बस गए और हिंदी के बढ़ते महत्व के कारण हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा प्राप्त कर चुकी है। इस इकाई में हमने यह पढ़ा कि हिंदी की ये तीनों भूमिकाएँ क्या हैं और राजभाषा के संदर्भ में हमने यह भी देखा कि हिंदी की प्रशासनिक भाषा, वाणिज्य-व्यापार की भाषा, विधि आदि प्रयोजनमूलक पक्ष क्या हैं।

जब कोई भाषा आधुनिक प्रयोजनों के लिए राजभाषा जैसी भूमिका वहन करती है तो आवश्यक हो जाता है कि भाषा का विकास हो। राजभाषा की भूमिका के निर्वाह के लिए हिंदी में ज्ञान-विज्ञान का साहित्य चाहिए, कार्यालय-प्रशासन के लिए प्रक्रिया साहित्य चाहिए, उच्च-स्तरीय अध्ययन के लिए ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथ चाहिए। इसी तरह, संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न प्रकार के कोशों और विश्वकोशों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। प्रौद्योगिकी के युग में भाषा के माध्यम से काम करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी सामग्री की अभी आवश्यकता है। इन सबका निर्माण अपने आप नहीं हो जाता बल्कि इसके लिए देश की भाषा नीति के संदर्भ में भाषा नियोजन करना पड़ता और नियोजित ढंग से सामग्री निर्माण, शिक्षण-प्रशिक्षण, अनुवाद आदि नए क्षेत्र खोलने पड़ते हैं। इसको हम भाषा का आधुनिकीकरण कहते हैं। हमने इस इकाई में यह चर्चा की है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कैसी अपनाई गई है और प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी में काम करने की किस प्रकार की स्थिति है।

कोई भाषा औपचारिक संदर्भों में बहुत विविधता लेकर नहीं चल सकती। उसमें एकरूपता, उपयोग की सफलता आदि गुण चाहिए जिससे कि लोग आसानी से काम कर सकें। भाषा में साधन की इस प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं। हमने इस इकाई में यह भी चर्चा की है कि हिंदी में मानकीकरण की क्या आवश्यकता है, कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ मानकीकरण अपेक्षित है और मानकीकरण के अभाव में भाषा का विकास कैसे अवरूद्ध हो जाता है।

31.8 अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 500 शब्दों में उत्तर लिखिए :

   i) हिंदी के संदर्भ में राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।

   ii) हिंदी भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 500 शब्दों में उत्तर लिखिए :

   i) हिंदी की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।

   ii) प्रयोजनमूलक हिंदी की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।

परिशिष्ट : संविधान के उपबंध

अध्याय 1 संघ की भाषा

343. संघ की राजभाषा - (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था:

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषाा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा-

(क) अंग्रेज़ी भाषा का; या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों का उपबन्ध कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

अध्याय 2-प्रादेशिक भाषाएँ

345. राजभाषा या राजभाषाएं - अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा:

परन्तु जब तक राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

इस धारा का तात्पर्य:

(इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा या राजभाषाएँ स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए इस व्यवस्था के द्वारा ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, जो कर्नाटक की सीमा से लगते हैं, कन्नड़ को किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में उड़िसा या तेलुगु को कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है।)

346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा - संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होंगी:

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

इस धारा का तात्पर्य:

(इस अवस्था के अनुसार दो राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार अथवा किसी राज्य और राज्य संघ के बीच पत्र-व्यवहार उसी भाषा में होगा जो संघ सरकार के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में प्राधिकृत हो।)

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध- यदि इस निमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा- (1) इस भाग के पूर्वगाभी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक -

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी,

(ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में

पुर:स्थापित किए जाने वाले भी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले भी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी।

(3) खण्ड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

इस धारा का तात्पर्य :

उपर्युक्त निदेश में हिंदी में विकास और प्रसार की ज़िम्मेदरी संघ सरकार को सौंपी गई है। इसमें चार बातें प्रमुख हैं :-

क) हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृत का वाहक बनाना

ख) आठवीं सूची की भाषाओं की शैली, रूप और पदावली का हिंदी में समावेश।

ग) हिंदी में मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण

घ) ऊपर "ख" और "ग" की स्थिति में भाषा की मूल प्रकृति को कायम रखना।

आप के मन में प्रश्न उठा होगा कि हिंदी के विकास और प्रसार के प्रयास के उद्देश्य क्या हैं? इसकी जरूरत क्यों है? आप जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं, जातियों और धर्मों का देश है। यहाँ की संस्कृति कई संस्कृतियों के मेल से बनी है इसलिए भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति हैं जब हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक ही है कि इससे हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप का विकास होगा और वह राष्ट्रभाषा का दायित्व वहन करने में अधिकाधिक सक्षम होगी।

हिंदी के इसी स्वरूप के विकास के संबंध में आगे कहा गया है कि हिंदी भाषा की अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए उसमें अन्य भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं सूची में दी गई भाषाओं) की शैलियों, रूपों और अभिव्यक्तियों का समावेश किया जाए। इस तरह भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता स्थापित करने और उनके समान तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया जाए। आप सोच सकते हैं कि यह समन्वय किस प्रकार हो सकता है ? भारत की विभिन्न भाषाओं का आपसी रिश्ता बहनों का है। उनमें से अधिकांश का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। इसीलिए ऊपर अलग-अलग दिखाई देने पर भी उनमें घनिष्ठ समानता उसी तरह विद्यमान है जिस तरह भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता। अत: इन भाषाओं के तत्वों के हिंदी में समावेश से भाषिक एकता का विकास हो सकेगा। उसके बाद कहा गया है कि हिंदी के शब्द-भंडार को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाएँ

और गौण रूप से अन्य भाषाओं से। शब्द-भंडार के विस्तार की यह व्यवस्था भी हिंदी के राष्ट्रभाषा या अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप मे विकास को लक्ष्य में रख कर की गई है।

120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेज़ी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेज़ी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

इस धारा का तात्पर्य : *इस व्यवस्था के अनुसार संसद में कार्य की भाषा अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है। किंतु जो सदस्य अंग्रेज़ी या हिंदी में अपने विचार व्यक्त न कर सकता हो उसे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया हैं।*

संविधान की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार अंग्रेज़ी या हिंदी में से किसी का भी प्रयोग करने की व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। इस अवधि की समाप्ति पर अर्थात् 26 जनवरी, 1965 के बाद संसद के साथ-साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी जारी रखा जाए।

इकाई 32 देवनागरी लिपि का विकास

इकाई की रूपरेखा

32.1 उद्देश्य

इस इकाई में हम लिपि के गुणों की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में विश्व की विभिन्न लिपियों विशेषकर हिंदी की वर्तमान लिपि देवनागरी का परिचय प्राप्त करेंगे। देवनागरी लिपि के संदर्भ में उसके उद्भव और विकास की चर्चा करते हुए वर्तमान युग में देवनागरी की चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- लिपि की प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा कर सकेंगे;
- विश्व की प्रमुख लिपियों का परिचय दे सकेंगे;
- देवनागरी के उद्भव और विकास का वर्णन कर सकेंगे;
- देवनागरी लिपि के गुणों, स्थिति और समस्याओं का विवरण दे सकेंगे; और
- देवनागरी के मानकीकरण की आवश्यकता की चर्चा कर सकेंगे।

32.2 प्रस्तावना

भाषा मूलत: उच्चरित होती है। उच्चरित भाषा में शब्दों का निर्माण ध्वनियों याने वाक् ध्वनियों से होता है। हम उच्चरित भाषा को कानों से सुनते हैं और निहित अर्थ ग्रहण करते हैं। उच्चरित भाषा के शब्दों को रेखीय (graphic) पद्धति से पत्थर, कागज़ आदि माध्यमों में अंकित करने के लिए हम लिपि (script) का उपयोग करते हैं। भाषा के शब्दों के रेखीय अंकन की भी दो प्रमुख पद्धतियाँ हैं। चीनी जैसी भाषाओं में पूरे शब्द के उच्चारण को एक चित्र द्वारा दिखाया जाता है। अंग्रेजी हिंदी जैसी भाषाओं की लिपियों में भाषा की ध्वनियों के लिए अलग-अलग वर्णों को प्रतीक के रूप में निर्मित किया जाता है और उच्चारण क्रम से वर्णों को क्रम से लिखा जाता है।

यद्यपि उच्चारण ही भाषा का मूल स्वरूप है, लिपि से भाषा का महत्व बढ़ जाता है। लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है, लिपि से भाषा की साहित्यिक - सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण होता है। इस तरह हम पाते हैं कि उन्नत संस्कृतियों ने लिपि का निर्माण किया; इसी तरह लिपि के निर्माण से संस्कृति उन्नत हुई।

प्राचीन युग में विश्व में तीन-चार ही लिपियाँ थी जिनमें चीनी लिपि आज तक चली आ रही है। मेसेपोटेमिया के कीलाक्षरों वाली लिपि (enneiform) का संशोधित रूप पुरानी मिस्र की लिपि में देख सकते हैं। वर्तमान रोमन (Roman) लिपि का उत्स मिस्र की ध्वनात्मक लिपि (hieroglyplnic) ही है। पुराने सिनाई के शिलालेखों में सामी परिवार की प्राचीन लिपि का परिचय मिलता है, जिससे अरबी भाषा की लिपि विकसित हुई है।

भारत में संभवत: सबसे पुरानी लिपि सिंधु घाटी की लिपि है। इसके नमूने सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरों (clay seals) में मिलते हैं। अति सीमित नमूनों के कारण इस लिपि का आज तक अभिज्ञान नहीं हुआ है। प्राचीन भारत में दो और लिपियाँ थीं ब्राह्मी लिपि और खरोस्ती लिपि। खरोस्ती बाद में विलुप्त हो गई और ब्राह्मी ही संस्कृत के लेखन का माध्यम बनी।

ब्राह्मी कितनी पुरानी है, इसका उद्भव कहाँ हुआ, ये सब प्रश्न अभी विवाद के घेरे में है। परवर्ती इतिहास से यह तो स्पष्ट है कि ब्राह्मी लिपि से ही भारत तथा सिंहल की सारी लिपियाँ विकसित हुई। ब्राह्मी ने न केवल लिपि चिह्न नहीं दिये हैं उच्चारण का क्रम, वर्णमाला का क्रम आदि बातों में भी भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता है, जिसका स्रोत ब्राह्मी लिपि है।

ब्राह्मी लिपि का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है। रोमन ध्वन्यात्मक (phonetic) लिपि है, जिसमें हर जगह स्वरों और व्यंजनों को अलग-अलग चिह्नों से दिखाया जाता है। ब्राह्मी आक्षरिक (syllabic) लिपि है, जिसमें एक या अधिक व्यंजन तथा स्वर (मात्रा) मिलकर एक लिपि चिह्न का निर्माण करते हैं। ब्राह्मी के प्रभाव के कारण एशिया की सारी लिपियाँ आक्षरिक हैं और लिपि चिह्नों के निर्माण के लिए इन लिपियों ने ब्राह्मी से प्रभाव ग्रहण किया है।

हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो आज संस्कृत, मराठी, हिंदी तथा नेपाली भाषाओं के लेखन में काम आती है। अन्य भारतीय लिपियों की तरह देवनागरी भी ब्राहमी से निकली है। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्चारण और लेखन का तालमेल ज्यादा है।

सरलीकरण के उद्देश्य से और मशीनी उपयोग को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युग में देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया था। अब कंप्युटर में भाषा के प्रयोग की संभावनाओं को देखते हुए देवनागरी में पुन: मानकीकरण की आवश्यकता दिखाई पड़ती है।

32.3 लिपि क्या है?

हम यह चर्चा करना चाहेंगे कि लिपि क्या है और भाषा में लिपि का स्थान क्या है। आप तो जानते ही हैं कि मानव सभ्यता कुछ ही हजार साल पुरानी है और इसी दौरान भाषा का भी आविष्कार हुआ। भाषा प्रारंभ में मौखिक ही थी और लेखबद्ध रूप देने का प्रयत्न बाद में ही हुआ। चित्रांकन संभवत: लिपि के आविष्कार का बीज है। मानव ने वस्तुओं को प्रत्यक्षत: चित्रित किया होगा और चित्र को ही उस उच्चारित शब्द का लिखित रूप मान लिया होगा। हम आगे देखेंगे कि चित्र लिपि भी विश्व की लिपियों का एक प्रकार है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जो चित्र लेखन से लेखन की व्यवस्था के विकास की दिशा बता सकें। पुराने मिस्र के कीलाक्षर (hierographic) लेखन में प्रयुक्त कई लिपि चिह्न वास्तव में चित्र हैं। उदाहरण के लिए राजहंस का चित्रात्मक अंकन ही लिखित शब्द है। चीनी भाषा में सूरज की तस्वीर ही सूरज शब्द का संकेत चिह्न है। बाद में आवश्यकतानुसार अन्य शब्दों की रचना के लिए यादृच्छिक चिह्न बनाए गए। ऐसी लेखन पद्धति को चित्रात्मक (logographic) लेखन की संज्ञा दी जाती है।

प्रसंग से यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि लेखन की पद्धति भाषा की रचना को प्रभावित कैसे करती है। चित्रलिपि में एक शब्द से निर्मित अन्य शब्दों की गुंजाइश नहीं होती जैसे हम संस्कृत में भाव, स्वभाव, स्वाभाविक, अस्वाभाविक आदि संबद्ध शब्दों का निर्माण करते हैं; चीनी भाषा के शब्द रूप बदलते नहीं हैं। इसी कारण चीनी को पूर्णत: अश्लिष्ट भाषा कहा जाता है।

भाषाओं में लेखन की पद्धति का विकास इस रूप में किया जाता है कि उच्चारित भाषा का लेखन प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए भाषा के उच्चारण खंडों (ध्वनि) के लिए लेखन के चिह्नों (वर्ण) की व्यवस्था की जाती है। इन लिपि चिह्नों को लिपि संकेत या वर्ण (character) कहा जाता है। फलत: यह कह सकते हैं कि लेखन उच्चारित भाषा का स्थापन्न रूप है और परिणामत: लेखन में वह गुण होना

चाहिए कि वह उच्चारण का प्रतिनिधित्व करे। चित्र लिपि में उच्चारण और लेखन का प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण अध्येताओं और प्रयोक्ताओं को बहुत कठिनाई होती है।

जिस भाषा में उच्चारण और लेखन का सीधा, अपवाद रहित संबंध होगा, उसकी लिपि वैज्ञानिक कही जाएगी। इसी संदर्भ में हम देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। इसकी और चर्चा आगे करेंगे।

32.3.1 लिपि की आवश्यकता

लिपि क्यों आवश्यक है और युगीन परिस्थितियाँ लेखन को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। उच्चारित भाषा क्षणिक है, समय से बद्ध है। अगर हम महत्वपूर्ण विचारों को सुरक्षित रखना चाहें तो यह लेखन से ही संभव होगा। आदि युग में लेखन के साधन सीमित थे, अत: लोगों ने वाचिक परंपरा का निर्माण किया जिससे काव्य आदि पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकें। इसलिए छन्दबद्धता, गेयता आदि काव्य के प्रमुख लक्षण बने। वेदों की सुरक्षा के लिए विस्मृति, विभ्रम या उच्चारण दोष के कारण वेद की संहिताओं में बिगाड़ न आए। इस तरह लेखन संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसे परवर्ती पीढ़ियों तक संप्रेषित करने का सबसे कारगर माध्यम है। लेखन के माध्यम से साहित्य और संस्कृति के अन्य तत्व सुरक्षित रह जाते हैं। अगर हमारे पास पिछली पीढ़ियों की भाषा की सामग्री न हो, तो हम इस भाषा या साहित्य के इतिहास के अध्ययन की कल्पना भी नहीं कर सकते।

उच्चारित भाषा स्थान की दृष्टि से भी सीमित है। अर्थात एक व्यक्ति अधिक से अधिक 50-100 लोगों को संबोधित कर सकता है। वैसे आधुनिक युग में संचार साधनों की उपलब्धता के कारण हम एक समय में करोड़ों लोगों को संबोधित कर सकते हैं, फिर भी स्थायित्व के कारण लेखन आवश्यक हो जाता है। लिपि विचार को स्थान की सीमा से मुक्त करती है। पुराने समय में लेखन के उन्नत साधनों के अभाव में लोग, छाल, चर्म, भोजपत्र आदि पर लेखन करते थे। लेकिन लेखन की कई प्रतियाँ बनाना कठिन था। इस कारण कम ही लोग लिखित साहित्य का अध्ययन कर पाते थे। कागज की ईजाद और मुद्रण काल के विकास के कारण आज लिखित सामग्री दूर दूर तक करोड़ों लोगों तक पहुँच सकती है। इस तरह लेखन, मुद्रण आदि तकनीकों के विकास के कारण भाषा, समय, स्थान और संख्या की सीमाओं से हो गई है। लिपि के कारण ही वर्तमान युग में भाषा और भाषा बोलने वाले समाज का पूर्ण विकास हो पाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लेखन के अभाव में भाषा के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिह्न लग सकता है।

32.3.2 विश्व की प्रमुख लिपियाँ

विश्व में लगभग 20 ही लिपियाँ है और भाषाएँ एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। ये प्रमुखत: दो प्रकार की हैं। चित्रात्मक लिपि तथा उच्चारण के लिए निर्मित ध्वनि चिह्न पर आधारित प्रतीकात्मक लिपि।

चीनी भाषा की लिपि चित्र लिपि है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लिपि और उच्चारण में अलगाव के कारण उस लिपि को चीनी भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में अलग ढंग से उच्चारित किया जाता है। यों कह सकते हैं कि भाषाई दृष्टि से चीन लिपि के कारण जुड़ा है उच्चारण से नहीं।

अन्य लिपियाँ उच्चारण पर आधारित हैं। इनके तीन प्रकारों की आगे चर्चा करेंगें।

1. ध्वन्यात्मक (phonetic) लिपि : अंग्रेजी की रोमन लिपि ध्वन्यात्मक कही जाती है क्योंकि इसमें हर स्वर या व्यंजन का अलग चिह्न होता है। रोमन लिपि का प्रयोग लैटिन से ही शुरू होता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, इतालवी, रोमानी, चेक आदि भाषाएँ रोमन में ही लिखी जाती हैं। आज अफ्रीका के देश, मलेशिया, तुर्की आदि ने भी रोमन लिपि को अपना लिया है। रोमन का प्रयोग करने वाली भाषाओं में

लिपि और उच्चारण का सामंजस्य इतालवी, स्पेनिश आदि भाषाओं में सबसे अधिक है। अंग्रेजी में यह सामंजस्य कम है।

ग्रीक भाषा की ग्रीक लिपि तथा रूसी भाषा की सिरिलिक लिपि भी ध्वन्यात्मक हैं।

2. आक्षरिक (syllabic) लिपि : भारत तथा एशिया देशों की लिपियाँ आक्षरिक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन के संयोजन में मात्रा युक्त अक्षर बनता है और कई जगह दो व्यंजन मिलकर नये अक्षर की सृष्टि करते हैं। भारत में लगभग वर्तमान 10 लिपियाँ है, जो ब्राह्मी लिपि से उद्भूत हुई हैं। एशिया में ब्रह्मदेश, थाईलैंड, विएतनाम आदि भाषाओं की अपनी लिपि है। इन लिपियों के निर्माण में इन भाषाओं ने संस्कृत से प्रेरणा प्राप्त की है। जापानी ने संस्कृत से प्रेरणा लेकर अपनी लिपि पद्धति विकसित की और हजारों चीनी अक्षर भी ग्रहण कर लिए। जापानी में हिंदी की तरह मूल स्वर या व्यंजन नहीं हैं, हर स्वर व्यंजन संयोग का अलग चिह्न बन जाता है।

3. संश्लिष्ट लिपि : अरबी भाषा की लिपि में स्वर, व्यंजन के मूल वर्ण तो हैं, लेकिन शब्द में स्थान के आधार पर मूल स्वर या व्यंजन का अंश मात्र रह जाता है। जैसे ह (ح) के अलग जगह रूप होंगे - حـ, ـحـ या ـح अरबी भाषा के अलावा फारसी, उर्दू, सिंधी आदि भाषाएँ भी अरबी लिपि में लिखी जाती हैं।

32.4 प्राचीन भारत की लिपियाँ

प्राचीन भारत में भारत की व्यवहृत सिंधु घाटी की लिपि आज तक सारे संसार के लिए रहस्य बनी हुई है। इस लिपि के नमूने हमें मोहन-जो-दड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त सीलों से मिले हैं। चूँकि प्राप्त सामग्री अत्यंत सीमित हैं और संदर्भ स्पष्ट नहीं है, आज तक हम इन सीलों में उत्कीर्ण पाठ का पठन नहीं कर पाये हैं, यद्यपि पिछली सदी में संसार भर के अनेकों विद्वानों ने प्रयास कर लिया था। कई संस्थाएँ और विद्वान यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने इस लिपि का ज्ञान अर्जित कर लिया है। कोई इसको द्रविड़ तथा स्थानीय उत्पत्ति मानते हैं; कोई कहता है कि यह सुमेरी लिपि से निकली है, कोई इसे ब्राह्मी का पूर्व रूप मानते हैं। सीलों से प्राप्त चिह्नों में कुछ चित्र लिपि के नमूने लगते हैं और कुछ ध्वनिसूचक लिपि चिह्न लगते हैं। कुछ विद्वान इसे चित्रलिपि और अक्षर लिपि का प्रारंभिक मिलाजुला रूप मानते हैं। अभी तक यह लिपि जिज्ञासा का विषय बनी हुई है।

प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ब्राह्मी, खरोस्ठी, अंग, वंग, मगध, मांगल्य आदि कई लिपियों का उल्लेख मिलता है। इनमें ब्राह्मी और खरोस्ठी के अतिरिक्त किसी भी लिपि का प्रमाण नहीं मिलता। खरोस्ठी लिपि के प्राचीनतम नमूने हमें शिलालेखों में मिले हैं जिसका समय ई.पू. 5वीं सदी माना जाता है। अशोक के शिलालेखों के बाद से नियमित रूप से हमें ब्राह्मी में लिखे पाठ मिल रहे हैं।

32.5 ब्राह्मी लिपि और देवनागरी का विकास

ब्राह्मी शब्द की व्युत्पति कई प्रकार से दी जाती है। ब्राह्मी के अस्तित्व में आने तक या साथ-साथ विश्व में चार लिपि व्यवस्थाएँ प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। चीनी, असीरिया के कीलाक्षर (Cuneiform), यूनानी, और सामी (semitic) जिसमें अरबी की वर्ण व्यवस्था बनी। इन चारों की प्रकृति से ब्राह्मी इतनी भिन्न है कि प्रत्यक्ष स्रोत का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। ब्राह्मी के भारतीय उत्पत्ति के संदर्भ में तीन संभावनाएँ बन सकती हैं। सिंधु घाटी की लिपि से ब्राह्मी के उद्भव की बात तभी सिद्ध हो सकती है जब सिंधु घाटी की लिपि पर से रहस्य का पर्दा उठ जाए। दूसरी संभावना है कि भारतीय मूल के किसी चित्रात्मक लिपि से इसका विकास। इसके लिए प्रमाणों का अभाव है। तीसरी संभावना है कि आर्यों ने अन्य लिपियों से प्रेरणा प्राप्त कर लिपि व्यवस्था का निर्माण किया हो। गौरीशंकर ओझा कहते हैं - "यह निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ........इतना ही कहा जा सकता है कि ब्राह्मी अपनी प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता।"

ब्राह्मी लिपि के नाम के संदर्भ में भी कई मत हैं। एक मत है कि ब्रह्मा इसकी सृष्टि के कर्ता हैं। राजबली पांडेय कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के वेदों के लिए उपयोग में आने के कारण इसे ब्राह्मी कहा जाता

है लेकिन वेद हमारे सामने प्राचीन युग के लेखन में उपलब्ध नहीं होते। कुछ लोग यह मानते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा आविष्कार और प्रयोग के कारण यह ब्राह्मी कहलाई।

ब्राह्मी की कुछ विशेषताएँ हैं। इसमें संस्कृत की वर्णमाला के सभी वर्ण मिलते हैं। अत: यह स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के लेखन के लिए इसका प्रवर्तन किया गया, चाहे प्रेरणा स्रोत जो भी हो। यह बायें से दायें लिखी जाती है जबकि हीब्रू, सामी तथा अरबी लिपि दायें से बायें लिखी जाती हैं। इसमें स्वर, व्यंजन और मात्राएँ हैं जिससे यह भारत की अक्षरात्मक लिपियों का सूत्रधार बनी।

ब्राह्मी लिपि से देवनागरी के विकास क्रम को आप आगे देखेंगे।

ब्राह्मी लिपि में अंकों के लिए दशमलव पद्धति से अंक थे। उन अंकों से देवनागरी के अंकों के विकास को आप तालिका में देख सकते हैं।

सदी →	१, २, ३	४, ५, ६	७, ८, ९	१०, ११, १२	१३, १४	१५
१	—	- —	⁻ ˥ ˥ ˥	१ १	१	१
२	=	= ⥱	⥱ २ २	२	२	२
३	≡	≡ ३	३ ३	३	३	३
४	+ ✝ ✝ ४	४ ४ ४ ४	४ ४	४	४	४ ४ ४
५	[illegible]	[illegible]	[illegible]	५ ५	५ ५	५ ५ ५ ५
६	६ ६ ६	६ ६	६ ६ ६	६ ६ ६	६	६ ६ ६
७	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	७	७ ७
८	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	८	८ ८ ८
९	[illegible]	३ ३	[illegible]	[illegible]	९	९ ९
०			०	०	०	०

यह उल्लेखनीय है कि ब्राह्मी के अंकों को अरब अपने साथ ले गये और यूरोपीय भाषाओं ने इन्हें अपनाया। यूरोप में प्रचलित रोमन अंक आदि का प्रयोग क्षेत्र सीमित हो गया। अरबी स्रोत से आने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें अरबी अंक कहा।

ब्राह्मी से अन्य भारतीय लिपियों का विकास

विश्व की लिपियों की लगभग आधी लिपियाँ भारत में ही हैं। बंगला, गुजराती, गुरुमुखी, ओड़िया की लिपियाँ प्रत्यक्षत: ब्राह्मी के क्षेत्रीय रूपों से विकसित हुई। साथ ही गुप्त साम्राज्य समय की गुप्त लिपि, उससे निकली परवर्ती कुटिल लिपि, कश्मीर की शारदा लिपि, पूर्व की कैथी लिपि आदि भी ब्राह्मी से ही विकसित हुई।

दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम की अपनी-अपनी लिपियाँ हैं। ये लिपियाँ भी ब्राह्मी की किसी दक्षिण शैली से ही विकसित हुई हैं। दक्षिण की भाषाओं में मूलत: महाप्राण ध्वनियों का और घोष ध्वनि (ग, द, ब, आदि) का अभाव था लेकिन संस्कृत भाषा के शब्दों और पाठों को लिखने की आवश्यकता के कारण तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ने /क ख ग घ ङ। के समान चिह्नों और वर्णमाला के क्रम को अपना लिया। केवल तमिल भाषा में जैसे क, ङ; च, ञ; ट, ण; त, न; प, म दो-दो वर्ण ही हैं। फिर भी उल्लेखनीय है कि तमिल वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों का क्रम देवनागरी के ही अनुसार है। यह ब्राह्मी के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण ही है।

कुछ अन्य बोलियों की लिपियाँ या पुरानी लिपियाँ अधिक प्रचलित नहीं है। देश की अन्य कुछ भाषाएँ देवनागरी में या रोमन में या क्षेत्रीय लिपि में लिखी जाती हैं।

ये नौ लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। इसलिए इन लिपियों में कई वर्ण समान हैं, लेखन की प्रवृत्ति एक जैसी है। विकास क्रम में इन लिपियों में अंतर आते गए, फिर भी साम्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे की तालिका में, इन लिपियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं-

कई जगह वर्णों की आकृति भी समान है। उदाहरण के लिए आरेख में निम्नलिखित वर्ण देखिए -

ब्राह्मी	𑀅	𑀇	𑀏		𑀓	𑀝	𑀦	𑀧	𑀭	𑀮
हिंदी/मराठी	अ	इ	ए	ओ	क	ट	न	प	र	ल
गुजराती	અ	ઇ	એ	ઓ	ક	ટ	ન	પ	ર	લ
पंजाबी	ਅ	ਇ	ਏ	ਓ	ਕ	ਟ	ਨ	ਪ	ਰ	ਲ
बांगला/असमिया	অ	ই	এ	ও	ক	ট	ন	প	র	ল
ओड़िया	ଅ	ଇ	ଏ	ଓ	କ	ଟ	ନ	ପ	ର	ଲ
तमिल	அ	இ	ஏ	ஓ	க	ட	ன	ப	ர	ல
मलयालम	അ	ഇ	ഏ	ഓ	ക	ട	ന	പ	ര	ല
कन्नड़	ಅ	ಇ	ಏ	ಓ	ಕ	ಟ	ನ	ಪ	ರ	ಲ
तेलुगु	అ	ఇ	ఏ	ఓ	క	ట	న	ప	ర	ల

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत की आर्य और द्रविड़ भाषाओं में वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण, शब्द संरचना आदि की दृष्टि से मूलभूत एकता है जो परस्पर आदान-प्रदान द्वारा स्थापित हुई है। इसी कारण एमनो नामक प्रसिद्ध भाषाविज्ञान भारत को एक समन्वित भाषा क्षेत्र कहते हैं।

भाषाओं में भी वर्ण साम्य सिर्फ़ स्वर व्यंजनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मात्राओं के लेखन में भी समानता देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए

हिंदी	का	की	कू	के	को
गुजराती	કા	કી	કૂ	કે	કો
पंजाबी	ਕਾ	ਕੀ	ਕੂ	ਕੇ	ਕੋ
बांगला/असमिया	কা	কী	কূ	কে	কো
ओड़िया	କା	କୀ	କୂ	କେ	କୋ
तमिल	கா	கீ	கூ	கே	கோ
मलयालम	കാ	കീ	കൂ	കേ	കോ
कन्नड़	ಕಾ	ಕೀ	ಕೂ	ಕೇ	ಕೋ
तेलुगु	కా	కీ	కూ	కే	కో

भारत में उर्दू को छोड़कर कुल नौ प्रमुख लिपियाँ हैं। देवनागरी का उपयोग संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं के लिए होता है। बांगला लिपि का उपयोग कुछ परिवर्तनों के साथ असमिया और मणिपुरी के लिए होता है। वैसे आजकल मणिपुरी भाषा में अपनी पुरानी लिपि मेईथेई को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं।

32.6 देवनागरी लिपि

ब्राह्मी लिपि से, जो संस्कृत भाषा के लेखन के लिए सदियों तक व्यवहार में आती रही, बाद में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी संस्कृत भाषा की प्रमुख लिपि बनी, भले अन्य लिपियों में भी संस्कृत का लेखन होता रहा।

तमिलनाडु में संस्कृत के लेखन के लिए तमिल और मलयालम के वर्णों के योग से 'ग्रंथ' लिपि का प्रचलन हुआ।

देवनागरी नामकरण संबंधी प्रमुख मत निम्नलिखित हैं:-

1. बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेखित 64 लिपियों में से नागलिपि के आधार पर इसका नाम पड़ा।
2. गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया।

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि दसवीं शताब्दी से ही हमें देवनागरी में लेखन के नमूने प्राप्त हो जाते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी में मुद्रण के विकास के साथ यह परिपक्वता में पहुँची। आज देवनागरी का उपयोग संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त मराठी और नेपाली में भी होता है। हिंदी की समस्त बोलियाँ देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। और बोलियों की लिपियाँ समाप्त हो चुकी हैं। कश्मीरी और सिंधी भाषाएँ अरबी-फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। आजकल उन दोनों भाषाओं के लिए भी देवनागरी के उपयोग करने की अपील की जा रही है। भारत के सुदूर पूर्व में तथा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार आदि के इलाके में बोली जाने वाली जन जातियों की भाषाओं के लिए भी देवनागरी के उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

पूरे भारत की भाषाओं के लिए देवनागरी को सामान्य लिपि यानी अखिल भारतीय लिपि बनाने के पक्ष में कुछ विद्वान राय देते हैं लेकिन बंगला, तमिल, आदि समुन्नत भाषाओं की अपनी लिपि होने के कारण यह विचार कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकेगा। हाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने यह अनुभव किया है कि देवनागरी लिपि में अन्य भाषाओं के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। निदेशालय ने परिवर्धित देवनागरी में अन्य भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों के किए चिह्न प्रस्तावित किए हैं।

32.7 मानक देवनागरी : स्थिति और समस्याएँ

भारत के संविधान में घोषणा की गई कि देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी। इसके साथ हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ा। टंकण, मुद्रण, कंप्यूटर में प्रयोग आदि विविध नये क्षेत्रों में इस भाषा के प्रयोग का विस्तार हुआ। यह अनुभव किया गया कि सहज रूप में काम करने के लिए इसमें आवश्यक संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस प्रक्रिया को हम लिपि का मानकीकरण कहते हैं।

32.7.1 लिपि सुधार आंदोलन

हिंदी भाषा की **लिपि** देवनागरी को हिंदी के संदर्भ में वैज्ञानिक **लिपि** कहा जाता है, क्योंकि लेखन और उच्चारण में बहुत तालमेल हो इस वैज्ञानिकता के बावजूद वर्णाकृति, वर्ण क्रम आदि समस्याएँ सामने आती हैं, तो इनके निवारण के लिए प्रयास किये जाते हैं। 1950 में राजभाषा घोषित किये जाने से पहले कई विद्वानों ने ऐसी समस्याओं के संदर्भ में देवनागरी में सुधार के प्रयास शुरू किये थे। हम यहाँ कुछ प्रमुख सुधार के प्रयत्नों की चर्चा करेंगे।

काका कालेलकर समिति ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिसे महात्मा गांधी और विनोबा भावे का भी समर्थन प्राप्त है। एक, स्वरों में अ, आ अि, अी, अु जैसे अ की बारह खड़ी का उपयोग किया जाए। दो, गुजराती की तरह देवनागरी को भी बिना शिरा रेखा के लिखा जाए, जैसे भारत।

हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने 1941 में **लिपि** सुधार समिति बनाई थी, जिसमें निम्नलिखित सुझाव थे। 1) मात्राओं रेफ और अनुस्वार को **ऊपर न लिखकर अथवा लिखा जाए** जिससे उनका वर्ण क्रम स्पष्ट हो- जैसे क ल, क स, ध र्‍ म। 2) इ की मात्रा को बाद में किया जाए, जैसे कीया (किया) और शील (शील) 3) ऊ की बारह खड़ी अपनायी जाए, 4) संयुक्त व्यंजनों में र को पूरा लिखा जाए, जैसे प्रेम, करम आदि 5) शिरारेखा का लेखन वैकल्पिक हो। 6) ध और भ भ्रम पैदा करते हैं। अत: इन्हें ऊपर से शुरू किया जाए जैसे ध, भ।

आचार्य नरेंद्र देव समिति उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयत्न से 1947 में बनी थी जिसमें धीरेंद्र वर्मा, मंगलदेव शास्त्री आदि सदस्य थे। उनकी सिफ़ारिशें थी- 1) क्ष, त्र, श्र, द्य आदि संयुक्त वर्णों को निकाल देना 2) इ के लिए पश्चगामी, भिन्न मात्रा जैसे की, की 3) ध और भ का रूप।

नागरी प्रचारिणी- सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1953 में लिपि के सुधार के सुझाव दिये थे। ये हैं- 1) इ की मात्रा (क, की आदि) 2) क्ष, त्र, श्र जैसे सब संयुक्ताक्षरों को अलग लिखा जाए, जैसे क्ष, तर, शू आदि। 3) मानक वर्णों की सिफ़ारिश - ख, ध, भ, छ।

32.7.2 मानक हिंदी वर्णमाला

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1967 में परिवर्धित देवनागरी नामक प्रकाशन में मानक हिंदी वर्णमाला और वर्तनी को अंतिम रूप दिया। निदेशालय ने साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के हिंदी में लेखन के लिए नये चिह्न भी सुझाये हैं। निदेशालय के इस प्रकाशन को हमने इस पाठ्यक्रम के आलेख संग्रह **विवेचना** में सम्मिलित किया है। आप उसे अवश्य पढ़ें और यथासंभव मानक लिपि और वर्तनी का अनुपालन करें।

निदेशालय ने पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार के प्रयोग तथा त्त, ड्ड जैसे पुराने जुड़े हुए अक्षरों की जगह हलंत आदि से क्त, ड्ड जैसे अलग-अलग अक्षर लिखने की सिफ़ारिश की जिससे टंकण - मुद्रण तो सरल हुआ ही, भाषा अर्जन में भी सहजता आ गयी। वर्णो के संदर्भ में निदेशालय ने 1953 की सुधार समिति की सिफ़ारिश मानकर ख, ध, भ, छ को मानक घोषित किया, लेकिन सुधार आंदोलन समितियों की अन्य कोई भी सिफ़ारिश नहीं मानी गयी।

आधुनिक युग की भाषा की लिपि में युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानकीकरण के उपाय करने होते हैं। यहाँ हम अच्छी लिपि के गुणों के संदर्भ में मानकीकरण के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा करते हैं-

i) **एकरूपता :** एक ही वर्ण को कई ढंग से लिखा जाए, तो पाठकों, मुद्रकों और अध्येताओं को कठिनाई हो सकती है। निदेशालय ने परिवर्धित देवनागरी में अ, क्ष, ण आदि को मानक घोषित किया है और आदि वर्णों के लेखन को नकारा है।

ii) **सरलीकरण :** निदेशालय ने ळ के स्थान ल की सिफ़ारिश की है, क्योंकि इससे ल्ल, ल्य आदि संयुक्त अक्षरों का निर्माण सरलता से हो सकता है। इसी तरह ड्ड , ह्य, ह्म, द्य आदि के स्थान पर हलंत से ड्‌ड, ह्‌य, ह्‌म, द्‌य आदि गुच्छ बनाने की सिफ़ारिश की है। साथ ही अन्त, पन्थ, बन्द, अन्य के स्थान पर अनुस्वार से *अंत, पंथ, बंद, अंध* आदि शब्द लिखने की सिफ़ारिश की गई है, जिससे अध्येता आसानी से लिख-पढ़ सके।

उल्लेखनीय है कि यांत्रिक साधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए सरलीकरण करना अनिवार्य हो जाता है। टंकण यंत्र में कुंजियों की सीमित संख्या के कारण ड्ड, त्त आदि अक्षर टंकित कर पाना असंभव-सा है।

iii) **वैज्ञानिकता** : अवैज्ञानिक लिपि से भ्रम पैदा होता है और इससे भाषा का उपयोग बाधित होता है। निदेशालय ने पूर्व रूप / ख / के स्थान पर / ख / के लेखन की सिफ़ारिश की है, क्योंकि इसे पाठक कई जगह र + व समझ जाता था और **'खाना'** और 'रवाना' में अंतर नहीं कर पाता था। /भ/ के स्थान पर /भ/ की सिफारिश का भी यही आधार है, क्योंकि त्वरित लेखन में इससे /म/ का भ्रम हो जाता था।

iv) **सार्वभौमता** : हिंदी में अभी इस गुण का अभाव है। रोमन लिपि में कंप्यूटर से लिखी गई सामग्री को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके html नामक सामान्य मानक का विकास किया गया है। हिंदी में इस मानक के अभाव के कारण प्रोग्रामों, कंप्यूटरों के बीच सामग्री का आदान-प्रदान असंभव-सा है।

हिंदी में वर्णाकृति के मानकीकरण की भी आवश्यकता है, जिससे कंप्यूटर मुद्रित सामग्री को पढ़ सके। अंग्रेजी में Optical Character Reader (OCR) नामक कार्यक्रम विकसित हुआ है, जो छपी सामग्री को निवेश (input) के रूप में ले लेता है। हिंदी में अभी OCR कार्यक्रम नहीं बना है।

लिपि और उच्चारण के सामंजस्य के मानकीकरण की भी आवश्यकता है, जिससे वक्तव्य सुनकर कंप्यूटर उसे पाठ के रूप में बदल ले। इस संदर्भ में आगे की दिशाओं और संभावनाओं के बारे में आप अगले प्रकरण में पढ़ेंगे।

32.7.3 मानकीकरण की प्रक्रिया

मानकीकरण लंबी प्रक्रिया है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नये सिरे से मानकीकरण करने की आवश्यकता होती है। मुद्रण और टंकण तक वर्णाकृति (वर्ण का अनुपात, आकार आदि) के मानकीकरण की बात सोची ही नहीं गई थी। उस समय सुघड़ता, सुंदरता और सुबोधता मात्र अच्छे वर्णों के लक्षण माने जाते थे। लेकिन आज हमें वर्णाकृति को भी मानकीकृत करने की आवश्यकता है, अन्यथा कंप्यूटर द्वारा मुद्रित पाठ का पठन और निवेश संभव नहीं हो पाएगा। तभी हम हिंदी के लिए आदान-प्रदान के लिए html, फान्ट का उपयोग कर पाएँगे।

चिंता की बात है कि हिंदी की वर्णमाला का भी मानकीकरण नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हम विरासत में प्राप्त संस्कृत वर्णमाला में कोई छेड़छाड़ करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। लेकिन हिंदी में निम्नलिखित वर्ण और चिह्न लेखन में प्रयुक्त होते हैं, जिनका वर्णमाला में स्थान निश्चित नहीं है-

हिंदी के आंतरिक विकास से प्राप्त	ड़ (जोड़) ढ़, (पढ़) ँ (साँस)
उर्दू-अंग्रेज़ी शब्दों के लिए गृहीत	ज फ़
उर्दू के शब्दों के लिए गृहीत	ख़ (बुख़ार) - सीमित
	क़ (क़दर) ग़ (दिमाग़) - नगण्य
अंग्रेजी के स्वर के लिए निमित	(कॉलेज)
संस्कृत से प्राप्त	(हलंत) बुद्ध, महान्

हमें निर्णय करना होगा कि इनमें से किन चिह्नों को अपनाएँ और उन्हें वर्णमाला में कहाँ और कैसे दिखाएँ। तभी हम कंप्यूटर के लिए मानक कुंजीपटल तैयार कर पाएँगे।

लिपि के मानकीकरण के संदर्भ में अहम मुद्दा है सही अकारादि क्रम का। आज शब्दकोशों में ज़ और ज में क्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं किया जाता। लेकिन इन्हें हिंदी के दो अलग वर्ण मानें, तो इनका स्थान अलग होगा और शब्दकोश में भी इनकी प्रविष्टियाँ अलग जगह होंगी। यही बात ऊपर के इन सभी वर्ण चिह्नों पर लागू होती है।

पूर्वकृत मानकीकरण के प्रयत्नों के संदर्भ में हमारे सामने पंचमाक्षर वाले शब्दों के दो विकल्प हैं -

अंदर/अन्दर, पंडित/पण्डित। कंप्यूटर इन्हें दो अलग शब्दों के रूप में पहचानेगा और दो अलग जगहों में रखेगा। यह कठिनाई लंबी नाम सूचियों को या किसी पुस्तक में आए शब्दों को कंप्यूटर द्वारा अकारादि क्रम में व्यवस्थित करने के कार्यक्रम में बाधा पहुँचाएगी। इन व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी वर्णों और वर्तनी रूपों के अकारादि क्रम को मानकीकृत करने की आवश्यकता है। अन्यथा शब्दकोश बनाना कठिन होगा। सूचना के अभाव में कार्यालय की गतिविधियाँ प्रभावित होंगी और कंपनियों को घाटा उठाना पड़ सकता है।

लिपि की वैज्ञानिकता का प्रश्न

प्रायः कहा जाता है कि देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है और इसमें उच्चारण और लेखन का तालमेल है। यह बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि 'देवनागरी लिपि' के वैज्ञानिक होने की बात अपने में सार्थक नहीं है, जब तक हिंदी की लिपि या संस्कृत की लिपि आदि की बात न की जाए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम संस्कृत और हिंदी भाषा में लेखन और उच्चारण की तुलना करना चाहेंगे। निम्नलिखित स्थिति में जहाँ लेखन और उच्चारण का तालमेल टूटता है, उसे रेखांकित किया गया है –

संस्कृत

तेषां teṣām सतत satata यः yaḥ संशयः saṃʃayaḥ सदैव sadaiva चिह्न čihna

हिंदी

आशा āṣā भाषा bhāṣā सतत satat संस्कार sanskār चिह्न cinnh
सदैव sad ɛ v भैया bhaiya एवं evam तुम tum मैं mɛ̃

इस चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भाषा की विधि की वैज्ञानिकता को उस भाषा के संदर्भ में ही आँका जा सकता है; भाषा निरपेक्ष रूप में नहीं। सार रूप में कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा की लिपि में हिंदी की अपेक्षा वर्ण-ध्वनि का सामंजस्य ज़्यादा दिखाई देता है। हिंदी या मराठी भाषाओं की लिपि की वैज्ञानिकता को उन भाषाओं के संदर्भ में ही देखा जा सकता है।

32.8 सारांश

लिपियाँ भाषाओं को स्थिरता देने और संस्कृति को आगे बढ़ाने का साधन हैं। लिपि के कारण ही शिक्षा, विज्ञान आदि का विकास संभव हो पाता है।

लिपि भाषा के उच्चरित रूप का प्रतीक है। हम मौखिक भाषा को ही लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह लिपि भाषा की प्रतिनिधि है।

विश्व में लगभग 20 लिपियाँ हैं, जिनमें दस भारत में ही हैं। रोमन लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं, अरबी लिपि में अरबी, फ़ारसी, उर्दू आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं, देवनागरी में संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं।

भारत में तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ओड़िया, बांगला आदि भाषाओं की अपनी-अपनी लिपियाँ हैं। ये सारी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें प्रारंभ में संस्कृत भाषा लिखी जाती थी। सामान्य स्रोत से उत्पन्न इन लिपियों के कारण इन भाषाओं में वर्ण के आकार, वर्णमाला क्रम, उच्चारण आदि बातों में गहरा साम्य मिलता है।

लिपि का भाषा से अप्रत्यक्ष संबंध ही है, क्योंकि हम उच्चारण की हर विशेषता को लिपि में नहीं दिखा सकते। कुछ भाषाओं में (जैसे अंग्रेज़ी) वर्ण-उच्चारण सामंजस्य कम होता है, कुछ भाषाओं में (जैसे संस्कृत) यह सामंजस्य अधिक है। हिंदी भाषा में संस्कृत की परंपरा के कारण वर्ण-उच्चारण सामंजस्य काफ़ी है। इसलिए देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है।

लिपि में युग के अनुसार परिवर्तन-संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसे मानकीकरण कहते हैं। आधुनिक युग में कम्पयूटर के प्रयोग की स्थिति में मानक लिपि की आवश्यकता है जिससे प्रकाशन, शब्दकोश निर्माण, कंम्प्यूटर द्वारा वाचन आदि कार्यक्रम बन सकें।

32.9 अभ्यास प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. भारतीय भाषाओं की लिपियों की मूलभूत एकता स्पष्ट कीजिए। (500 अक्षरों में)
2. देवनागरी के विकास क्रम का वर्णन कीजिए। (250 अक्षरों में)
3. लिपि की वैज्ञानिकता से क्या तात्पर्य है? (100 अक्षरों में)
4. हिंदी में मानकीकरण की आवश्यकता। (100 अक्षरों में)

संदर्भ ग्रंथ

धीरेंद्र वर्मा : ग्रामीण हिंदी

अंबा प्रसाद सुमन : हिंदी और उसकी उपभाषाएँ

भोलानाथ तिवारी : हिंदी भाषा

चंद्रधर शर्मा गुलेरी : पुरानी हिंदी

कैलाश चंद्र भाटिया : हिंदी भाषा : विकास और स्वरूप

हरदेव बाहरी : हिंदी भाषा

बाबूराम सक्सेना : दक्खिनी हिंदी

नगेंद्र (सं.) : हिंदी साहित्य का इतिहास

गौरी शंकर हीराचंद ओझा : भारतीय प्राचीन लिपिमाला

गुणाकर मुले : अक्षर कथा

देवीशंकर द्विवेदी : देवनागरी

उदय नारायण तिवारी : हिंदी भाषा का उद्गम और विकास

गोपाल राय : हिंदी भाषा का विकास

QR Code -website ignou.ac.in

QR Code -e Content-App

QR Code - IGNOU-Facebook (@OfficialPageIGNOU)

QR Code Twitter Handel (OfficialIGNOU)

INSTAGRAM (Official Page IGNOU)

QR Code -e Gyankosh-site

IGNOU SOCIAL MEDIA

QR Code generated for quick access by Students

IGNOU website

eGyankosh

e-Content APP

Facebook (@offical Page IGNOU)

Twitter (@ Offical IGNOU)

Instagram (official page ignou)

Like us, follow-us on the University Facebook Page, Twitter Handle and Instagram

To get regular updates on Placement Drives, Admissions, Examinations etc.